खण्ड-384, अंक-6
सोमवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(29 फरवरी, 1988 ई0)

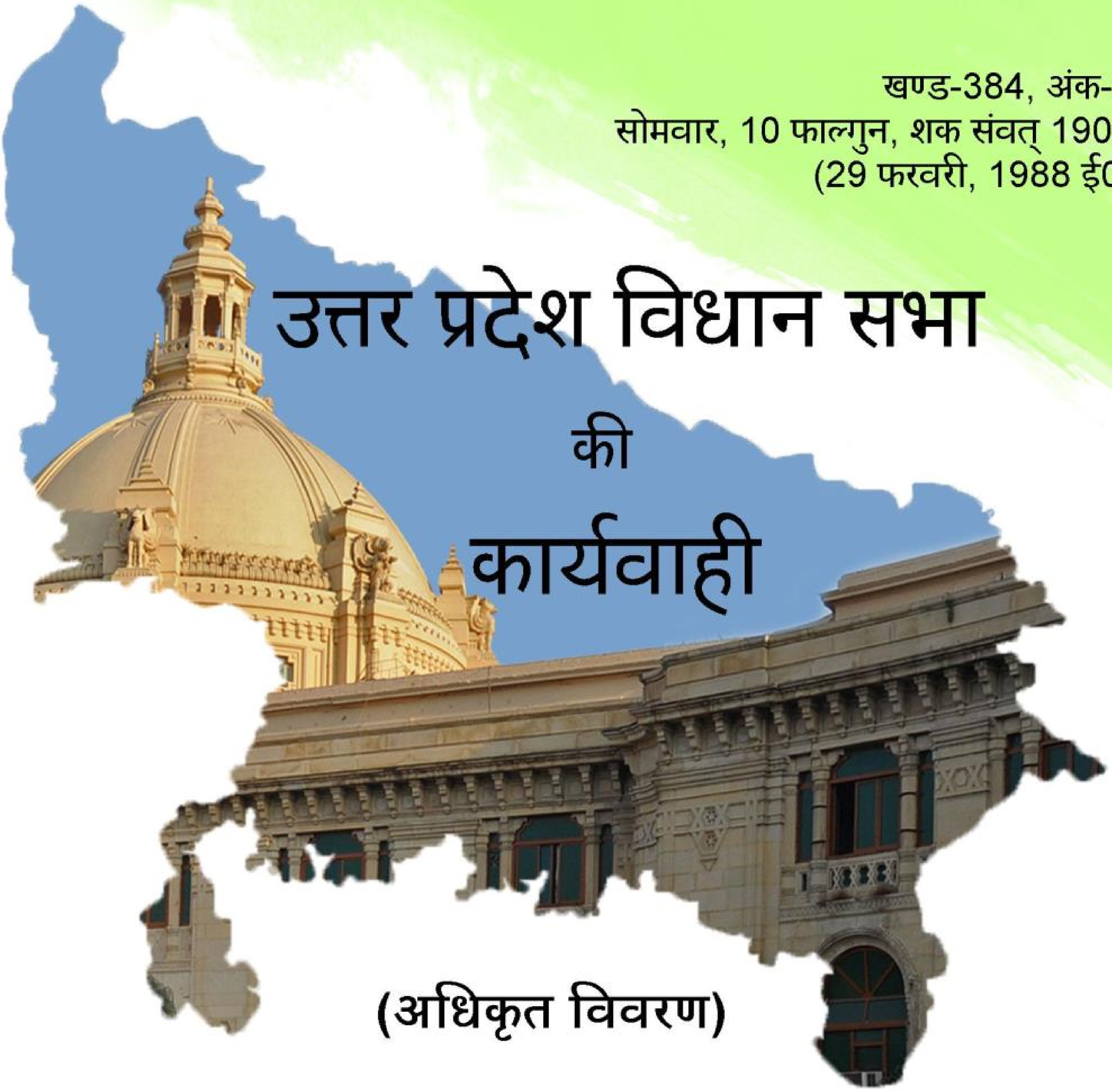

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–65
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	65–66
जनपद आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र में पशुओं की बीमारी का प्रकोप होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद बांदा की तहसील नरैनी की हरिजन आवास हेतु आरक्षित भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रोन्नति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में एक विशेष बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों में पानी न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
आगरा जनपद में नीलगायों द्वारा फसलों की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद सीतापुर की रहीमाबाद पम्प नहर में पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	69
विधान भवन गेट नं0 3 पर पुलिस द्वारा कतिपय विधायकों को रोकने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	69–77
नियम 301 की सूचनाओं पर कार्यवाही होने में विलम्ब के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	78–79
दिनांक 2 सितम्बर, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	79
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	80–93
नियम 51 और 56 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .	94–97
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव .. स्वीकृत	97–145
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	146
श्री शारदा प्रताप द्वारा दी गयी नियम 51 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी दिनांक 16 फरवरी, 1988 को रज्जबपुर, जिला मुरादाबाद में पुलिस एवं पी0 ए0सी0 की गोलियों से हुई किसानों की मृत्यु के सम्बन्ध में गृह राज्य मन्त्री का वक्तव्य	146–154
नत्थियां	155–157

विश्वजीत सेठी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक, [illegible] मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री विश्राज हुसैन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र सोन, श्री	आजमगढ़
चौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
नरमाई लाल, श्री	हरदोई	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रभुदयाल, डॉक्टर	मेरठ	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
बली सिंह, श्री	जालौन	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बालदेव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
बाजेश्वर, श्री	देवरिया	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बेबी बाई, श्रीमती	कांशी	हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

अध्यक्ष प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अन्तर

**1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह

श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 गन्ना मूल्य निर्धारण में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच 1 रु0 प्रति क्विंटल का अन्तर रखा है? यदि हां, तो इस अन्तर का आधार क्या है और क्या इसे समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए समान गन्ना मूल्य निर्धारण पर शासन विचार कर रहा है?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

जी नहीं । पेराई सत्र 1987-88 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (पश्चिम व मध्य शुगर जोन) में अब प्रदेश शासन द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य में 50 पैसे प्रति कुन्टल का अन्तर रखा गया है। इस अन्तर का मुख्य आधार यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का औसत कम रहना, औसत कार्यकाल, औसत पेराई क्षमता व चीनी परता आदि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों से कम होने के कारण पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों की औसतन उत्पादन लागत अधिक आती है जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र की मिलों की गन्ना मूल्य देने की क्षमता कम रहती है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, पूर्वी और पश्चिमी जोन की मिलों में अंतर होने के कारण पिछले 16 दिसम्बर को पूर्वी जोन के गन्ना किसानों ने एक आन्दोलन किया था, जिसका नेतृत्व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, और इस अन्तर को एक रुपये से कम करके 50 पैसा कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस अन्तर की पद्धति क्यों है और क्या बीच-बीच में इसकी समीक्षा भी की जाती रही है? पहले मान्यवर तीन जोन थे, उनको घटाकर दो कर दिया गया और क्या अब इन दो जोन्स को समाप्त कर एक जोन करने पर शासन विचार कर रहा है?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, गन्नों के मूल्य में अन्तराल काफी समय से चला आ रहा है और इसके उत्तर में बताया गया कि इसको समान करने का कोई आधार नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन आधारों पर मूल्यों में विषमता थी, वह दूर हो गये हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की रिकवरी वैसी ही है जैसी कि पश्चिमी चीनी मिलों की है। जैसा आपको ज्ञात ही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सन् 1930 की स्थापित की हुई हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें नयी हैं, तो पुरानी मिलें होने के कारण उनकी रिकवरी कुछ न कुछ कम होना स्वाभाविक है, इसमें किसानों का दोष नहीं है। शासन ने आश्वासन दिया है

कि मूल्यों में समानता पर विचार किया जायेगा, इस पर मैं आश्वासन चाहूंगा। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान आन्दोलित है। चार दिन तक आन्दोलन चला है और भी चल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि रिकवरी की बात समाप्त हो चुकी है। दुर्भाग्य से मेरे पास रिकवरी का चार्ट नहीं है, नहीं तो मैं उससे आपको बता देता कि पूर्वी और पश्चिमी का अन्तर समाप्त हो गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी और पश्चिमी मूल्यों की अन्तर को समाप्त करने की घोषणा करेंगे?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, मैंने अपना उत्तर दे दिया है, जो बिन्दु मूल्य निर्धारण में विचार किये जाते हैं, उनमें अंतर है। एक तो रिकवरी का अन्तर है और दूसरे कार्य क्षमता में अन्तर है, पिराई की क्षमता में अन्तर है, कार्य करने के दिनों में अन्तर है। पूर्वी मिलों की पेराई क्षमता 110 है और पश्चिमी मिलों में पेराई क्षमता 149 है। पश्चिम की चीनी मिलें 1975 और पूर्वी मिलें 1275 प्रति दिन के हिसाब से क्षमता है। इस प्रकार से पूर्व की चीनी मिलें 23 से 45 तक की बनी हुई हैं, उनमें मजदूरों की संख्या नई मिलों की संख्या से अधिक है। मशीनरी पुरानी होने के कारण रिकवरी का अन्तर होना स्वाभाविक है। इन सारी चीजों को देखते हुए पूर्वी जिलों की चीनी मिलों में केवल 50 पैसे का अन्तर रखकर सामंजस्य स्थापित किया गया है। इन सारी चीजों को देखा जाय तो मूल्य और कम हो जाता है लेकिन सरकार की उदारवादी नीति को देखकर थोड़ा सा ही अन्तर रखा है ताकि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में विवाद न पैदा हो। इसलिये यह अन्तर रखा गया है।

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मेरा सवाल यह था कि आखिर इसमें किसानों का क्या दोष है? मिल पुरानी है, रिकवरी नहीं हुई है... (व्यवधान)। इसका उत्तर दिलवाइये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, लगता है मंत्री जी कला के अध्यापक रहे हैं। वे कलाकार हैं। चीजों को और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखने की उनकी अद्भुत कला है। मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया जिले के रामकोला सरेही, कप्तानगंज और चौरही सुगर फैक्टरियों से 11 प्रतिशत की रिकवरी हुई है जो कि पश्चिमी जोन से ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की रिकवरी पश्चिमी जोन से ज्यादा है तो क्या आप वहां के गन्ना काश्तकारों को उनके बराबर ही देंगे ? मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उनकी चीनी मिलें सड़ी गली, पुरानी और रद्दी हैं। इसमें गन्ना काश्तकारों का कोई दोष नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि जो प्राइवेट क्षेत्र की चीनी मिलें हैं वे सड़ी गली और कमजोर हैं, तो इसमें काश्तकारों का कोई दोष नहीं है। जिन मिलों ने अपने को मार्डनाइज किया है उनकी रिकवरी 11 प्रतिशत आ रही है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पश्चिमी जोन के बराबर ही पूर्वी जोन को देने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, अपने पहले दूसरे और तीसरे उत्तर में मैंने स्पष्ट कर दिया है लेकिन वे जानना चाहते हैं तो मैं फिर बता दूं कि पश्चिम, मध्य और पूर्व इस तरह से तीन जोन निर्धारित हैं। मध्य और पश्चिम को एक साथ मिलाकर उनका औसत निकालकर मूल्य निर्धारित किया गया है। पूर्व की जो रिकवरी वाली मिलें हैं, खराब रिकवरी वाली मिलें हैं, जो भी हैं उन सब का एक औसत निकालकर उनका मूल्य निर्धारित किया गया है। अलग-अलग मूल्य निर्धारण की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिये उस पर अलग-अलग विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने औसत निकालने की परम्परा डाली है जैसा कि बस्ती शुगर मिल और बभनान शुगर मिल जिला गोंडा है उनकी रिकवरी 10 प्रतिशत से ज्यादा है जब कि पश्चिमी चीनी मिलों की रिकवरी अधिक है? क्या इस सम्बन्ध में आप पूरे आंकड़े देंगे कि कहां की कितनी प्रतिशत रिकवरी है? इन दोनों को बराबर न करने का क्या कारण है?

श्री राम नाथ मुंशी–

मैंने स्वयं कहा है कि जो नई चीनी मिलें हैं जिनकी रिकवरी अच्छी आ रही है. . . (व्यवधान)। आपने बस्ती की बात कही। हम स्वयं स्वीकार करते हैं बस्ती चीनी मिल की रिकवरी अधिक है लेकिन एक मिल की अच्छी रिकवरी पर उसका मूल्य निर्धारित नहीं होगा। औसत के आधार पर ही निश्चित किया जायेगा और किया गया है। (व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे भी मौका दें. . .

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुंशी जी को हटाकर किसी दूसरे को नियुक्त करने की कृपा कर दें क्योंकि हम ज्यादा वक्त देकर यहां बैठते हैं. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सुखपाल पाण्डे जी, मैं आपके नाम का प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पूर्वी जिलों में शुगर केन की कीमत मिलों की क्षमता और अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में एक क्विंटल गन्ने के उत्पादन में लागत क्या आती है और उसी मात्रा में पश्चिम में क्या आती है?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से बाहर है जिसकी सूचना इस समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी बताया कि गन्ने के मूल्य का निर्धारण जो होता है उसमें गन्ने की उत्पादन लागत को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसा पाण्डेय जी ने प्रश्न किया

उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । माननीय मंत्री जी तो रट्टू तोते की तरह जवाब दे रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि एक क्विंटल चीनी बनाने यानी कास्ट आफ कनवरजन पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कितनी है दोनों जगहों में उसमें अन्तर कितना है । क्या यह सही है कि पश्चिमी जिलों की चीनी मिलें नयी होने के नाते उनमें डिप्रिशियेशन ज्यादा आता है और पूर्वी जिलों में मिलों के पुराने होने के कारण डिप्रिशियेशन लगभग शून्य हो चुका है, माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि वहां चीनी मिलें 149 दिन चलती हैं और पूरब में 110 दिन चलती हैं । माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये वह या तो उन्हें मालूम नहीं है या फिर विभाग ने गलत दिये हैं । अगर पूर्वी चीनी मिलें 110 दिन चलती हैं तो पश्चिमी 120 या 125 दिन से ज्यादा नहीं चलती हैं । इस वर्ष तो पूरब में 150 दिन से पहले नहीं बंद होंगी। पूरब की जो नयी मिलें हैं बस्ती, बभनान, सरहेरी, औराबां आदि में रिकवरी 10 प्रतिशत से ऊपर है जब कि पश्चिम में दो तीन मिलों में ही वह प्रतिशत है । तो इन परिस्थितियों को देखते हुए पूरब और पश्चिम में अन्तर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, औचित्य तो मैंने बार-बार बता दिया तो वही औचित्य है जो मैं पहले बता चुका हूं और नया कोई औचित्य नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कनवरजन कास्ट बता दें पश्चिम और पूर्वी मिलों का ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा पहले बता दिये हैं वही कारण हैं ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, बीमार मिलों और काम करने वाली मिलों को मिला कर तुलना की जायेगी तो इससे किसानों का अहित होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बीमार मिलें हैं उनका रेट अलग हो और जो काम करने वाली मिलें हैं उनके दाम ज्यादा मिलने चाहिये तो क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

माननीय विधायक जी ने नयी और पुरानी मिलों की प्रक्रिया बताई । तो आपके बलिया की चीनी मिल तथा गाजीपुर, सठियाऊ, आजमगढ़, बनारस, सुल्तानपुर आदि 5, 7 ऐसी मिलें हैं जिनको पूरा केन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वह घाटे पर हैं तो यह भी एक कारण है जहां पर 20 लाख क्विंटल की जगह पर 7, 8 लाख क्विंटल ही उपलब्ध होता है ? अगर आप गन्ना ज्यादा उत्पादन करायें तो यह समस्या दूर होगी ?

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कहा कि पश्चिम और पूर्व में फर्क है चूंकि पूर्व में गन्ने की रिकवरी कम है, इसलिये वहां दाम कम हैं, लेकिन मैं मंत्री

जी को बताना चाहूंगा कि सखौती और मलियाना में आपकी मिलों की हालत खस्ता है इसलिये रिकवरी कम है किन्तु दौराला में रिकवरी कई परसेन्ट ज्यादा है, तो क्या जहां रिकवरी ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिलों में वहां दाम बढ़ायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां गन्ने का उत्पादन नहीं होता है वहां गन्ने की मिलों को क्या लगाया गया है ? दूसरा प्रश्न पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विवाद को मिटाने के लिये क्या रिकवरी के आधार पर एक समान मूल्य गन्ने का स्थापित करने की एक नीति मंत्री जी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

श्रीमन्, रिकवरी के आधार पर ही मूल्यांकन हुआ है। लेकिन मध्य, पश्चिम और पूर्व-तीन जोन बना दिये गये हैं, प्रतिशत का आधार नहीं बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न सं0 2-श्री जयदीप सिंह बरार।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उचित मूल्य की घोषणा न करने के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

अल्प बचत योजना में पूंजी निवेश तथा इन्दिरा विकास पत्र क्रय करने के सम्बन्ध में कलेन्डर की आखिरी पर्ची जारी करके गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन

**2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त ने जनवरी, 1988 में एक परिपत्र जारी करके गन्ना सहकारी समितियों को निर्देश दिया है कि वह उन कृषकों को जो अल्प बचत योजना में पूंजी निवेश करें तथा इन्दिरा विकास पत्र आदि खरीदें उनके कैलेण्डर की आखरी पर्चियां जारी कर दें ? यदि हां, तो यह निर्देश गन्ना सप्लाई कन्ट्रोल आर्डर तथा उसके अंतर्गत नियत गन्ना सप्लाई नीति के निर्देशों के विपरीत दिए जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी नियमों के विरुद्ध जारी इस परिपत्र का अनुपालन अविलम्ब रोकने तथा गन्ना आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नाथ मुंशी–

अल्प बचत योजना में धन जमा करने हेतु गन्ना कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गन्ना आयुक्त ने जनवरी, 1988 में एक परिपत्र इस आशय का जारी किया है कि जो कृषक राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन बचत खातों में धन जमा करना चाहे उसे उसके कुल सट्टे के 25 प्रतिशत की सीमा तक की पर्चियां प्राथमिकता के आधार पर दी जायेगी जिनका समायोजन कलेन्डर में अंतिम पखवाडों में किया जायेगा।

निर्देशों में इन्दिरा विकास पत्र का उल्लेख नहीं है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग न किया जाये तथा गन्ना पूर्ति सम्बन्धी सामान्य नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । इस प्रकार यह निर्देश केवल कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिये गये हैं तथा गन्ना सप्लाई कन्ट्रोल आर्डर तथा उसके अन्तर्गत नियम गन्ना सप्लाई नीति के विपरीत नहीं है। अतः इन निर्देशों का अनुपालन रोकने तथा गन्ना आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें गन्ना सप्लाई कन्ट्रोल आर्डर में जो उल्लेख है, उसका ज्ञान है ? यदि हां, तो उस आर्डर में स्पष्ट उल्लेख है कि गन्ना सप्लाई नीति बनाते समय जो पर्चियां निर्धारित की जायेंगी और जो क्रम निर्धारित किया जायेगा उसको तोड़ने के लिये कोई भय या प्रलोभन का इस्तेमाल नहीं होगा और इसी कन्ट्रोल आर्डर के तहत गन्ना आयुक्त ने गन्ना नीति तय किया और उसको उन्होंने अपने एक प्रशासनिक आदेश से, जिसमें उन्होंने गन्ना सप्लाई कन्ट्रोल आर्डर में अपनी शक्ति का कहीं भी प्रयोग नहीं किया है, कैसे उन्होंने उस नीति को भंग कर दिया है ? यह मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पालिसी है कि कोई भी अधिकारी, जो नीतिगत निर्देश शासन के होते हैं कानून या एक्ट के अन्तर्गत उसको वह अपने प्रशासनिक आदेश से अव्यवस्थित कर सकता है?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है। स्वतन्त्र रूप से एक सुविधा दी गई है अल्प बचत की, राष्ट्रीय हित में, विकास हित में आवश्यक समझकर . . .

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री रामनाथ मुंशी–

पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, बीच में टोकते क्यों हैं? उसको उपयुक्त समझकर एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में उसे घोषित किया गया है। जो सुविधा लेना चाहे, ले लें, जो न लेना चाहें, न ले, कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं है । जहां तक नियमों का सवाल है किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक किसानों के पखवारा पर्चियां का अन्तर है, उस पर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। सबको निर्देश दिये गये हैं कि इससे पखवारा और पर्चियों में कोई व्यवधान नहीं आएगा और जो अल्प बचत में गन्ना लिया जाएगा, वह अधिकतम 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से वही किसान जो स्वेच्छा से अल्प-बचत खरीदना चाहें उन्हीं के लिए है और नियमों के अन्दर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस उत्तर से बरार साहब आश्वस्त हो चुके होंगे।

श्री बेनी प्रसाद धर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया कि अल्पबचत में जो किसान पैसा जमा करेंगे, उन्हें प्राथमिकता पर पर्ची दी जाएगी, यह अल्पबचत तो हर साल होता है। यहां पर

हमेशा ऐसी नीति रहती है कि 4 एकड़ तक के जो किसान लाते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले पर्चियां दी जाती हैं, तो इससे जो छोटे किसान हैं 1-2 एकड़ के किसान हैं उनका नुकसान होगा और सम्पन्न किसानों को लाभ होगा, तो क्या वह इसको निरस्त करके पहले की ही सुविधा लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

जब किसानों के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कुछ करने की इसमें जरूरत कहां है ? जहां आवश्यकता पड़ेगी, मैं उस कुप्रभाव को हटा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पूरा प्रदेश गन्ना आपूर्ति व्यवस्था से परेशान है कम से कम इसमें प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बरार साहब का यह प्रश्न है, मैं उनको पहले मौका दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने मंत्री जी से जो प्रश्न किया था उसका जवाब तो दिया नहीं, अल्प बचत के बारे में कहने लगे । मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं यह इस सूखे का भयानक वर्ष है, उसको देखते हुए वह 5-5 साल के लिए कैसे पूंजी निवेश करेंगे और क्या यह सही नहीं है कि इससे सिर्फ सम्पन्न किसानों को लाभ होगा, जो इनकी अल्प बचत स्कीम में पांच साल के लिए पूंजी निवेश करेंगे? तो यदि वह अल्प बचत ही कराना चाहते हैं तो वह सामान्य कटौती सभी गन्ने पर क्यों नहीं निर्धारित कर देते हैं, जिससे छोटे किसानों का कोई नुकसान न होने पावे । वह छोटे किसानों से गन्ना पहले निकलवाने का षड़यंत्र क्यों इस तरह से कर रहे हैं ?

श्री रामनाथ मुंशी–

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ है यह तो स्वेच्छा पर है । छोटे किसानों के हितों की रक्षा हमेशा की गई है, और हमेशा की जाएगी।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट प्रश्न था लेकिन माननीय मंत्री जी दुर्भाग्य से उत्तर नहीं दे रहे हैं। गन्ना आयुक्त जो आदेश देते हैं वह गन्ना सप्लाई कन्ट्रोल के तहत किए जाते हैं। इस प्रपत्र से जो आदेश गन्ना आयुक्त द्वारा किए गये हैं इसमें निश्चित रूप से सम्पन्न किसान लोग छोटे लोग का शोषण करेंगे और उनकी पर्चियां नहीं पहुंच पायेंगी ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी छोटे काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस परिपत्र को वापस करने की मांग को स्वीकार करेंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, इस परिपत्र से यह तात्पर्य नहीं है। जहां तक छोटे किसानों का सवाल है नियमों के तहत 25 कुन्टल पूर्वी तथा 40 कुन्टल पश्चिम में 90 दिन के अन्दर गन्ना लेने का नियम है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 90 दिन में लेने की व्यवस्था है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी मिलों में 40 कुन्टल और 25 कुन्टल वाले काश्तकार हैं उनके कितने पट्टे समाप्त किए जा चुके हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

[सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अन्तर्गत लगने वाले करों की समाप्ति की मांग

*1–श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ जिलों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अन्तर्गत कर लगता है किन्तु लगभग 22 जिलों में उक्त कर नहीं लगता है ? यदि हां, तो उक्त कर लगने वाले जिलों में भी उक्त कर प्रथा को समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

प्रदेश के 28 जिलों में उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 3 के खण्ड-1 के तहत गाजियाबाद के आंशिक क्षेत्र में विभव एवं सम्पत्ति कर की वसूली जिला परिषदें कर रही हैं। शेष जिला परिषदों में उक्त कर लागू नहीं है। जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति देखते हुए कर को समाप्त करना सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक सरकार शासन करती है और 28 जिलों में जिला परिषद् कर वसूल करती है शेष जिलों में कोई कर नहीं लगता है। तो क्या माननीय मंत्री जी, जबकि शेष जिलों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसको देखते हुए उन जिलों से कर की प्रथा को समाप्त करने की कृपा करेंगे ? जब पूरे प्रदेश में एक ही सरकार शासन कर रही है तो कुछ जिलों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जिला परिषदों की स्थिति अच्छी नहीं है। जो कर लगता है यही आमदनी का जरिया है। 28 जिलों में कर लगा हुआ है, लेकिन जिन जिलों में कर नहीं लगा है उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, तो उन जिलों में भी कर की

प्रथा को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समाप्त करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि कर की प्रथा को समाप्त करना सम्भव नहीं है। मान्यवर, यह जो कर लिया जाता है जिला परिषदों के माध्यम से यह 600 रुपये वार्षिक आमदनी के आधार पर लिया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि महंगाई की दर बहुत बढ़ गयी है यह 6 सौ रुपये की धनराशि कुछ भी नहीं है। तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इसकी सीमा बढ़ाकर 25 हजार कर दिया जायगा।

श्री श्याम सुरत उपाध्याय–

मान्यवर, सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, स्थानीय निकाय या टाउन एरिया के अभी चुनाव नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने यहां कर कैसे लगाया है ? कितने जिलों से कर लगाने की संस्तुति आ गयी है ? दूसरा प्रश्न यह है कि बिना निर्वाचन हुए कैसे कर लगा दिया गया क्या इसके औचित्य पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, वर्मा जी तो विद्वान हैं। वैभव और सम्पत्ति कर जो लगा रहे हैं वह पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अनुसार लगा रहे हैं। 28 के अलावा और जो जिला परिषदें हैं उनके भी आमदनी के साधन नहीं हैं, तनख्वाह तक कर्मचारियों को नहीं दे पाते हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है कि क्या इनको वैभव और सम्पत्ति कर लगाने की इजाजत दी जाय ? जब जिला परिषद् टैक्स लगायेगी तो विचार कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषदों के पास आय के स्रोत नहीं हैं और तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में जिला परिषदों को अलग से बजट बनाने और काम करने का प्राविधान किया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जिला परिषदें पूरी तरह से सक्षम हैं कर लगाने और बजट बनाने आदि के बारे में।

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[4थे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी के ग्रामीण अंचल में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं स्वीकृत धन

*3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 85-86 में ग्रामीण अंचल में 1200 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा 6 लाख रुपया दिया गया था ? क्या यह सही है कि अब तक एक भी गांव में स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी द्वारा घटिया किस्म की सीटें एवं पाइप खरीदे गये हैं जो काम करने योग्य नहीं हैं और इसी कारण शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरे मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का आदेश देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, जनपद बाराबंकी में 1985—86 में ग्रामीण अंचल में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना में 330 शौचालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा 2,32,800 रुपया स्वीकृत किया गया था । जी नहीं, लक्ष्य के अनुसार समस्त 330 शौचालयों का निर्माण कार्य चयनित गांवों में पूर्ण हो चुका है ।

जी नहीं, निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया के अनुसार शौचालय सेटों की सीट व पाईपों का निर्माण एवं आपूर्ति पंचायत उद्योगों द्वारा की गई है, तथा सभी 330 शौचालयों के स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है और वे काम करने योग्य हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के वैज्ञानिकों को सिविल अभियन्ता तकनीकी द्वारा मार्ग निर्देशन

*4—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे कौन से कारण हैं कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में 70 प्रतिशत वैज्ञानिकों को नहर विभाग के सिविल अभियन्ता तकनीकी मार्ग निर्देशन विगत 10 वर्षों से दे रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त संगठन में उपयुक्त वैज्ञानिकों का ही अधिकतम उपयोग न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का सृजन वर्ष 1970 में सिंचाई विभाग (नहर विभाग) में ही कोष्ठक के रूप में हुआ था, जिसमें सिंचाई विभाग के ही अभियन्ता कार्यरत थे । तत्पश्चात् सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं को वरिष्ठ/उच्च पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता रहा । पिछले वर्षों में भूगर्भ जल सर्वेक्षण का सुदृढ़ीकरण हुआ और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर संगठन में कार्यरत वैज्ञानिकों को प्रोन्नति दी गई है वर्तमान समय में संगठन में लगभग 50 प्रतिशत वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संगठन में सिंचाई विभाग के 3 अधिकारी वर्तमान में भी (निदेशक तथा 2 अधिशासी अभियन्ता के पद पर) कार्यरत हैं। संगठन में 21 पद श्रेणी प्रथम के वर्तमान समय में स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 8 वैज्ञानिक अधिकारी कार्यरत हैं तथा 8 पद रिक्त चल रहे हैं । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में उपयुक्त वैज्ञानिकों का ही उपयोग किया जा रहा है ।

प्रदेश के विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या का निराकरण

*5—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश के लगभग 330 विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या है और यह समस्या दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है? यदि हां, तो शासन ने इस समस्या के निराकरण की लिए कोई योजना बनाई है ? क्या शासन जनपद मथुरा में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से न्याय पंचायत के अनुसार सर्वेक्षण पुनः कराने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रदेश में खारे पानी की समस्या विद्यमान है इस समय के निराकरण हेतु खारे पानी वाले क्षेत्रों के सीमांकन, उनके क्षेत्रफल में वार्षिक वृद्धि का अनुमान, भूजल गुणवत्ता का आवर्ती अनुश्रवण तथा मृदु जल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक योजना प्रस्तावित है ।

मथुरा जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर खारे पानी की समस्या के अध्ययन हेतु अलग से कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इस जनपद में विस्तृत सर्वेक्षण हेतु सम्यक प्राविधान उपर्युक्त योजना में सम्मिलित है ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने गोल-माल उत्तर दे दिया है। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने जिले या विकास खण्डों में जमीन के नीचे का पानी खारा हो गया है और वह मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो गया है और आपकी जो योजना प्रस्तावित है, उसका क्या-क्या नाम है और वह किन-किन जिलों में चल रही है ? इसका स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय सरदार सिंह जी जैसा कि स्वयं जानते हैं, यह खारे पानी की समस्या मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में बृहद् रूप से विद्यमान है । इसके अतिरिक्त एटा, मैनपुरी, कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, इटावा, उन्नाव आदि जिलों में भी खारे पानी की समस्या है । इसके बारे में एक मोटे तौर पर परीक्षण किया गया, जैसा कि माननीय सरदार सिंह जी ने अपने मूल प्रश्न में कहा था कि लगभग 330 विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या है, तो उस परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि लगभग 360 विकास खण्डों में यह खारे पानी की समस्या विद्यमान है । इसी समस्या का अध्ययन करने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि यह समस्या कितनी गहराई तक है, कहां पर कितना खारा पानी है और कितना मीठा पानी है, तथा किस तरह से खारेपन को हम कम कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है ? इसकी एक सूक्ष्म योजना पांच वर्ष के लिए तैयार की गयी है । जब यह सब सारे अध्ययन हो जायेंगे, तभी हम यह बता सकेंगे कि खारे पानी का प्रभाव घट रहा है या बढ़ रहा है और 88-89 की योजना में करीब 18 लाख रु0 का इसी वित्तीय वर्ष में प्राविधान प्रस्तावित किया गया है और इसी वर्ष से यह काम शुरू किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने कहा कि खारे पानी की समस्या बढ़ रही है और इसके लिए आपने एक योजना बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि विश्व के आधुनिकतम खोजों एवं शोधों ने खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने की व्यवस्थायें दी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी विश्व के पर्दे पर की गयी इन शोधों और खोजों का अध्ययन करा कर उत्तर प्रदेश में उनसे लाभ उठाने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसी समस्या के अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण कराने को हमने एक योजना बनाई है कि यह समस्या कितनी गहराई तक है, कितना खारा पानी है, कितना मीठा पानी है, किस तरह से खारेपन को हम कम कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, यह जब सारे अध्ययन हो जायेंगे, तभी हम इसके निदान के लिए सोच सकते हैं? इसके लिए हमने बताया कि 5 वर्ष की योजना हमने बनाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में उसका प्राविधान हो जाय, तो हम वह योजना शुरू कर देंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

यह सही है कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जमीन के अन्दर जो खारा पानी है, उसका फैलाव क्या है ? मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मान्यवर, मैंने यह कहा था कि विश्व के आधुनिकतम खोजों एवं शोधों ने खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने की व्यवस्थायें दी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी विश्व के पर्दे पर की गयी इन शोधों और खोजों का अध्ययन करा कर उत्तर प्रदेश में उनसे लाभ उठाने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह तो मान्यवर हम निरंतर प्रयास करेंगे कि खारे पानी को मीठे पानी में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय राणा जी ने खारे पानी की बात कही। माननीय मंत्री जी इजरायल का पानी बिल्कुल खारा था अमेरिका का पानी खारा था उन्होंने अपनी नयी खोजों से पानी मीठा कर लिया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने विशेषज्ञों का दल अमेरिका और इजरायल में भेजकर उसका लाभ उठाने का कष्ट करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस समस्या के समाधान के लिए यहां पर भी हमें अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। हम करेंगे और कर भी रहे हैं।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के संदर्भ में तमाम जनपदों के नाम सुनाये हैं जिसमें हमारी निश्चित रूप से जानकारी है, कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड काकोरी में खारे पानी की समस्या है। मैं आपके माध्यम से जानना

चाहता हूं कि क्या वह लखनऊ जनपद को भी इस योजना में शामिल करने का कष्ट करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा खारा पानी आगरा मंडल का है और आगरा मंडल के अन्दर सन् 1982-83 में मंत्रि परिषद् की जो बैठक हुई थी उसमें खारे पानी को मीठे पानी के रूप में परिवर्तित करने की योजना प्रस्तावित की गयी थी और उस समय में वह योजना पास कर दी गयी थी, उसको फिर केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया, केन्द्र सरकार ने उसमें संशोधन करके भेजा था । मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो योजना यहां से भेजी थी वह योजना क्या थी भारत सरकार ने उसमें जो संशोधन किया था वह क्या संशोधन किया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य कोई 1982-83 की योजना के बारे में पूंछ रहे हैं, इसमें सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

विकास खण्ड चोलापुर जनपद वाराणसी में कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं का बेसिक प्राइमरी पाठशाला में समायोजन

*6–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की अब आगे आवश्यकता न होने के आशय की कोई नीति निर्धारित की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस नीति के अंतर्गत पहले से कार्यरत कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं को समाप्त कर स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार बे0 प्रा0 पाठशाला के रूप में समायोजित करने का भी निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर में कितने कन्या बेसिक प्रा0 पाठशालाओं को समाप्त किया गया तथा इन्हें बेसिक प्राइमरी पाठशाला के रूप में कहां-कहां समायोजित करने का निर्णय लिया गया ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां । जिन स्थानों में दो प्राईमरी पाठशाला (कन्या बेसिक प्राईमरी पाठशाला/बेसिक प्राईमरी पाठशाला) हैं और उनमें यदि किसी एक की छात्र संख्या 40 से कम है तो उस विद्यालय को नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकता है । कटारा व अजगरा के दो कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें हटा कर क्रमशः बेनीपुर व हाजीपुर में मिश्रित प्राइमरी पाठशाला के रूप में समायोजित किया गया है।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि मिश्रित प्राइमरी पाठशाला के रूप में समायोजन में कितने विद्यालयों के पास अपने निजी भवन हैं यदि नहीं है तो इन विद्यालयों के लिए मंत्री जी निजी भवन बनाने के की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह प्राइमरी पाठशाला जिनके भवन नहीं हैं उनके भवन बनाने का निर्णय लिया गया है । जिन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन नहीं हैं जिला योजना में, माननीय विधायक जी जानते हैं, उसको प्रस्तावित करेंगें तो वह विद्यालय भवन ले लिया जायेगा और बन जायेगा ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, यह विकास खण्ड चोलापुर हमारे विधान सभा क्षेत्र में आता है । मुझे यह जानकारी मिली है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा विकास खण्ड चोलापुर के भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्राइमरी पाठशाला कुसौड़ा का नाम प्रेषित नहीं किया है । यानि हमारे विकास खण्ड चोलापुर में कोई प्राइमरी पाठशाला कुसौड़ा नाम का नहीं है लेकिन निदेशालय स्तर पर कुसौड़ा विद्यालय अंकित कर के भवन निर्माण हेतु चयन किया गया है । अतः प्राइमरी पाठशाला कुसौड़ा के स्थान पर प्राइमरी पाठशाला होनीपुर कला विकास खण्ड चोलापुर का चयन कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को भवन निर्माण करने का आदेश जारी करेंगें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने यह बताया कि दुसौरा का विद्यालय बेनीपुर स्थानान्तरित किया गया है । ऐसी बात नहीं है । दुसौरा का विद्यालय अपनी जगह है । बेनीपुर में कटारी का विद्यालय स्थानान्तरित किया गया है । ब्लैक-बोर्ड योजना के अंतर्गत जो विद्यालय लिये गये हैं, उसमें सभी भवन जल्द से जल्द निर्माण कराए जाएंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह नीति जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता पड़ गयी है कि ये कन्या विद्यालय दूसरी जगहों पर स्थानान्तरित किये जा रहे हैं । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य होता है, उनके चयन करने का जो आधार है, उसमें क्या जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में उसको बनवाने के लिए निर्णय कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह प्रश्न से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक कुल मिलाकर 40 छात्र से कम हैं, तो उन विद्यालयों को स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया है और जहां तक विद्यालय भवन बनाने में मा0 सदस्यों की राय का सवाल है तो यह जिला योजना की बैठक में आप लोगों के द्वारा ही तय किया जाता है कि किस विद्यालय भवन का निर्माण होना है। उसी का निर्माण कर दिया जायेगा ।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बस्ती जिले के लगभग 50 से अधिक इस प्रकार के छोटे विद्यालयों को प्राइमरी

कन्या विद्यालय को स्थानान्तरित करने के लिये सूची बनारस में लगभग 2 साल से लंम्बित है और बराबर आश्वासन दिया जा रहा है । जबकि ऐसे विद्यालयों में न तो शिक्षा होती है और स्टाफ भी बेकार है । मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या इस सत्र की समाप्ति के बाद और अगले सत्र के पहले यह स्थानान्तरण कर दिया जायेगा जिला बस्ती के विद्यालयों को ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् की अगली बैठक में जो विद्यालय स्थानान्तरित होने हैं, उन पर विचार कर लिया जायगा ।

कर्नल केशरी सिंह–

यह बेसिक शिक्षा परिषद् की बैठक अगले सत्र के पहले होगी या बाद में होगी क्योंकि यह मामला दो वर्ष से लम्बित है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

शीघ्र बैठक कराने के लिए निर्देश दे दिये जाएगें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जैसा कि मा0 कर्नल केशरी सिंह ने एक प्रश्न किया कि बस्ती जिले में उन्होंने 50 बताया, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कि 97 स्कूलों को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव जिला शिक्षा सलाहकार समिति के पास है और बहुत से स्कूल स्वीकृति के आधार पर स्थानान्तरित कर दिये गये, क्योंकि एक जगह पर दो-दो स्कूल लगते थे और एक दिन एक स्कूल का अध्यापक रहता था, जो बारी-बारी से काम करता था । तो क्या आप उपरोक्त विशेष परिस्थिति में परिषद् के बैठक के लिए कोई तारीख निर्धारित करने की घोषणा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि इसके लिए बैठक जल्द से जल्द करा ली जाय, इसके निर्देश दे दिये जाएंगे ।

अवकाश प्राप्त राजकीय अध्यापकों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के पेंशन संशोधन का प्राविधान

*7–श्री शिव बख्श सिंह राठौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश प्राप्त राजकीय अध्यापकों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17-12-82 के आधार पर उदारीकृत पेंशन फारमूला के अंतर्गत पेंशन संशोधित करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नियमों को बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों पर भी लागू करने के लिए नियम बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं ।

शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री शिव बक्श सिंह राठौर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला परिषद् के जो अध्यापक पहली अप्रैल, 1979 से पूर्व रिटायर हुए थे, उन्हें एक फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती है। 1979 के बाद में जो रिटायर हुए हैं उनको दूसरे फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती है । राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अलग फार्मूले से पेंशन मिलती है। मान्यवर, इन तीनों में असमानतायें हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की भांति, बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पेंशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मैंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस सिलसिले में इससे ज्यादा तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, जब तक कोई निर्णय न हो जाय ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, पेंशन संबंधी मामले के संबंध में कहा गया कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मैंने उत्तर में कहा है, शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

अगर मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गंभीरता को समझते हुए क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नियमित रूप से पेंशन मिल जाय ? मान्यवर, बलिया में पिछले छः महीने से अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन नहीं मिल पा रही है । यह सुनिश्चित करेंगे कि अवकाश प्राप्त अध्यापकों को समय के साथ पेंशन मिलती रहे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इसके लिये शासन के स्तर से यह बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं कि सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन जल्द से जल्द मिल जाया करे । लेकिन, कहीं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत पड़ रही होगी और उस संबंध में माननीय सदस्य जी बतायेंगे, तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जनपद इटावा में कई वर्षों से जो लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनको पेंशन अभी तक नहीं दी गयी है । यह जो पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसके कारणों को माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, पेंशन भुगतान करने की व्यवस्था शासन की तरफ से तय है । माननीय सदस्य ने जनपद इटावा के सिलसिले में सवाल किया, अगर माननीय सदस्य बता देंगे कि किन-किन लोगों को पेंशन अभी नहीं मिल रही है तो उसको भी दिखवा लेंगे ।

राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद के विषय में जांच आख्या पर निर्णय

*8—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद के विषय में जांच आख्या दिनांक 4-10-86 पर निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो कब तक ले लिया जायेगा ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो मेरे मूल प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में "जी हां" कहा, तो 4 अक्टूबर, 1986 की जांच आख्या पर जो निर्णय लिया गया है, उस 4 अक्टूबर, 1986 की जांच आख्या में मुख्य बिन्दु कौन-कौन थे और उन बिन्दुओं पर शासन ने क्या निर्णय लिया है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, उसमें जो जांच आख्या थी, उसमें निम्नलिखित तीन बिन्दु थे :—

(1) कालेज की प्राचार्य कुमारी मंजू लता विश्वकर्मा ने गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आयोग से चयन कराया है ।

(2) प्राचार्य ने गलत भुगतान लिया है ।

(3) महाविद्यालय की नैत्यिक लिपिक श्रीमती शकुन्तला को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में ।

इन तीनों बिन्दु के विषय में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मैं इसका भी उत्तर दे रहा हूं । प्रथम बिन्दु के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह शिक्षा आयोग से संबंधित है और दिनांक 30-1-88 को शासन ने सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग को जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखा है, उन्होंने हमको सूचित किया है कि उन्होंने उनका जवाब मांगा है और प्राचार्या जी को उनको 7 मार्च, 1988 की अंतिम तिथि भी दे दी है ।

दूसरे और तीसरे बिन्दु के संबंध में हमने शिक्षा निदेशक को इसी 25 फरवरी को लिख दिया है कि वह जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें ।

जिला फैजाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के सेवा निवृत्त बेसिक शिक्षकों के भविष्य निधि के बकाये का भुगतान

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के सेवा निवृत्त बेसिक शिक्षकों का भविष्य निर्वाह निधि का लगभग एक करोड़ रुपया पिछले लगभग 8 वर्षों से बकाया है? यदि हां, तो उसके अब तक न बांटे जाने का क्या कारण है और इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करने तथा संबंधित शिक्षकों को उनका धन अविलम्ब देने में शासन को क्या कठिनाई है?

[अनुवाद]

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं,

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बताएँगे, कि क्या शिक्षकों के भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है और दूसरी बात कि कितने सालों से कुल कितने सेवा निवृत्त अध्यापकों की भविष्य निर्वाह निधि की कुल कितनी धनराशि का भुगतान होना बाकी है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, वर्ष 80-81 से 87-88 तक बेसिक शिक्षा परिषद् से 497 अध्यापक सेवा निवृत्त हुये हैं, उनमें से 427 अध्यापकों को भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान किया जा चुका है और 70 अध्यापक अभी अवशेष हैं। वर्ष 1986 के 6 अध्यापक और 1987 के 64 अध्यापक इसमें सम्मिलित हैं। उनको भी भविष्य निर्वाह निधि के धन का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है। जिन अध्यापकों की भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान नहीं किया गया है, उसका कारण यही है कि जो खाते बेसिक शिक्षा परिषद् को उनके खाते अलग-अलग बनाने चाहिये थे, वह अपटू डेट नहीं बने हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुल कितनी रकम का भुगतान होना बाकी है, और जो भुगतान अब तक नहीं हुआ, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह भुगतान अध्यापकों द्वारा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से रुका हुआ था वैसे भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान होने में और कोई कठिनाई नहीं है। यह अदेय प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से ही भुगतान में कठिनाई थी। अब जैसे-जैसे वह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनको भुगतान किया जा रहा है। जहां तक धनराशि का प्रश्न है यह धनराशि कुल 14 लाख रुपये बाकी थी।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मेरी बात को सही मानते हुये, कि बलिया जिले में प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य निर्वाह निधि के 40 लाख रुपये को वहां के जिलाधिकारी ने जबरदस्ती करके और दबाव डालकर एन0एस0सी0 के खाते में जमा करवा दिया है, क्या आप इस मामले की जांच करवायेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय विधायक जी अगर लिखकर दे दें तो उस पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

*10–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में स्थित ऊसर बीहड़ अथवा बंजर भूमि को वृक्षारोपण योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना

**11—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित ऊसर बीहड़ अथवा बंजर भूमि को सफल कृषि अथवा वृक्षारोपण के योग्य बनाने हेतु भारत सरकार ने राज्य सरकार की सहायतार्थ राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है ? यदि हां, तो उक्त बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में कब कार्य प्रारम्भ किया तथा उ0 प्र0 सरकार ने अपनी कितनी-कितनी भूमि वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में बोर्ड को सुधार करने हेतु सौंपी अथवा उक्त वर्षों में कितनी-कितनी भूमि सुधार करने हेतु उक्त बोर्ड ने क्या क्या सहायता की? इन दो वर्षों में बोर्ड के माध्यम अथवा सहायता से उ0 प्र0 में कितनी कितनी भूमि का उद्धार हो चुका है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना परती भूमि में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण करके इसका विकास करने हेतु की गयी है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1985 में कार्य आरम्भ किया है, बोर्ड द्वार परती भूमि के सुधार का कार्य स्वंय क्रियान्वित नहीं किया जाता। अतः उसे सुधार हेतु भूमि सौपने का प्रश्न नहीं उठता।

बोर्ड द्वारा वर्ष 1985—86 तथा 1986—87 में प्रदेश को निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई:—

	वर्ष 1985-86 (लाख रुपए)	वर्ष 1986-87— (लाख रुपए)
विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग को	285.72	336.97
टीचर्स नर्सरी ट्रेनिंग के लिए वन विभाग को ..	..	0.30
स्वैच्छिक संस्थाओं को पौधारोपण तथा पौधशाला स्थापना हेतु ..	5.36	28.46
योग ..	291.08	365.73

बोर्ड की सहायता से प्रश्नगत दो वर्षों में निम्नानुसार परती भमि का विकास किया गया—

	वर्ष 1985-86 (क्षेत्रफल है0 में)	वर्ष 1986-87 (क्षेत्रफल है0 में)
वन विभाग द्वारा ..	11815	9175
स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ..	225	63.00
योग ..	12040	9238

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आपको ज्ञात ही है कि परती भूमि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अभिशाप है। जब राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई, तो उस समय हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी और राष्ट्र से वायदा किया था कि 5 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष विकसित की जायेगी इस बोर्ड के माध्यम से। उस अनुपात में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर भूमि न सही 10 लाख हेक्टेयर भूमि को विकसित होना चाहिए था। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं, उसमें 1985–86 में कुल 12 हजार तथा 1986-87 में 9 हजार हेक्टेयर भूमि की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस वायदे के अनुरूप परती भूमि को विकसित किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करेंगे ताकि प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर भूमि का विकास हो सके?

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, हमारा प्रयास निरन्तर जारी है। इसके साथ ही साथ परती भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से इसका विकास भी सम्भव है, यदि आप जैसे उदार व्यक्ति इस कार्य में सहयोग दें तो हमें बड़ा बल मिलेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुझसे अपेक्षा की है सहयोग देने के लिये, मेरा सहयोग तो बराबर है और मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। मैंने तो केवल इतना पूछा था कि माननीय मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से इस संबंध में अधिक सहायता मांगने हेतु निवेदन करेंगे। यदि मंत्री जी कर सकते हैं तो हां कहें अन्यथा नहीं कह दें। इसका उत्तर आप मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बरार जी अर्ज कीजिए वह आपको उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

फिर ठीक है। मैं बैठ जाता हूं।

श्री मिश्रसेन–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परती, बंजर और ऊसर जमीन के सुधार का जो काम बोर्ड कर रहा है, क्या माननीय मंत्री जी राजस्व विभाग को निर्देश देंगे कि वह ऐसी जमीन के आंकड़े जिलेवार बोर्ड को उपलब्ध करा दें और जिला प्रशासन ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने में अपना पूरा योगदान दे?

श्री राम अवतार दीक्षित–

बिना राजस्व विभाग के परती भूमि के आंकड़े जानने का हमारे पास और कौन सा माध्यम है? वही माध्यम है उसी के माध्यम से जानकारी करते हैं और वृक्षारोपण आदि का जो कार्य है, वह तभी किया जाता है जब राजस्व विभाग से सूचना मिल जाती है।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जो बड़ी नदियां हैं-गंगा, घाघरा, सरयू और टौंस इनके दोनों किनारों का बहुत बड़ा भाग दियरा और परती भूमि के रूप में विकसित हो गया है, क्या माननीय मंत्री जी इसका आगणन मंगाकर इसे बोर्ड को सौंपने की जिम्मेदारी लेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आतार दीक्षित–

माननीय सदस्य कृपया उत्तर को देख लें। यह बोर्ड ऊसर और परती भूमि के लिये बना है, जिस भूमि का आप वर्णन कर रहे हैं, उसको ऊसर नहीं कहा जा सकता।

श्री गौरी शंकर भइया–

मैंने दियरा और परती भूमि के लिये कहा है, अब आप दियरा जानते ही नहीं हैं तो हम क्या करें?

वाराणसी जनपद में वरुणा नदी के किनारे वनस्पति-उद्यान बनाने की योजना पर विचार

*12–श्री सुरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में शहर के पश्चिमी भाग पर वरुणा नदी के किनारे किसी वनस्पति-उद्यान बनाये जाने की योजना पिछले पांच साल से सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो वर्तमान समय में योजना किस दशा में है? क्या सरकार इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

वाराणसी जनपद की ऐसी कोई योजना वन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

आगरा विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय कोर्स का छात्रों द्वारा विरोध

*13–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं में जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं उनमें त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का छात्रों ने विरोध किया है और दिसम्बर, 1987 और जनवरी, 1988 में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है? यदि हां, तो क्या शासन ने छात्रों की मांग स्वीकार की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने अपने मूल प्रश्न में सीधा सवाल पूछा है कि क्या आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के छात्रों ने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने का विरोध किया है? माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं "जी नहीं", पहले तो इसे स्पष्ट कर दें। इसी के साथ था कि क्या छात्रों ने हड़ताल की थी? तो मैं "जी नहीं" को किस रूप में समझूं? यह "जी नहीं" हड़ताल के सम्बन्ध में है या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में है? आगरा विश्वविद्यालय में डिग्री कक्षाओं में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का सम्बद्ध कालेजों में विशेष विरोध हो रहा है। इसको देखते हुए क्या अगले सत्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू नहीं करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, परम आदरणीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है मान्यवर, उन्होंने कहा है कि आगरा जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं में जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं तथा उनमें त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का छात्रों ने विरोध किया है और दिसम्बर, 1987 और जनवरी, 1988 में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है। यह प्रश्न आपने किया था और उसके सन्दर्भ में मैंने जो उत्तर दिया है कि "जी नहीं" मैंने इस संबंध में आगरा यूनीवर्सिटी से पूछा था, वहां से जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों द्वारा आगरा जनपद में सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों ने त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का विरोध नहीं किया है और यह भी सूचित किया गया है कि छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार भी नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा कि माननीय वर्मा जी बहुत चिन्तित हैं और उनकी चिन्ता को दूर करने की शासन की जिम्मेदारी है त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के इसी के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शासन के इसमें कोई निर्देश चलते नहीं हैं। यू0 जी0 सी0 ने एक्ट के तहत यह निर्देश दिया। यूनीवर्सिटी एक आटोनमस बाडी है और एकेडेमिक मैटर्स में निर्णय लेने का पूर्णरूप से उनको अधिकार है, वह स्वतंत्र है। आगरा यूनीवर्सिटी ने यह भी बताया कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स अभी चालू नहीं हुआ है, अगले वर्ष से उसे यहां चालू करने जा रहे हैं। उनका पाठ्यक्रम वगैरह तैयार है। मान्यवर, मैं थोड़ा आपका रुझान चाहूंगा कि डाक्टर दिनेश जौहरी, मा0 सदस्य ने यह त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत एक सूचना दे रखी है और सम्भवतः उस पर एक घण्टे की चर्चा की आपने अनुमति भी दी है तो और भी इस सम्बन्ध में जो आशंकायें हैं वह उस समय स्पष्ट हो जायेंगी, मैं तो यही समझता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जो आगरा विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के विरोध न होने की बात कही है तो उन्होंने इस सम्बन्ध में जो सूचना केवल क्यों आगरा विश्वविद्यालय से ही मंगायी ? आगरा में जितने भी डिग्री कालेजेज हैं, सभी में इस बात का विरोध हो रहा है और वहां के समाचार-पत्रों में आये दिन इस तरह के समाचार विस्तृत रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। आपने सूचना विभाग के कार्यालय से, जहां सभी समाचार पत्रों से संबंधित सूचना रहती है, क्यों नहीं सूचना को मंगाने का प्रयास किया ? जिलाधिकारी से क्यों नहीं पूछा ? क्या अब आप इस सम्बन्ध में स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे ? यह त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स नयी पीढ़ी के नौजवान विद्यार्थियों को रोजगार नहीं दे रहा है और बल्कि उनका अतिक्रमण कर रहा है। कम से कम नौजवान पीढ़ी के हित में आप यू0 जी0 सी0 से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय राणा जी ने जो बात कही है, कोई खबर अखबारों में छपा हुई तो विधान सभा में अखबार ने क्या कहा है ? इसे संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

आपने कहा है कि आगरा विश्वविद्यालय से क्यों सूचना मांगी ? तो जहां से सम्बन्धित यह सूचना थी, वहीं से मैंने मंगायी । अब आप कह रहे हैं दूसरी जगह से सूचना मंगाने को, तो वहां से भी सूचना मंगा ली जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी माननीय मंत्री जी ने शासन की नीति के सम्बन्ध में आगरा विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में जो बात कही है उसी के सम्बद्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इस बात से आन्दोलित हैं और वे मांग कर रहे हैं कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अभी लागू न किया जाय । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में शासन पुनर्विचार करने पर विचार कर रहा है, साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि थ्री इयर्स डिग्री कोर्स पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसके लागू करने के कारण क्या हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, हमारे परम आदरणीय मित्र माननीय गुप्ता जी ने जो प्रश्न किया है और इस प्रश्न में जो सूचना मा0 वर्मा जी ने मांगी है, से भिन्न है, फिर भी मैं बताने की चेष्टा करूंगा । वैसे मान्यवर, मैं इस बात को पहले भी अपने उत्तर में कह चुका हूं परन्तु फिर मैं अपनी उसी बात को बलपूर्वक दोहराना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई निर्देश शासन देने में सक्षम नहीं है। यू0 जी0 सी0 एक्ट, 1956 की धारा 26(1)(एफ) के अन्तर्गत जो प्राविधान हैं, उसी के तहत, विश्वविद्यालय आटोनोमस बाडीज हैं, उन्हें यह सब लागू करने के स्वयं अधिकार हैं, शासन इस संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दे सकता है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहूंगा कि यह पाठ्यक्रम लागू करने से पूर्व क्या मा0 मंत्री जी ने उन विश्वविद्यालयों से इस बात की जानकारी कर ली है कि इसके लिए जिन उपकरणों, प्रयोगशालाओं, सेलेबस आदि जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, समुचित व्यवस्था कर ली गयी है यदि नहीं तो इस कोर्स को लागू कर पाना कैसे सम्भव हो सकेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं अर्ज कर दूं कि यह पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटीज की इच्छा पर निर्भर है, इसमें शासन का कोई दखल नहीं है जब यह सारी चीजें उनके लिए उपलब्ध हो जाती हैं, तो वह इसे अपने यहां लागू कर लेते हैं और इसकी सूचना वह यहां भेज देते हैं। इस प्रकार 14 में से 12 यूनिवर्सिटीज ने अपने यहां लागू कर लिया है और साथ ही उन्हीं लोगों ने यह सूचना भी भेजी है कि पुनर्गठित पाठ्यक्रम बहुत सी जगह लागू हो गया है और कुछ जगहों पर लागू होने जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मा0 मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि शिक्षा के विषय में जैसा कि आपने बताया कि यह विश्वविद्यालय एक आटोनोमस बाडीज हैं, परन्तु शासन इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान करता है और दूसरी तरफ आप बार-बार सीमित साधनों का भी रोना रोते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से आप नई नियुक्तियां भी नहीं कर पा रहे हैं और छात्रों में भी बराबर असन्तोष चल रहा है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन यूनिवर्सिटीज को यह संस्तुति करेगी कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह थ्री इयर्स डिग्री कोर्स न लागू किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय अब समाप्त होता है।

(शोर)

उ0 प्र0 में तेंदू की पत्ती को एकत्रित करने का कार्य वन निगम के स्थान पर ठेकेदारी प्रथा पर देने तथा वर्ष 1985 में इस पर हुए घाटे के विषय में जानकारी

*14–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में तेंदू की पत्ती को एकत्रित करने का कार्य वन निगम के स्थान पर ठेकेदारी प्रथा पर चालू कराने का प्रस्ताव है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम को तेंदू के पत्ते के व्यवसाय में वर्ष 1985 में कितना घाटा हुआ और घाटे का कारण क्या था?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1985 में संग्रहीत तेंदू पत्ता के व्यापार में वन निगम को रुपये 73.899 लाख का घाटा हुआ । घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1–मौसम खराब होने के कारण कम मात्रा में तेंदू पत्ता का संग्रहण होना ।

2–लौगिंग कार्य में कमी होने के कारण उत्पादन उपरिव्यय में वृद्धि ।

राजकीय व अशासकीय मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान में विसंगति का निराकरण

*15–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय व अशासकीय मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में (इण्टर बी0 टी0 सी0/जे0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0) अध्यापकों के वेतन मान में भारी विसंगति है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों के उपरोक्त इण्टर प्रशिक्षित अध्यापकों को भी अशासकीय मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालय के ही अध्यापकों के समान वेतन मान देकर इस विसंगति को दूर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

राजकीय एव अशासकीय बालक विद्यालयों में इण्टर बी0 टी0 सी0/जे0 टी0 सी0 वेतनमान में मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र में कोई विसंगति नहीं है, किन्तु राजकीय कन्या विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के बी0 टी0 सी0/जे0 टी0 सी0 वेतनमान में विसंगति है।

वेतन समिति के प्रतिवेदन पर शासन के निर्णयोपरान्त यदि विसंगति बनी रही तो विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के लिए भवन निर्माण की योजना

*16–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1987 तक प्रदेश में कितने ऐसे प्राइमरी पाठशाला हैं जो भवन विहीन हैं अथवा उनके भवन जर्जर हालत में है, उनमें छतें नहीं हैं, बच्चों के बैठने का भी स्थान नहीं है? क्या सरकार की कोई योजना है कि इन टूटे हुए भवनों को कितने दिन में बनवा देंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

लगभग 14,000 विद्यालय भवनहीन है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1990 तक सभी भवनहीन विद्यालयों के भवन बनवाने का विचार है।

राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को समयबद्ध वेतन देने का प्राविधान

*17–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक राजकीय कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी दस वर्ष की सेवा के उपरान्त समय-बद्ध वेतनमान ग्रेड देने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक राजकीय कर्मचारी हैं किन्तु इनकी स्थिति अन्य राजकीय कर्मचारियों से भिन्न है।

जी नहीं।

राजकीय कर्मचारियों को सामान्यतः समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य नहीं है।

जिला परिषद् अधिकारियों द्वारा फर्जी रसीद जारी कर शेष धनराशि के कथित घपले की जांच

*18–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद-रायबरेली रोड पर स्थित बाजार मिल्कीपुर एवं कुचैरा क्रमशः रु0 5005 एवं रु0 10005 की बोली पर छूटी थी किन्तु जिला परिषद् के अधिकारियों द्वारा क्रमशः 1005 एवं रु0 2005 की रसीदें काटकर शेष धनराशि हड़प कर ली गयी? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बाजार मिल्कीपुर और कुचेरा की तहबाजारी की नीलामी क्रमशः 4705 रु0 और 10005 रु0 में हुई जिसमें से क्रमशः 3500 रु0 और 10005/- वसूल हो गये हैं किसी धनराशि का घपला नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गांधी मिशन एम0 एम0 के0 डी0 इण्टर कालेज, मोहान, उन्नाव में सी0 टी0 ग्रेड में हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में

*19–श्री मूलचन्द–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मिशन एम0 एम0 के0 डी0 इण्टर कालेज, मोहान, उन्नाव में फरवरी, 86 से सी0 टी0 ग्रेड अध्यापकों के चयन हेतु साक्षात्कार में आरक्षित पद उपलब्ध होने पर भी सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी? क्या यह भी सही है कि मा0 हाई कोर्ट लखनऊ खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 11-2-86 के निर्णय में सफल हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश भी दिये थे? यदि हां, तो संबंधित अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति न किये जाने के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

फरवरी, 1986 से सी0 टी0 वेतनक्रम में कोई भी पद रिक्त नहीं हुआ। अतः सी0 टी0 वेतनक्रम में कोई नियुक्ति नहीं की गई।

जी हां, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11-2-86 में यह आदेश दिया था कि विद्यालय में सी0 टी0 वेतनक्रम में, रिट याचिका प्रस्तुत करने वाले अनुसूचित जाति के दो अभ्यर्थियों श्री राधेश्याम तथा श्री गुरप्रसाद को वर्तमान रिक्तियों अथवा भविष्य में होने वाली रिक्तियों में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जाय।

चूंकि फरवरी, 1986 से इस विद्यालय में अब तक सी0 टी0 वेतनक्रम में कोई रिक्तियां नहीं हुई, अतः नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में समान शिक्षण कोर्स का लागू किया जाना

*20–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के समान ही शिक्षण कोर्स तथा शिक्षा का माध्यम विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित तत्समान विद्यालयों में भी वह लागू कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में समान शिक्षण कोर्स है तथा अधिकांशतः शिक्षा का माध्यम एक ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वैसा करने की वांछनीयता स्पष्ट नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में निःशुल्क बोरिंग एवं पम्प सेट का लगाया जाना

1–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के कितने निःशुल्क बोरिंग पर पम्प सेट लग चुके हैं तथा उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन हो गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विगत वर्ष 1986-87 में जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 41 निःशुल्क बोरिंग पर पम्पसेट लग चुके हैं तथा 10 मामलों में अनुदान का समायोजन हो गया है।

जनपद मिर्जापुर के सिटी ब्लाक के ग्राम गुरसण्डी के प्रधान के विरुद्ध सदस्य विधान सभा श्री महेन्द्र भाटी के शिकायती पत्र पर जांच आख्या

2–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत राज निदेशालय के पत्र संख्या 3/सं0सा0 वि0/31-3-86-3/269/29/85, दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 के द्वारा जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लाक के ग्राम गुरसण्डी के प्रधान के खिलाफ गम्भीर शिकायतों संबंधी श्री महेन्द्र भाटी, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर जांच आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक जांच आख्या प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ? इसके विलम्ब के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त जांच कराकर उक्त प्रधान एवं विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

पंचायती राज निदेशालय के पत्र संख्या : 3/म0 सा0 वि0/31/86-3/2697 29/85 दि0 9 अप्रैल, 86 द्वारा जांच आख्या मांगी गई थी। प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्रासंगिक प्रकरण में अनुस्मारक है। वस्तुतः जांच मा0 उपाध्यक्ष विधान सभा उ0 प्र0 के पत्र दि0 21-3-86 के साथ प्राप्त मा0 विधायक सर्वश्री चन्द्रभान मौर्य, अनुग्रह नारायण सिंह आदि के शिकायती पत्र के आधार पर की गई, श्री महेन्द्र सिंह भाटी मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में भी वही शिकायतें हैं।

जांच आख्या प्राप्त हो गई है।

जांच में विलम्ब हेतु दोषी अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद् तथा नायब तहसीलदार, पहाड़ी को कठोर चेतावनी देकर प्रताड़ित कर दिया गया है। संबंधित प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

नसबन्दी आपरेशन से प्रभावित श्री बच्चू लाल श्रीवास्तव प्राइमरी पाठशाला शिवपुरा, जनपद गोण्डा के आश्रितों को सेवा में लिया जाना

3—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की बलरामपुर तहसील में प्राइमरी पाठशाला शिवपुरा में श्री बच्चू लाल श्रीवास्तव ने वर्ष 1976 में नसबन्दी आपरेशन अभियान के अन्तर्गत विभागीय दबाव द्वारा नसबन्दी कराया जिससे बाद में उनकी दोनों आंखें प्रकाशहीन हो गईं और वह अन्धे हो गये जिसके तहत जिला बेसिक शिक्षाधिकारी गोण्डा ने बच्चू लाल श्रीवास्तव को अन्धा करार देकर नौकरी से मुक्त कर दिया ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के अन्तर्गत उनके पुत्र या पुत्री को सेवा में लेने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री बच्चू लाल श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 1976 में स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन कराया था ।

मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार नसबन्दी के कारण दोनों आंखें प्रकाशहीन नहीं हुईं । दोनों आंखें प्रकाशहीन होने से सेवा समाप्त की गई है ।

सेवा से पृथक कर्मचारी आश्रित को सेवा में लेने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना ।

4—श्री पुष्कर सिंह राँथाण—

क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने अपने पत्र सं0 947 दिनांक 3-7-85 के द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 इलाहाबाद को यह सूचित किया था कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के कतिपय प्रधानाध्यापक/अध्यापक ऐसे हैं, जिन्हें अपने कनिष्ठ प्रधानाध्यापक/अध्यापकों से कम वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो इस कार्य में विलम्ब के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वेतन विसंगति को तुरन्त दूर करने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । यह वेतन विसंगति उनके अपने विकल्प अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 22 बी का लाभ वेतन निर्धारण में न मिलने के कारण ही प्रश्नगत नियम उन पर लागू नहीं है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जनपद में अधिकारियों द्वारा मार्ग निर्माण में धांधली

6–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से सिन्धौरा मार्ग और वाराणसी के आजमगढ़ रोड के मध्य से मिलाने वाली अहिरौली ग्राम के पास से सुलेमापुर, भटपुरवा कलां, कोहाली होकर गोसाईंपुर जाने वाली रोड का निर्माण कार्य ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई तथा कितना धन आवंटित किया गया? क्या यह सच है कि उक्त मार्ग के निर्माण में व्यापक रूप से धांधली की जा रही है, स्वीकृत धन संबंधित अधिकारियों द्वारा आहरित किया जा रहा है तथा मेटेरियल का प्रयोग मानक से कम किया जा रहा है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

वर्ष 85-86 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 18-6-85 को विकास खण्ड हरहुआ के अन्तर्गत सिधौरा रोड से अहिरौली, सुलेमापुर, भटपुरवा, गोसाईंपुर होते हुए आजमगढ़ रोड तक 8 किमी0 मार्ग पर मिट्टी का कार्य स्वीकृत किया गया। वर्ष 86-87 में उक्त मार्ग पर अभिकरण द्वारा 3 किमी0 मार्ग पर खड़न्जा निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया । उक्त मार्ग पर मिट्टी के कार्य हेतु 1-63 लाख रुपये का 108-6 एम0 टी0 खाद्यान्न तथा खड़न्जा कार्य हेतु 3 लाख रुपये नकद व 0-60 लाख रुपया 40-00 मी0 टन खाद्यान्न अवमुक्त किया गया ।

जी नहीं ।

स्वीकृत धन संबंधित अधिकारियों द्वारा आहरित किया जा रहा है तथा मैटिरियल का प्रयोग मार्ग के अनुरूप मानक के अनुसार ही किया गया है।

श्री बाबू लाल गार्ड के बकाया वेतन का भुगतान तथा स्थायीकरण हेतु माननीय वन राज्य मंत्री के आदेशों पर कृत कार्यवाही

7–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू लाल सिंह रोड गार्ड जो पहले माली के पद पर मस्टर रोल में उत्तर वन प्रभाग गोंण्डा में 1974 से कार्यरत थे और

जिन्हें 1985 में सेवा से अलग कर दिया गया, के बकाया वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के वेतन भुगतान एवं स्थायी नियुक्ति हेतु वन राज्य मंत्री ने दिनांक 15-7-85, 12-8-85, 5-9-85, 18-12-85 व 19-2-86 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री बाबू लाल सिंह उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में माली के पद पर मस्टर रोल में 1974 से कार्यरत नहीं थे और न ही इन्हें 1985 में सेवा से अलग किया गया है । श्री बाबू लाल सिंह ने उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में मई, 1980, जुलाई, 1980, अप्रैल, 1982 मई, 1982 में एवं जुलाई, 1982 से नवम्बर, 1982 तक, जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1983 तक तथा नवम्बर, 1983 से 28-7-1984 तक दैनिक मजदूरी पर रोड गार्ड/रोड माली का कार्य किया । उक्त अवधि के वेतन का पूरा भुगतान उनको किया जा चुका है और कोई भुगतान शेष नहीं है ।

जी हां ।

श्री सिंह के समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है । जहां तक स्थायी नियुक्ति का प्रश्न है श्री सिंह के विरुद्ध पुलिस द्वारा वर्ष 1984 में भारतीय दण्ड संहिता की दफा 379 में मुकदमा कायम किये जाने के कारण इन्हें आगे राजकीय सेवा में लगाना उचित नहीं समझा गया अतः इन्हें स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शिक्षा विभाग द्वारा बरेली में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण हेतु देय धन की वापसी

8–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत स्वीकृत विद्यालय तथा भवन कौन-कौन से हैं, इनके लिए धन की स्वीकृति तथा आवंटन कब-कब हुआ तथा इनका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से चेक वापिस मंगाने के उपरान्त विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य करने हेतु कब कहा ? इस मामले में वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा धन का अवमुक्त कराने के पश्चात् निर्माण कार्य पूरा कराने में जो देर लगी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा शासन ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है तथा इन भवनों का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

17 प्राइमरी स्तरीय एवं 7 मिडिल स्तरीय स्कूलों की सूची संलग्न है ।

दिनांक	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत भवन
1— 29-3-85	251200/-	2 जू0 हा0 स्कूल
2— 12-6-84	628000/-	5 जू0 हा0 स्कूल
3— 31-5-84	964600/-	14 प्राइमरी स्कूल
4— 29-3-85	206700/-	3 प्राइमरी स्कूल

दिनांक 1-1-86 को तथा 21-1-86 को धन सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण किया गया, किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग, ने निर्माण कार्य करना अस्वीकार किया, निर्माण कार्य अस्वीकृत करते हुए धन को पुनः वापस कर दिया । इसलिए आंशिक रूप से निर्माण इकाई विलम्ब के लिए उत्तरदायी है तथा विद्यालय चयन, धन स्थानान्तरण करने में अधिक समय लगने से विलम्ब हुआ है ।

शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है ।

आवंटित धनराशि पी0 एल0 ए0 में जमा है, जिसका आहरण शासनादेश से प्रतिबन्धित है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 155 पर)

जनपद बस्ती में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों पर हुए कार्य एवं व्यय का ब्योरा

9—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती के वि0 क्षेत्र बस्ती सदर में जनता सरकार के कार्यकाल 1977 से 80 तक किन-किन सड़कों पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितना कार्य हुआ था, कितना भुगतान हुआ ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र बस्ती सदर में वर्ष 1977 से 80 तक खाद्यान्न योजनान्तर्गत सड़कों पर हुए कार्यों तथा उस पर व्यय विवरण तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 156—157 पर)

खण्ड विकास अधिकारी बस्ती, सदर द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की सूचना

10—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वि0 क्षे0 बस्ती सदर जिला बस्ती में 1984-85 व 1985-86 तथा 1986-87 में कौन-कौन सड़क पर मिट्टी का कार्य तथा कौन-कौन पुलिया कितना-कितना खड़ंजा खण्ड विकास अधिकारी वि0 क्षेत्र बस्ती सदर द्वारा निर्माण कराया गया ? प्रत्येक कार्य पर कितना-कितना रुपया खर्च हुआ तथा कितना काम पूरा हुआ, कितना शेष है ? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र बस्ती सदर में वर्ष–1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में खण्ड विकास अधिकारी बस्ती सदर द्वारा सड़कों पर कराये गये मिट्टी कार्य, पुलियां तथा खड़ंजा निर्माण कार्य एवं प्रत्येक कार्य पर हुए व्यय, किये गये कार्य तथा अवशेष कार्यों का पूरा विवरण माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

11–श्री कौशिक रमाशंकर–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला ग्राम विकास अभिकरण के शासकीय निकाय द्वारा मार्ग की स्वीकृति की जानकारी

12–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले सोमवार का श्री अर्जुन सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 126 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा कब तक स्वीकृत कर लिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का शासकीय निकाय (गवर्निंग बाडी) मार्ग स्वीकृत करने में स्वयं सक्षम है। शासन स्तर से कोई आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद् हरदोई के अध्यापकों/कर्मचारियों के बीमा फण्ड व पारिवारिक पेंशन फार्म का भराया जाना

13–श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री परमाई लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् हरदोई के अध्यापकों/कर्मचारियों के बीमा फण्ड व पारिवारिक पेंशन के नामिनी फार्म्स उनसे भरवाकर सेवा पुस्तिकाओं में नहीं लगाए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री जी उक्त नामिनी फार्म्स न भराने के लिए दोषी अधिकारी व कर्मचारी को दण्डित करने एवं उक्त फार्म्स भराकर सेवा पुस्तिकाओं में लगवाने के आदेश अविलम्ब प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

बेसिक शिक्षा परिषद् हरदोई के अध्यापकों के बीमा नामिनी फार्म भरवा दिये गये हैं। शेष मदों के फार्म भराने की प्रक्रिया जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का मण्डल के बाहर स्थानान्तरण

14—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर स्थित शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय में कार्यरत 10 वर्ष से अधिक कितने लिपिक हैं ? उन्हें मण्डल के बाहर स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी लिपिकों का स्थानान्तरण तुरन्त करने का आदेश देंगे जो गोरखपुर शहर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में कुल 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

19 लिपिक ।

मण्डल के बाहर स्थानान्तरण हेतु नियमों में कोई विशिष्ट प्राविधान न होने तथा इसकी प्रशासनिक अनिवार्यता न होने के कारण ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्थानान्तरण जनहित में आवश्यकतानुसार नियमान्तर्गत किये जाते हैं ।

गोरखपुर राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय के सहायक अध्यापकों के दक्षता रोक एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के लम्बित मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर के सहायक अध्यापिकाओं के दक्षता रोक एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का मामला अनेक वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी-कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, तीन अध्यापिकाओं के दक्षतारोक एवं वार्षिक वेतनवृद्धि 1-7-1986 से तथा एक अध्यापिका की वेतन वृद्धि 1-1-1987 से लम्बित है ।

इन अध्यापिकाओं के वेतनमान व वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की वक्फ की जमीन पर बाजार लगवाकर पैसा हड़पने के संबंध में पत्र एवं जांच

16—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने वक्फ की जमीन ग्राम सभा मुडियां बाजार खुटहा महराजगंज जनपद गोरखपुर पर बाजार लगवाने और इसका पैसा हड़पने से संबंधित पत्र 31 दिसम्बर, 86 को दिया था ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत मामले में माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1987 एवं उसके साथ संलग्न श्री फिरोज अहमद एवं अन्य का शिकायती पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 शासन को प्राप्त हुये हैं । मामले की जांच करायी गयी, जिससे आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

17–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

18–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कनिष्ठ लिपिक ग्रामीण अभियन्त्रण कार्यालय गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

19–श्री विष्णु देव तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने दिनांक 14-10-87 को (श्री के0 एन0 सिंह) कनिष्ठ लिपिक ग्रामीण अभियन्त्रण कार्यालय गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो मुख्य आरोप कौन-कौन से हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

उक्त पत्र में श्री के0 एन0 सिंह वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति में अनियमितता, सरकारी धन का दुरुपयोग एवं इनकी निजी सम्पत्ति आदि के बारे में आरोप लगाये गये हैं। श्री के0 एन0 सिंह की नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई थी। सरकारी धन के दुरुपयोग एवं उनकी निजी सम्पत्ति के बारे में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर द्वारा जांच कराई जा रही है?

जनपद आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

20–श्री विष्णु देव तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने दिनांक 9-7-87 एवं 4-8-87 को अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आजमगढ़ के विरुद्ध निश्चित आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या-क्या हैं और उन आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उ0 प्र0 सचिवालय में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को मूल विभाग में वापस किया जाना

21—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा विभाग में उप सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद पर कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनकी डेपुटेशन की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गयी है परन्तु वे अभी तक सचिवालय में ही कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा विभाग में उप सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत शिक्षा सेवा/सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सैदपुर, जिला बाराबंकी में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निःशुल्क बोरिंग के नाम पर फर्जी तौर पर पैसे का भुगतान एवं उसकी जांच

22—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी विकास क्षेत्र मवई अन्तर्गत गांव सैदपुर के निवासी श्री राम फेर पुत्र श्री भवानी भीख तथा नरसिंह पुत्र राम आसरे के नाम फर्जी तौर से खण्ड वि0 अधिकारी ने फ्री बोरिंग दिखाकर निःशुल्क बोरिंग के नाम पर सन् 1986-87 में पैसे का भुगतान करा दिया है जबकि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की बोरिंग अब तक नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस प्रकरण में अपेक्षित यथोचित जांच कराई जा रही है।

सिंचाई विभाग, जिला बाराबंकी के निलम्बित श्री धनश्याम सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता दिलाया जाना

23—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी स्थित विकास खण्ड मवई में कार्यरत अवर अभियंता अल्प सिचाई (श्री धनश्याम सिंह) जून, 1987 से अब तक निलम्बित हैं और उन्हें निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता जो शासन द्वारा देय होता है, नहीं दिया गया है जिससे उनके सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड मवई, जिला बाराबंकी के अवर अभियन्ता अल्प सिंचाई के बकाये वेतन का भुगतान

24—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी स्थित विकास खण्ड मवई में कार्यरत अवर अभियन्ता अल्प सिंचाई (श्री घनश्याम सिंह) को वर्ष मई, 86 से मई सन् 87 तक लगभग एक वर्ष का वेतन नहीं मिला है ? वेतन रोकने का कारण क्या है ? क्या वेतन रोकने वाले अधिकारी के खिलाफ मंत्री कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वरिष्ठ प्रवक्ता, सीमेन्ट फैक्ट्री इन्टरमीडिएट कालेज, कजरहट चुनार, मिर्जापुर को प्रधानाध्यापक का कार्य-भार दिया जाना

25—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त सीमेन्ट फैक्ट्री इन्टरमीडिएट कालेज, कजरहट चुनार, मिर्जापुर में प्रधानाध्यापक श्रेणी-7 एवं तीन वरिष्ठ योग्य प्रवक्ताओं के कार्यरत रहते हुए बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित श्रेणी-5 के अध्यापक को प्रधानाध्यापक का कार्य भार प्रधान प्रबन्धक एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री वरिष्ठतम् प्रवक्ता श्रेणी-6 को प्रधानाध्यापक का कार्य भार देकर दोषी अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

इस समय श्री रूप नारायन यादव सहायक अध्यापक (श्रेणी-5 वेतनक्रम रु0 650-1290) जो विद्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरण में क्रमांक-6 पर हैं, प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षण, मिर्जापुर द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सीमेन्ट फैक्ट्री इन्टरमीडिएट कालेज कजरहट-चुनार मिर्जापुर में कक्षाओं का संचालन एवं वेतन का भुगतान

26— श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन द्वारा यू0 पी0 इन्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट 1921 के धारा 9 (4) के अंतर्गत इन्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की मान्यता, कक्षा संचालन की अनुमति शिक्षा सत्र 1984-85 के लिए सीमेन्ट फैक्ट्री इन्टरमीडिएट कालेज कजरहट-चुनार, मिर्जापुर को प्राप्त हो गयी है तब भी कक्षा संचालन नहीं किया जा रहा है तथा प्रधानाध्यापक सहित तीन प्रवक्ताओं को बिना कार्य किये वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा सत्र 87-88 के लिए मान्यता प्रदान की गयी है किन्तु कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है ।

प्रधानाध्यापक तथा एक प्रवक्ता को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन दिया जा रहा है। श्री आद्या प्रसाद श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक तथा श्रीमती कमल कुमारी सिंह, प्रवक्ता ने मा0 उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकायें प्रस्तुत की थी जिनमें मा0 उच्च न्यायालय ने वेतन दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये हैं, चाहे उनसे काम लिया जाय या नहीं । यह विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालय नहीं है । अतः वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबंध समिति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायकों का विनियमितीकरण

28–श्री हीरा सिंह बिष्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों का अभी तक प्राविधिक सहायक (जियालाजी) के पद पर विनियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन का और उनकी नियमित नियुक्ति प्राविधिक सहायक (जियालाजी) के पद पर किस तिथि से मानी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों का प्राविधिक सहायक (जियालाजी) के पद पर विनियमितीकरण नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू0 पू0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती का निलम्बन

29–श्री राम शरण दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती (श्री कमला पति प्रधान) को दिनांक 14-11-80 को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

श्री कमला प्रसाद प्रधान, भू0 पू0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती को शासन के आदेश संख्या-6633/15-1-10 (57)/79, दिनांक 14-11-80 द्वारा, जनपद बस्ती में अपने पद के कार्यकाल में, शिक्षा अधीक्षक के पद पर अनियमित नियुक्ति, अध्यापकों का अनियमित स्थानान्तरण, विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, अनुशासनहीनता, दुराचरण एवं कर्तव्य विमुखता आदि आरोपों के संबंध में निलम्बित किया गया था एवं सी0 सी0 ए0 रूल्स के नियम 55 के अंतर्गत नियमित विभागीय जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि उक्त विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासन के आदेश संख्या-4298/15-1-84-10(57)/79, दिनांक 24-11-84 द्वारा श्री प्रधान को सेवा से पृथक (रिमूव) किया जा चुका है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जिलाधिकारी को 20 सूत्री मांग-पत्र का दिया जाना

30–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरव्यर कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 25-9-87 को दिये गये 20 सूत्री मांग पत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से सम्बन्धित प्रमुख मांगों और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के पूर्वी सीमा पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत अवशेष कार्यों का कराया जाना

31–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अंतर्गत कितना कार्य वित्तीय वर्ष 1985-86 से 1987-88 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के पूर्वी सीमा पट्टी पर हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस सीमा पट्टी में पिचरोड, नालियों आदि की अभी भी नितान्त कमी रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इण्टर कालेजों में तैनात अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची

32–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेजों में तैनात सी0 टी0 ग्रेड (हिन्दी) अध्यापकों की पदोन्नति वर्ष 1973 में एल0 टी0 ग्रेड में हुई है ? यदि हां, तो क्या उसका अनुमोदन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उसकी कोई सूची बना ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्नगत अध्यापकों की आपसी ज्येष्ठता सूची दिनांक 6-11-87 को निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत हरिजनों को नकद ऋण देने पर विचार

33–श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत हरिजनों को दिये जाने वाले ऋण में इन्जन, बोरिंग, घोड़ा खड़खड़ा, परचून आदि का सामान दिया जाता है उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अधिक होता है? यदि हां, तो क्या हरिजनों एवं गरीबों की इस शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु नकद ऋण देने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को परिसम्पत्ति उपलब्ध कराने की निर्धारित क्रय-व्यवस्था में लाभार्थी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर यह पूरी छूट है कि वह अपना सामान (पम्पसेट/इंजन को छोड़कर) किसी भी पंजीकृत दुकान से क्रय कर सकता है। पम्पसेट के क्रय के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि लाभार्थी आई0 एस0 आई0 मार्क पम्प सेट किसी भी दुकान से क्रय कर सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि लाभार्थियों को परिसम्पत्तियां उचित मूल्य पर मिल सकें।

जहां तक नकद ऋण देने की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशानुसार ही सम्भव है, क्योंकि आई0 आर0 डी0 योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है।

जिला चमोली व पौड़ी गढ़वाल में सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेंशन, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी के भुगतान

34–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 (31 दिसम्बर, 1987 तक) जिला चमोली व पौड़ी गढ़वाल के जिला बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक सेवा निवृत्त हुए हैं और उनमें से कितने की पेंशन ग्रेच्युटी व भविष्य निधि 31 अक्टूबर, 1987 तक स्वीकृत नहीं हुई हैं और क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जनपद चमोली में 23 तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल में 45 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए हैं। केवल जनपद पौड़ी गढ़वाल में 33 अध्यापकों की पेंशन अभी स्वीकृत नहीं हुयी है। उनके आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। परिषदीय अध्यापकों को ग्रेच्युटी देने का प्राविधान नहीं है।

परियोजना निदेशक सीतापुर द्वारा ह्यूमपाइप की खरीद एवं अवैध खरीद के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना निदेशक, सीतापुर द्वारा वर्ष 1986-87 में कई लाख रुपये के ह्यूमपाइप खरीदे गये ? यदि हां, तो किस फर्म से किस दर पर तथा कुल कितने रुपये के ह्यूमपाइप खरीदे गये ? इस ह्यूमपाइप खरीद की स्वीकृति किससे तथा कब ली गयी है ? क्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को एन0 आर0 ई0 पी0 की योजनाओं की स्वीकृति देना तथा धन आवंटन करने के अलावा निर्माणार्थ सामग्री भी खरीदने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो इस अवैध खरीद के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 भूगर्भ जल संगठन में प्राविधिक सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर विचार

36—चौ0 लालता प्रसाद निषाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में प्राविधिक सहायक (जियालोजी) के कितने स्थायी पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं? इन स्थायी पदों को कब भरा जायेगा ? क्या सरकार इन प्राविधिक सहायक (जियालोजी) की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्राविधिक सहायक के स्थायी पदों पर संवर्गवार बंटवारा वर्तमान में नहीं है। अतः प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) के कोई स्थायी पद होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

37—श्री काशी सिंह एरी—

[उसी सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत वाराणसी—आजमगढ़ मार्ग पर टिसौरा से ग्राम बेनीपुर कलां से मंगोलेपुर तक मार्ग का निर्माण

38—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—वाराणसी के अन्तर्गत वाराणसी—आजमगढ़ मार्ग पर स्थित ग्राम-टिसौरा (बभनपुरवा) से ग्राम-बेनीपुर कलां होते हुए ग्राम-मंगोलेपुर तक लगभग 4 किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के लिए जिला योजना द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद–वाराणसी के अन्तर्गत वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर स्थित ग्राम टिसौरा (बभनपुरवा) से ग्राम बंनीपुर कलां होते हुए ग्राम मंगोलेपुर तक 6 किमी0 कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया है, जिस पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये की धनराशि खाद्यान्न के रूप में आवंटित की गई है। उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य मिट्टी स्तर तक पूर्ण करा लिया गया है जिस पर मु0 1,49,971.00 रुपये की धनराशि व्यय हुई है।

39–श्री हरेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना में सड़क बनाना

40–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना के ग्राम-दिलावर नगर जिसमें शत-प्रतिशत निवासी हरिजन हैं और जो मुख्य सड़क से मात्र एक फर्लांग की दूरी पर है, में सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया है जिससे वहां के निवासियों को बरसात में निकलना दूभर हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको वित्तीय वर्ष 1987-88 में बनवाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह सत्य है कि उक्त सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया है।

जी नहीं।

सार्वजनिक जमीन उपलब्ध न होने के कारण सड़क निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है।

श्री वकील अहमद प्रवक्ता को प्रधानाचार्य के पद का चार्ज देने पर विचार

41–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के डा0 एम0 ए0 अन्सारी इ0 कालेज यूसुफपुर के तत्कालीन प्रधानाचार्य मुमताज अहमद के अवकाश के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टर कालेज रेवतीपुर के प्रवक्ता वंश नरायन उपाध्याय का स्थानान्तरण अन्सारी इण्टर कालेज यूसुफपुर में मात्र इसलिए किया गया था कि वरिष्ठता के आधार पर अन्सारी इण्टर कालेज यूसुफपुर में प्रधानाचार्य का पद ग्रहण कर लें? क्या वकील अहमद प्रवक्ता अन्सारी इ0 कालेज मुमताज अहमद प्रधानाचार्य के रिटायरमेन्ट के समय इस विद्यालय में कार्यरत सभी प्रवक्ताओं में ज्येष्ठतम् थी? यदि हां, तो क्या अब जबकि वंश नरायन उपाध्याय प्रधानाचार्य के चार्ज से हटा दिये गये हैं तो मंत्री महोदय वकील अहमद प्रवक्ता को प्रधानाचार्य के पद का चार्ज ज्येष्ठता के आधार पर दिलाने की घोषणा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वंश नरायन उपाध्याय की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

42–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा वर्ष 1986 में स्थानान्तरण आदेश से डा0 एम0 ए0 अंसारी इ0 कालेज यूसुफपुर के प्रवक्ता इन्द्रासन राय को इ0 कालेज रेवतीपुर तथा इ0 कालेज रेवतीपुर के प्रवक्ता वंश नरायन उपाध्याय को अंसारी इ0 कालेज यूसुफपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया था? क्या उक्त के अनुसार वंश नरायन उपाध्याय ने अंसारी इ0 कालेज में प्रधानाचार्य का पद ज्येष्ठता के आधार पर प्राप्त कर लिया था और इस पद पर कितनी अवधि तक कार्य किया और वर्तमान समय में प्रधानाचार्य के पद पर अंसारी इ0 कालेज में कौन आसीन है? क्या उक्त इन्द्रासन राय प्रवक्ता को पुनः अंसारी स्कूल में नियुक्ति कर दिया गया है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

ज्येष्ठतम प्रवक्ता होने के नाते श्री उपाध्याय ने दिनांक 1-7-86 से 8-7-87 तक प्रधानाचार्य का कार्य किया।

विद्यालय के ज्येष्ठतम प्रवक्ता श्री नन्दकुमार लाल दिनांक 9-7-87 से प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं।

जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में।

जनपद गाजीपुर के डा0 एम0 ए0 अन्सारी इण्टर कालेज यूसुफपुर के प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण

43–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के डा0 एम0 ए0 अन्सारी इण्टर कालेज यूसुफपुर में कार्यरत इतिहास के प्रवक्ता इन्द्रासन राय का स्थानान्तरण वर्ष 86 में इण्टर कालेज रेवतीपुर में कर के वंश नरायन उपाध्याय प्रवक्ता इण्टर कालेज रेवतीपुर का स्थानान्तरण तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त अन्सारी इ0 कालेज के लिए कर दिया था? क्या उक्त स्थानान्तरण के अनुसार दोनों प्रवक्ताओं ने शिक्षण कार्य तथा परिषद् की वर्ष 1986 की परीक्षा में कार्य किया? क्या उक्त स्थानन्तरण से उक्त अन्सारी इण्टर कालेज के ज्येष्ठतम प्रवक्ता वकील अहमद की ज्येष्ठता भी प्रभावित हुई? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या आधार था?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में मान्यता प्राप्त विद्यालय को कन्या हाई स्कूल की मान्यता प्रदान कराया जाना

44–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इंदिरा नगर लखनऊ जो प्रदेश की सबसे बड़ी शहरी कालोनी है, में कोई भी मान्यता प्राप्त कन्या हाई स्कूल नहीं है? यदि हां, तो किसी विद्यालय को जो वहां पर मान्यता की शर्तें पूरी करता हो, हाई स्कूल तक मान्यता प्रदान करने के आदेश जारी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

नहीं।

क्योंकि इंदिरा नगर कालोनी के किसी कन्या जूनियर हाईस्कूल ने हाईस्कूल की मान्यता हेतु नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

एन0 आई0 ई0 पी0 के कार्यों पर प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान

45–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि एन0 आई0 ई0 पी0 के कार्यों में प्रति दिवस मजदूरी 13.50 रु0 हो गई है ? यदि हां, तो खोदी गई मिट्टी नापकर एम0 बी0 (मेज़रमेंट-बुक) के आधार पर भुगतान क्यों किया जाता है ? क्या यह सही है कि एम0 बी0 के आधार पर मजदूरी देने से 13.50 रु0 से कम या ज्यादा मजदूरी प्रतिदिन हो जाती है ? यदि हां, तो शासन की नीति मजदूरी के संबंध में क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी 13.50 रु0 प्रतिदिन है । भुगतान मिट्टी खोदने के मापन के आधार पर देने के लिए कार्यकारी विभागों ने स्थानीय व्यवस्था की है।

बेसिक जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों का मानक तथा विज्ञान, अंग्रेजी के अध्यापकों का अभाव

46–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 के बेसिक स्कूलों, जूनियर हाईस्कूलों कक्षा 6, 7 व 8 तीन कक्षाओं वाले विद्यालय में कम से कम कितने अध्यापकों का मानक है ? उन्नाव जिले में ऐसे कितने जूनियर हाईस्कूल हैं जहां यह मानक पूरा नहीं है और क्यों ? क्या मंत्री जी उन्नाव जिले के उन जू0 हाई स्कूलों की संख्या बताएंगे जिनमें विज्ञान या अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन विषयों की पढ़ाई का उक्त विद्यालयों में क्या प्रबन्ध है ?

श्री सिब्ते रजी–

जूनियर हाईस्कूलों में एक कक्षा के एक अनुभाग के लिए ड़ेढ़ अध्यापक का मानक निर्धारित है। 169 विद्यालयों में अध्यापक मानक से कम हैं।

जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद सृजित हैं पृथक से विज्ञान व अंग्रेजी के नाम से पद सृजित नहीं है।

इन विषयों का शिक्षण कार्य जूनियर हाईस्कूलों एवं स्थानीय प्राइमरी पाठशालाओं के अर्ह सहायक अध्यापकों से कराये जाने की व्यवस्था है।

राजा रूकमागढ़ क्षत्रिय इन्टर कालेज, हरदोई की भूमि से प्राप्त आय का विवरण

47–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजा रूकमागढ़ क्षत्रिय इण्टर कालेज हरदोई के पास भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है, प्रति वर्ष उससे कितनी आय होती है और वह आय किस मद में जमा की जाती है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि हरदोई के ही रफी अहमद किदवई इण्टर कालेज के नाम से कोई फार्म है जिससे प्रतिवर्ष आय भी होती है ? यदि हां, तो विगत 1985-86, 1986-87 में यह फार्म किसके नाम नीलाम किये गये तथा आय किस मद में जमा की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

राजा रूकमागढ़ क्षत्रिय इण्टर कालेज, हरदोई के पास भूमि का कुल क्षेत्रफल 23 एकड़ है। 12 एकड़ भूमि में विद्यालय भवन आदि है, शेष 11 एकड़ में रू0 7000-00 वार्षिक आय होती है जो विद्यालय के नाम पूंजी खाते में जमा की जाती है।

प्रबन्धक, रफी अहमद किदवई इण्टर कालेज, हरदोई ने सूचित किया है कि विद्यालय के नाम कृषि फार्म नहीं है। विद्यालय के नाम प्राभूत कोष के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति तालाब के रूप में एक बीघा 7 बिस्वा है जिससे वर्ष 1985-86 में रू0 900-00 तथा वर्ष 1986-87 में रू0 500-00 की आय हुई जो विद्यालय के अनुरक्षण निधि में जमा की गई है।

48–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 62 द्वारा उत्तरित]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के वर्तमान मुख्य अभियन्ता की पदोन्नति में अनियमितता की जांच

49–डा0 बंगाली सिंह, श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री कृष्ण कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के वर्तमान मुख्य अभियन्ता के वर्तमान पद पर वर्ष 1982-83 में हुई पदोन्नति में भारी अनियमितता व गड़बड़ी हो जाने की घटना प्रकाश में आयी थी जिसके कारण संबंधित सहायक, अनुभाग अधिकारी एवं विभाग के विशेष सचिव तक प्रशासनिक असावधानी हेतु दण्डित किये गये थे ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और उक्त पदोन्नति किन परिस्थितियों में हो गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता ने इस पद को पाने हेतु कुछ गलत तथ्य शासन को दिया था ? यदि हां, तो क्या शासन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री एम0 आर0 सिद्दीकी वर्तमान मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा को दिनांक 27-11-80 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते हुए तदर्थ तौर पर मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा की पद पर कार्यभार सौंपा गया था । इनकी नियमित प्रोन्नति वर्ष 1984 में हुई थी ।

1982-83 में श्री सिद्दीकी को उच्चतर पद का वेतनमान दिये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था । अन्ततः संबंधित सहायक को दण्डित किया गया एवं अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित है । स्पष्ट तथ्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि उक्त प्रोन्नतियों के संबंध में मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई गलत सूचना दी गई थी अथवा नहीं ।

प्रदेश के ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

50–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत स्कीम के प्रारंभ के वर्ष से लेकर वर्ष 86-87 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा वर्ष 87-88 एवं 88-89 हेतु क्या-क्या प्रस्तावित है ? इस योजना में बरेली जनपद के लिए कम प्राविधान करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि भारत सरकार से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति पर निर्भर करती है । यह सदैव संभव नहीं होता कि आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के लिए आवंटित संसाधन सभी जनपदों को समान रूप से विभाजित किये जायें । तथापि इन संसाधनों को एक तर्क संगत आधार पर विभिन्न जनपदों को आवंटित करने की चेष्टा की जाती है ।

स्कीम के प्रारम्भ से वर्ष 1987-88 तक संसाधनों के जनपदवार आवंटन का विवरण मेरे कक्ष में माननीय सदस्य देख सकते हैं । वर्ष 1988-89 के लिए अभी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं ।

बरेली जनपद के लिए विगत वर्षों में किये गये प्राविधान सापेक्षता की दृष्टि से कम नहीं है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय एवं किसान राष्ट्रीय इण्टर कालेज प्रतापगंज, जिला जौनपुर में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत की जांच

51—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय प्रतापगंज जिला—जौनपुर एवं किसान राष्ट्रीय इण्टर कालेज प्रतापगंज जिला जौनपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में जांच हेतु प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दि0 8-4-87 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

मुख्य शिकायतें फर्जी पद सृजन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान का अनियमित रूप से उपयोग, प्रबन्ध समिति के चुनाव तथा दो लिपिकों की फर्जी स्टेटमेन्ट के आधार पर नियुक्ति से संबंधित हैं, जिनके बारे में जांच कराई जा रही है ।

लखनऊ के विकास खण्डों के परिसीमन एवं विकास खण्ड की स्थापना के संबंध में कार्यवाही

52—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्डों में पुनः परिसीमन कराने तथा नगराम कस्बे में एक विकास खण्ड की स्थापना किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण परिसीमन करके नये विकास खण्ड सृजित किया जाना सम्भव नहीं है।

किसान राष्ट्रीय इण्टर कालेज प्रतापगंज, जौनपुर की प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रों की छात्रवृति का दुरुपयोग

53—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के किसान आदर्श राष्ट्रीय इण्टर कालेज, प्रतापगंज में वर्ष 1980 से अब तक प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य पर नाजायज दबाव डाल कर छात्रनिधि खाते के धन का प्रयोग स्वयं के हित में तथा अन्य मदों में किया ? यदि हां, तो क्यों ? इस दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 में सामुदायिक भवनों की संख्या तथा धन का खर्च

54—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 86-87 व 1987-88 में कुल कितने सामुदायिक भवन उ0 प्र0 में बनाये गये हैं और इन पर कितना खर्च आया है, कितने और भवन इसी योजना में प्रस्तावित हैं ? क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद इन भवनों का उपयोग अभी तक शासन सुनिश्चित नहीं कर सका है और करोड़ों की परिसम्पत्ति बेकार हो रही है ? यदि हां, तो इस अनुत्पादक व्यय का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1986-87 में 1701 सामुदायिक विकास केन्द्र निर्मित किये जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मार्च 1987 तक 539 केन्द्र पूर्ण हो चुके थे। केन्द्रों के निर्माण पर कुल 842.79 लाख रुपये खर्च हुआ है। वर्ष 1987-88 में प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 74 सामुदायिक विकास केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं। निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्रों को अब तक किस उपयोग में लाया गया कि सूचना अभी जनपदों से प्राप्त नहीं हुई है।

55—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

56—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद-गाजीपुर के विकास खण्ड-सैदपुर के अन्तर्गत ग्राम-तेतारपुर के ग्रामवासियों के आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा किस विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और कब तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

इस मार्ग के निर्माण हेतु मु0 3.40 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

वाराणसी जनपद में शिक्षा संस्थाओं के कार्यालय हेतु बहुखण्डी भवन का निर्माण

57—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत चल रहे शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों को एकीकृत योजना के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से शहर की दीवानी कचहरी के प्रांगण के दक्षिणी भाग में कोई बहुखण्डी भवन बनाये जाने की योजना सरकार के पास वर्ष 85 से चल रही है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा बेलाशंकरपुर को वित्तीय धनराशि का आवंटन

58–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेलाशंकरपुर को कितनी-कितनी धनराशि ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर से वित्तीय वर्ष 1978 से वित्तीय वर्ष 1987 तक किन-किन कार्यों के लिये उपलब्ध कराई गई ? क्या उक्त धनराशि को जिन कार्यों के लिये दिया गया था उन्हीं कार्यों में लगाया है ? संबंधित ग्राम सभा के उन दिनों के ग्राम प्रधान व उप प्रधान कौन थे और उनके नाम क्या थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम सभा बेलाशंकरपुर, विकास खण्ड भदयां जनपद सुल्तानपुर को वर्ष 1978 से वर्ष 1987 के बीच वित्तीय वर्ष 1985-86 में मात्र 3,000 रुपये विशेष अनुदान के अन्तर्गत विकास खण्ड भदयां द्वारा विभिन्न मदों के उपभोग हेतु स्वीकृत किया गया ।

ग्राम सभा बेलाशंकरपुर द्वारा स्वीकृत धनराशि से एक हरिजन कूप तथा एक सामान्य कूप की मरम्मत कराई गई । वर्ष 1978 से वर्ष 1987 तक ग्राम सभा बेलाशंकरपुर में निम्न प्रकार प्रधान व उप प्रधान रहे :–

प्रधान	उप प्रधान	अवधि
सर्वश्री	सर्वश्री	
1–शिवनरायन मिश्र	अम्बिका प्रसाद पाण्डे	1978 से 1982 तक
2–शिवनरायन मिश्र	रामपाल यादव	1982 से 1984 तक
3–पद रिक्त	रामपाल यादव	1985 से 1987 तक

जिला आजमगढ़ के मदरसा के धन का दुरुपयोग एवं शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

59–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मदरसा अरबिया रिजविया ज्यादल उलूम मुकाम व डाकखाना अउरी जिला-आजमगढ़ सन 1982 से मदरसा अरबी आरसी बोर्ड इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त कर चलाया जा रहा है जहां 25 शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन भुगतान होता है लेकिन मात्र 11 कार्यरत हैं तथा प्रबन्धक व हेड मास्टर सहित कुछ लोग मदरसा का धन हड़प रहे हैं जिनके भ्रष्टाचार व अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता सहित उसी मदरसा के इन्तजामी कमेटी के लोगों ने भी कई पत्र कारवाई हेतु शासन को दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत मदरसा मान्यता प्राप्त है ।

मदरसे में 25 अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए वेतन प्राप्त होने किन्तु 11 अध्यापकों तथा कर्मचारियों के ही कार्यरत होने तथा मदरसे में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं।

शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

विकास खण्ड क्षेत्र जगत (बदायूं) के बी0 डी0 ओ0 द्वारा गबन की गयी कथित धनराशि की जांच

60–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-8-87 के उत्तर में अपने पत्र दिनांक 3-9-87 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के खण्ड विकास क्षेत्र जगत के ए0 डी0 ओ0 (धर्मेन्द्र गुप्ता) जिनकी बदायूं में ही बी0 डी0 ओ0 के पद पर प्रोन्नति हो गई और शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के प्रति ग्राम सभा बमनी सलीमपुर बदायूं का रुपया गबन करने के लगाये गये आरोप के संबंध में जांच कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । जांच कराई जा रही है । जांच परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला बांदा के पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

61–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री प्रधान पुत्र जगपाल व हीरालाल पुत्र भैरम व राम खिलावन पुत्र शिवराम व ओंकार पुत्र बहोरी, बाबू लाल पुत्र जगमोहन व दशरथ पुत्र शिवपाल निवासी मवई पहरा ब्लाक चित्रकूट तहसील करवी जिला बांदा ने 29-8-87 को जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना-पत्र देकर पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की अपेक्षित जांच कराई गई किन्तु जांचोपरांत शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

ग्राम सेमरिया, जिला बांदा के हरिजन बस्ती में श्रमदान से खोदे गये कुओं को पक्का किया जाना

62—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेमरिया जगन्नाथवासी विकास खण्ड चित्रकूट जिला बांदा के बीसों हरिजनों ने कमिश्नर झांसी और जिलाधिकारी बांदा से करवी डाक बंगले में भेंट करके अपनी हरिजन बस्ती में अपने श्रमदान से खोदे गये कुंए को पक्का कराये जाने हेतु 30 मार्च, 87 को प्रार्थना-पत्र दिया था? क्या कमिश्नर महोदय ने अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बांदा को शीघ्र ही निर्माण कार्य कराये के आदेश दिये थे? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य न कराने के क्या कारण हैं, निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

जी नहीं। आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ने अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बांदा को उक्त प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु आदेश दिए थे।

उक्त हरिजन कूप निर्माण का कोई प्रस्ताव ग्राम सभा सेमरिया जगन्नाथवासी, का क्षेत्र विकास समिति, चित्रकूट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

63—श्री राम सजीवन—

[उत्तर सोमवार में अता0 प्र0 सं0 133 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत श्री राजेश कुमार वर्मा के वेतन का भुगतान

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री राजेश कुमार वर्मा की सेवायें बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा 21-3-84 को समाप्त कर दी गयी थी? क्या यह सही है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने मूल रूप से अपने आदेश संख्या 5408:3/85-86 दिनांक 9-5-85 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी का उपरोक्त आदेश निरस्त कर दिया और उसके परिष्कार में राजेश कुमार वर्मा ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया? यदि हां, तो श्री राजेश कुमार वर्मा का 5-3-84 से 31-8-85 तक का वेतन भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां।

नियमानुसार भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

जिला परिषद् बाराबंकी स्थित डाक बंगले में अधिकारियों के रहने और फर्नीचर के गायब होने तथा किराये का भुगतान जमा की जानकारी

65—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् बाराबंकी के पास स्थित डाक बंगले में कुछ अधिकारी बराबर रह रहे हैं तथा यहां पर फर्नीचर आदि भी कुछ गायब हो गया है? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी कब से रह रहे हैं तथा क्या किराये का भुगतान कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दो अधिकारी निवास कर रहे हैं परन्तु डाक बंगले का कोई फर्नीचर आदि गायब नहीं हुआ है। प्रसंगगत डाक बंगले में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी दिनांक 5-10-1986 से तथा चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ बाराबंकी दिनांक 3-2-1988 से निवास कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से उनके वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किराया वसूल किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

66—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वक्फ नं0 373 नजीराबाद (अमीनाबाद) लखनऊ की आडिट संबंधी कार्यवाई

67—श्री मैनेजर सिंह—

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ नं0-373 नजीराबाद (अमीनाबाद) लखनऊ का आडिट पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त वक्फ नं0-373 का आडिट करने हेतु सुन्नी बोर्ड द्वारा प्रशासक श्री आफताब को आदेश दिया था? यदि हां, तो आडिट कब हुआ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं। वक्फ नं0373 नजीराबाद (अमीनाबाद) लखनऊ के वित्तीय वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक के लेखे का आडिट सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा 7-3-87 को कराया गया है। दो पार्टियों के मध्य वक्फ की प्रबन्ध समिति के गठन के सम्बन्ध में विवाद वक्फ बोर्ड के सम्मुख विचाराधीन होने के कारण शेष अवधि का आडिट अभी नहीं कराया जा सका है।

कथित वक्फ का आडिट कराने हेतु वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ की प्रबन्ध समिति के सचिव को नोटिस भेजा गया था न कि श्री आफताब अहमद को जो कि वक्फ की समिति के अध्यक्ष हैं।

जनपद सीतापुर हिन्दू कन्या महाविद्यालय में बी0 ए0 में उर्दू पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराना

68—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद सीतापुर हिन्दू कन्या महाविद्यालय में बी0 ए0 में उर्दू पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों? क्या उर्दू पढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

इस विषय में कालेज को सम्बद्धता प्राप्त नहीं है ।

यदि महाविद्यालय स्नातक स्तर पर उर्दू विषय की कक्षायें प्रारम्भ करना चाहता है तो स्नातक स्तर पर उर्दू की 15 छात्रायें उपलब्ध होने पर सम्बद्धता हेतु अपना प्रस्ताव कानपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से कुलाधिपति महोदय को भेज सकता है । इसके संबंध में शासन द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य एवं कानपुर विश्वविद्यालय को अवगत कराया जा चुका है ।

69—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बलिया के तिलेश्वरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरा के कर्मचारियों का वेतन भुगतान

70—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के तिलेश्वरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरा पो0 पताई जिला बलिया के वेतन भुगतान की फाइल गायब हो जाने के संबंध में लेखाधिकारी ने पत्रांक 934/87-88 दिनांक 2-1-88 प्रबन्धक को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर कर्मचारियों का वेतन भुगतान तत्काल कराते हुए भुगतान में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

वेतन भुगतान हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड सरोजनी नगर लखनऊ के हैवतमऊ2 मवैया के विद्यालय की मरम्मत की जा रही अनियमितता की आडिट सेल द्वारा जांच

71—श्री शारदा प्रताप—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सरोजनीनगर (लखनऊ) के ग्राम हैवतमऊ मवैया के विद्यालय की मरम्मत हेतु 20,000 रुपये की स्वीकृति दी गयी थी, किन्तु उक्त धनराशि के व्यय में अनियमितता बरती जा रही है तथा इस अनियमितता की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराये जाने के आदेश भी दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

टेक्निकल आडिट सेल की जांच रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

72—श्री सुरेन्द्र सिंह—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 135 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के निदेशक पद पर नियुक्ति

73—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश के निदेशक के पद पर सिंचाई विभाग से डेपूटेशन पर आये सिविल अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इस पद पर सरकार कोई भू-गर्भ जल वैज्ञानिक विशेषज्ञ अभियन्ता को नियुक्त करने का कष्ट करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

वर्तमान में पद रिक्त न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता, किन्तु भविष्य में, यथास्थिति यथोचित विचारोपरान्त निदेशक पद को भरने हेतु कार्यवाही की जाएगी ?

प्रसिद्ध तीर्थ केदारनाथ तक पहुंचने के लिए रोप वे का निर्माण

74—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसिद्ध तीर्थ केदारनाथ को पहुंचाने के लिए दुर्गम मार्ग को ध्यान में रखते हुए क्या रोप वे के प्राविधान का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75–डा0 दिनेश जौहरी–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

प्रा0 पा0 रमजानपुर बदायूं की सहायक अध्यापिका स्व0 श्रीमती राजकुमारी के पति की नियुक्ति व ग्रेच्युटी पेंशन आदि की मांग

76–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती राजकुमारी सहायक अध्यापिका के पद पर प्राइमरी पाठशाला रमजानपुर बदायूं में जब कार्यरत थी उनका देहान्त 27 सितम्बर, 1982 को हो गया था किन्तु अभी तक उनके पति को अनुकम्पा के आधार पर न तो नियुक्ति की गयी है और न ही पेंशन ग्रेच्युटी आदि दिलाई गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्व0 राजकुमारी के पति को नियुक्ति व ग्रेच्युटी पेंशन आदि दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । सहायक अध्यापक के पद के लिये शैक्षिक योग्यता न होने के कारण श्रीमती राजकुमारी के पति की नियुक्ति नहीं हुई, परिषदीय अध्यापकों को ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है तथा विलम्ब से पत्रजात प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अभी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी । देय पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् बरेली के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाओं में त्रुटि पर कृत कार्यवाही

77–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जिला परिषद् बरेली में वर्ष 1980 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में त्रुटियों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-1-87 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, राजकीय कर्मचारियों के अनुरूप जिला परिषद् कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दिए जाने हेतु शासनादेश संख्या-388 बी/33-2107 जी0/85 दिनांक 2-2-88 शासनादेश संख्या 658 बी/33-2-107 जी/85 दिनांक 2-2-1988 तथा शासनादेश संख्या 389 बी/33-2-107 जी/85 दिनांक 2 फरवरी, 1988 द्वारा निर्देश दिए गए हैं ।

श्री कैलाश नाथ मिश्र स0 अ0 जू0 हा0 स्कूल पुखरायां का बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात को सम्बोधित पत्र

78—श्री अचल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री कैलाश नाथ मिश्र स0 अ0 जूनियर हाईस्कूल पुखरायां जनपद कानपुर देहात का बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात को सम्बोधित कोई पत्र संख्या जू0 हा0 स्कूल-93/1986-87 दिनांक 15-10-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

म्यू0 गर्ल्स इन्टर कालेज काश्मीरी मोहल्ला लखनऊ में संगीत वादन (सितार) अध्यापिका के पद का ग्रेड तय किया जाना

79—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय पत्रांक 1733/एम0 ई0/87 दिनांक 28-8-87 द्वारा म्यू0 गर्ल्स इन्टर कालेज काश्मीरी मोहल्ला लखनऊ में संगीत वादन (सितार) अध्यापिका के पद का ग्रेड तय किये जाने में मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका षष्ठम मंडल द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

नहीं । अपितु, एक अन्य संदर्भ के सिलसिले से संदर्भगत प्रकरण शासन को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

वर्तमान क्षेत्र विकास अधिकारी बंकी जनपद बाराबंकी के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

80—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान क्षेत्र विकास अधिकारी बंकी, जिला बाराबंकी के विरुद्ध उन्हीं के ब्लाक प्रमुख ने हरे पेड़ कटा लेने, ट्राइसेम और विशेष अनुदान से प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत, पुलिया खड़ंजा और रास्तों आदि के निर्माण में गोलमाल करने और शासनादेशों की अवहेलना करने की बाबत जिलाधिकारी, बाराबंकी, ए0 डी0 एम0 (पी0), ए0 डी0 एम0 (डी) बाराबंकी जिला पंचायत राज अधिकारी, कमिश्नर फैजाबाद को व आयुक्त ग्राम विकास एवं पंचायती राज तथा उप पुलिस महानिरीक्षक व भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दिसम्बर, 1983 से जून, 1987 तक अनेक शिकायती पत्र दिये ? यदि हां, तो शिकायतों का सार क्या है और क्या ब्लाक प्रमुख को बताकर कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख के शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुए ? ब्लाक प्रमुख के शिकायती पत्र दिनांक 8-8-85 में खण्ड विकास अधिकारी बंकी के विरुद्ध शिकायत की गयी है इसमें कुल 12 आरोप लगाये गये हैं जो गांव सभाओं को दिये गये अनुदान में मनमानी करने, निर्माण कार्यों तथा खड़न्जा निर्माण, निर्बल वर्ग आवास तथा सम्पर्क मार्गों में खराब सामग्री लगाने तथा मनमानी करने, दो महिलाओं को फर्जी प्रशिक्षण दिलाने, शक्कर वितरण में धांधली करने, बायोगैस सीमेन्ट का दुरूपयोग करने तथा आंकिक का वेतन रोकने के सम्बन्ध में हैं। इन शिकायतों में से शक्कर वितरण, बायोगैस सीमेन्ट तथा वेतन संबंधी शिकायतों के अलावा अन्य सभी शिकायतों की जांच पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद द्वारा करायी जा रही है । शक्कर वितरण में धांधली तथा बायोगैस हेतु प्राप्त सीमेन्ट दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों की पुष्टि में जांच नहीं हुई । आंकिक को वेतन समय से दिया गया है । इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं है ।

ब्लाक प्रमुख की दिनांक 3-6-87 की प्राइमरी पाठशाला भिटौली कला से संबंधित निरीक्षण आख्या भी प्राप्त हुई है । इसमें वर्णित पाठशाला के मरम्मत के संबंध में किये गये उल्लेख के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । उन्होंने अपने स्तर से निर्माण के तकनीकी पक्ष की जांच के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से अनुरोध किया है । इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि ब्लाक प्रमुख को भी जांच के समय बुलाया जाय ।

सतर्कता अधिष्ठान, फैजाबाद से जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस0 सी0 चावला जे0 ई0 एम0 आई0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर गेहूं के वितरण पर कथित शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही

81–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगतपुर टाण्डा, जिला मुरादाबाद की 'टाण्डा रोड से गंजो वाली मिलक' सड़क की मजदूरी का श्री एस0 सी0 चावला, ज0 ई0 एम0 आई0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के बिना दिनांक 6-4-1986 को गेहूं बांटा गया और उसी समय ब्लाक प्रमुख द्वारा जांच किये जाने पर उक्त मस्टर रोल में मृत व फर्जी व्यक्तियों के नाम पाये गये जिसकी ब्लाक प्रमुख द्वारा तत्काल जिलाधिकारी और आयुक्त मुरादाबाद से लिखित रूप में शिकायतें की गयी और उस सड़क के नकद रुपये तक का भुगतान आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

82—श्री सरदार सिंह—

[उरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षण आर्गनाइजेशन के शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

83—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं द्वारा 28-12-1987 को उनके आवास पर प्रतीक धरना देकर कोई ज्ञापन दिया गया था ? उस ज्ञापन का मुद्दा क्या था और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

दिनांक 28-12-87 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सम्बद्ध प्राइमरी (बालक) विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं हेतु वेतन वितरण अधिनियम सम्बन्धी शासनादेश निर्गत करना ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

जनपद बलिया में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत कार्य किए जाने हेतु धन का आवन्टन

84—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 पी0 योजनाओं के बहुत से कार्य इस वर्ष बहुत कम धनराशि प्राप्त होने के कारण ठप्प पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या प्रारम्भ किये गये कार्यों के पूर्ण करने के लिए अलग से धन आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बलिया जनपद में एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत 1987-88 के स्वीकृत परिव्यय के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन की सापेक्ष आवंटन जनपद को किया जा चुका है । प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति की कठिनाई के कारण कुछ समय पूर्व आवंटित धनराशियों के आहरण पर कतिपय प्रतिबंध अस्थाई रूप से लगाये गये थे जो अब शिथिल किये जा चुके हैं।

कु0 कमला विष्ट पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह विष्ट हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जाना

85—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 कमला विष्ट पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह विष्ट ने वर्ष 1984 में हाईस्कूल की व्यक्तिगत परीक्षा राजकीय इण्टर कालेज देवापाल सल्ट जिला अल्मोड़ा में अनुक्रमांक 1262108 के साथ दी थी किन्तु संस्कृत के अंक न आने के कारण अभी तक उसका परीक्षाफल रुका हुआ है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है तथा इसमें कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है ? क्या परीक्षाफल तुरन्त घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सम्बन्धित परीक्षार्थिनी हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा 1984 में सम्मिलित हुई थी। संस्कृत विषय के अंकों के अभाव में उस समय उसका परीक्षाफल अपूर्ण घोषित कर दिया गया था। संस्कृत के अंक प्राप्त होने पर उसका परीक्षाफल वर्ष 1984 में ही घोषित करके संबंधित विद्यालय को भेज दिया गया था। परीक्षाफल की द्वितीय प्रति दिनांक 14-9-87 को पुनः संबंधित विद्यालय को भेजी जा चुकी है।

जनपद फैजाबाद के रामपुर ग्रान्ट गांव ग्राम सभा में प्रा0 स्कूल खोला जाना

86—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सुहावल में रामपुर ग्रान्ट गांव सभा में प्रा0 पा0 का भवन काफी दिनों से बना हुआ है लेकिन वहां प्रा0 स्कूल नहीं खुला? क्या सरकार वहां स्कूल खोलेगी?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 22-2-1988 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को प्रश्नगत स्थान पर विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति में विचारार्थ रखने के निर्देश दे दिये गये हैं जो इस कार्य हेतु अधिकृत है।

जनपद अल्मोड़ा के कतिपय तहसीलों की जनसंख्या तथा धन का आवंटन

87—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपदों में आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 व एन0 आर0 पी0 का धन आवंटन जनसंख्या को आधार मानकर हो रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद की तहसीलें बागेश्वर, बारामंडल रानीखेत तथा भिक्यासेन की अलग अलग कितनी जनसंख्या है तथा वर्ष 1985 से आज तक अलग अलग उपरोक्त मदों में तहसील वाइज कितना धन आवंटित किया गया है? क्या यहां भी जनसंख्या को आधार मानेंगे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनमान के अध्यापकों की प्रोन्नति

88–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय विद्यालयों के सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की प्रोन्नति कितने समय से नहीं की गई है और कब तक कर दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

सी0 टी0 वेतनक्रम के वर्ष 1974 तक चयनित तथा वर्ष 1975 के 32 अध्यापकों को एल0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नति दी गई है। वर्ष 1986 में संवर्गानुसार (पौड़ी/नैनीताल मण्डल में) कार्यरत सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को एल0 टी0 में प्रोन्नतियां मंडलीय अधिकारियों द्वारा दी गयी थी। संवर्गीय प्रोन्नति के विरुद्ध राजकीय शिक्षक संघ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका एवं अवमानना याचिका के कारण अग्रेतर प्रोन्नति की कार्यवाही अवरुद्ध रही है। अब शासनादेश के अनुसार पदोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

89–श्री शारदा प्रताप–

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 91 द्वारा उत्तरित]

अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के सेवा निवृत्त चपरासी की जन्मतिथि का घटाया जाना

90–श्री राज बहादुर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इंटर कालेज रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त कालेज के सेवा निवृत्त चपरासी श्री मुन्दर यादव की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि 6-7-37 को काटकर 6-7-26 कर दिया गया है और उस पर उनके इनिशियल भी हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ऐसा किया गया है? श्री यादव की वास्तविक जन्म तिथि क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

सेवा पुस्तिका में श्री मुन्दर यादव नहीं अपितु श्री सुन्दर यादव की जन्म तिथि तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा 6-7-37 काटकर 6-7-26 अंकित की गयी है।

जी हां।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार सेवा पंजिका में श्री सुन्दर यादव की अभिवर्षता आयु 6-7-86 अंकित है जिसमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं है। इसी के आधार पर श्री यादव की जन्म तिथि 6-7-26 अंकित की गयी है।

इस संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये जा रहे हैं।

वर्ष 1985 की हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क लिया जाना

91—श्री राज बहादुर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं हेतु छात्रों से निर्धारित शुल्क के साथ साथ एक ही मुस्त में विलम्ब शुल्क भी लिये जाने/वसूल करने के आदेश थे? यदि नहीं, तो उक्त प्रधानाचार्य द्वारा ऐसा क्यों किया गया है?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

निर्धारित तिथि बीत जाने के पश्चात् ही विलम्ब शुल्क लिये जाने के निर्देश थे।

परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि बीत जाने के बाद ही प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क लिया गया।

जनपद बलिया के ग्राम बिसुकिया से परसिया को अलग करके ग्राम सभा बनाए जाने का प्रस्ताव

92—श्री गौरी शंकर भैया—

क्या पंचायत राज मंत्री को ज्ञात है कि श्री गुलाब सिंह ग्राम परसिया पो0 बिसुकिया जनपद बलिया ने एक आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक संख्या 1462 दिनांक 9-11-87 को निदेशक पंचायत राज लखनऊ उत्तर प्रदेश को दिया है जिसमें जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार की ग्राम सभा बनाने की बात कही गयी है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कथित पत्र संबंधित ग्राम वासियों से प्राप्त हुआ है जिस पर श्री गुलाब सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पाया गया।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा श्रमदान करके बनाये गए मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं को हस्तातरित किये जाने का प्रस्ताव

93—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा श्रम दान कर निर्मित मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग या ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं को हस्तान्तरित करने की शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय मार्ग नं0 11 पर स्थित ग्राम सीकरी हिस्सा चार से जौनपुर तक सन् 1982 में और इसी ब्लाक के ग्राम बदनपुर के निवासियों ने दिसम्बर सन् 1987 में अपने अपने ग्रामों के लिए कच्ची सड़क बनायी है? यदि हां, तो क्या उन कच्ची सड़कों को सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

94—श्री सुरेन्द्र सिंह—

[1ले मंगलवार में अता0प्र0सं0 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी के मार्गों पर खड़ंजा बिछाया जाना

95—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी में किन मार्गों पर खड़ंजा बिछा दिया गया है तथा किन मार्गों पर शेष है ? उक्त ग्राम के सभी मार्गों पर खड़ंजा कब तक बिछा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी में 400 किलोमीटर छोड़कर शेष में खड़ंजा बिछा दिया गया है। उक्त ग्राम नगर महापालिका में निहित हो चुका है। अतएव शेष कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड हरदोई द्वारा क्रय किए गए ह्यूम पाइपों का भुगतान

96—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद हरदोई में वित्तीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा कितने ह्यूम पाइपों की खरीदारी हेतु बिना मौके पर आये अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया और इसका औचित्य क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड हरदोई द्वारा वर्ष 1985—86 व 1986—87 में क्रमशः 5.805 व 5.614 लाख रुपए ह्यूम पाइप क्रय किए गए । इन ह्यूम पाइपों का भुगतान मौके पर पाइप प्राप्त होने के उपरान्त ही किया गया।

शिक्षा निदेशक उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली जनपद मुजफ्फरनगर को निर्गत इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी(2) निर्देश में उल्लिखित अनियमितताएं

97—चौ0 बाबू सिंह तथा श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक सा0(1) प्रथम/1936/14-3/87-88 दिनांक 1-7-87 के द्वारा प्रबन्धक हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शामली जनपद मुजफ्फरनगर को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी(2) के अन्तर्गत जो निर्देश निर्गत किये गये थे उसमें किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है? क्या प्रबन्ध तंत्र द्वारा निदेशक के निर्देशों का अनुपालन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या इण्टर शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत विद्यालय का प्रशासन प्रबन्ध समिति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप दिया गया है? यदि नहीं; तो क्यों और कब तक यह कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16घ(2) के अन्तर्गत दिये गये निर्देश में इंगित अनियमितताओं की सूची संलग्न है†। जी नहीं। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ(3) के अन्तर्गत दी गई कारण

†छापी नहीं गई।

बताओ नोटिस पर प्रबन्ध समिति का स्पष्टीकरण अपेक्षित है । प्रबन्ध समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर तदनुसार मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज शामली जनपद मुजफ्फरनगर में कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

98–चौ0 बाबू सिंह तथा श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज शामली जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अराजकता अनुशासनहीनता एवं कुप्रबन्ध के संबंध में शासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समाजसेवी संस्थाओं विधायकों तथा विद्यालय की सोसाइटी के आजीवन सदस्यों की ओर से दिनांक 1-1-86 से 10-12-87 तक की अवधि में कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं? क्या शिकायतों की कोई विभागीय जांच कराई गयी है? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

38 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(1) वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा वर्ष 1985-86 में सम्प्रेक्षण कराया गया तथा प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच कार्य सौंपा गया है।

सम्प्रेक्षण में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने पर प्रबंधतंत्र के विरुद्ध धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल के स्तर पर बढ़ाये जाने व जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाचार्य को हाईस्कूल का प्रधानाचार्य बनाये जाने की मांग

99–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार हाईस्कूल को इण्टर बनाये जाने पर योग्यतानुसार उसके प्रधानाध्यापक की भी इण्टर में प्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नति कर दी जाती है? क्या उसी प्रकार अशासकीय मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल को हाईस्कूल स्तर पर बढ़ाये जाने पर जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी योग्यता होने पर हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त विभिन्नता जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की न्यूनतम अर्हता तथा हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की न्यूनतम शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता में भिन्नता के कारण है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा विद्यालय के हित में प्रतिभाशाली श्रेष्ठतम प्रधान को चुनने हेतु हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का चयन केवल सीधी भर्ती से किया जाता है।

जिला परिषदों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों की स्थिति

100—श्री महेन्द्र भाटी तथा श्री कुशल पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पंचायती राज अनुभाग—2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2736 बी/33-2-85-282/81, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 के अनुसार जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के कुल पदों के अधिकतम 20 प्रतिशत पदों पर ही केवल विशेष उच्च वेतनमान (1300-1900) संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारियों को अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रदेश की जिला परिषदों में कुल कितने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद हैं तथा उनमें से कितने पदों पर (1300-1900) वेतनमान के खण्ड विकास अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है तथा कितने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी ऐसे हैं जो उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित (1300-1900) के विशेष उच्च वेतनमान में, खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग में मूलतः नियुक्त नहीं है? क्या मंत्री जी उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार 5 वर्ष से अधिक समय से प्रति नियुक्ति पर अतिरिक्त मुख्य अधि0 के पदों पर कार्यरत खण्ड विकास अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2736 बी/33-2-85-282/81, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 नहीं है बल्कि यह शासनादेश संख्या 2736 बी/33-2-85-202/81, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 है। 56 पद अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के हैं जिनमें से एक पद पर भी वेतनमान 1300-1900 की कोई भी खण्ड विकास अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है। एक खण्ड विकास अधिकारी वर्तमान समय में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इस अधिकारी की विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ायी गयी है।

101—श्री कृष्ण कुमार—

[दिनांक 4-1-88 को अता0 प्र0 सं0 49 द्वारा उत्तरित]

मुख्य अधिकारी जिला परिषद् गाजियाबाद के कारनामों की जांच किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव को दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

102—श्री कनक सिंह तथा श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 जो मुख्य सचिव उ0 प्र0 को सम्बंधित मुख्य अधिकारी जिला परिषद् गाजियाबाद के कारनामों की जांच किये जाने के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही

की गयी? क्या यह सच है कि इनके विरुद्ध श्री बी0 डी0 गुप्ता संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ ने अपने पत्र संख्या 3646/स्था0-1/लेखा, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 के द्वारा गम्भीर अनियमितताओं का दोषी करार देते हुए मूल पत्रावली सहित शासन को अपनी संस्तुति भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नकर्ता का पत्र जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 को प्राप्त हुआ, वह जिला परिषद् मेरठ के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध है न कि मुख्य अधिकारी जिला परिषद् गाजियाबाद के विरुद्ध। उक्त पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही श्री बी0 डी0 गुप्ता, संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–3268/स्था-1/लेखा दिनांक 10-11-82 द्वारा आयुक्त एवं सचिव उ0 प्र0 शासन ग्राम्य विकास विभाग को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अधिकारी मेरठ के विरुद्ध जांच आख्या भेज दी गई थी। जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला गोरखपुर की श्रीमती पानवती की जबरन नसबन्दी तथा धन का अपहरण

103–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के थाना महराजगंज में मार्च, 1987 में श्रीमती पानवती ने इस आशय का आवेदन-पत्र दिया था कि वह 60 वर्षीय विधवा गैर जिले की रहने वाली है एवं मकान बनवाने का लालच देकर खा0 वि0 अधि0 धुधली ने गमराई गांव की निवासी बनाकर नसबन्दी करवाया एवं स्वीकृत धनराशि को भी खा गये? यदि हां, तो नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध विधवा की नसबन्दी कराकर धन का अपहरण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। श्रीमती पानवती ने दिनांक 20-2-87 को एक आवेदन पत्र दिया था। जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती पानवती की नसबन्दी उनकी स्वेच्छा से दिनांक 12-1-87 को प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र धुधुली में कराई गई थी। जांच के समय उसके भाई श्री विश्राम उर्फ मक्खू ग्राम गमराई ने अपने लिखित बयान में यह बताया कि श्रीमती पानवती की उम्र नसबन्दी के समय 35 वर्ष के लगभग थी। उसके दो बच्चे थे, तथा उसने दूसरे व्यक्ति श्री बन्धन से शादी की थी। श्रीमती पानवती एक गरीब हरिजन महिला है और उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसके लिए एक आवास की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन श्रीमती पानवती अपने दामाद के साथ ग्राम घमौली में रह रही है तथा उसके लिए निर्मित कराये गये मकान में उसका भाई तथा उसका परिवार रह रहा है। श्रीमती पानवती को नसबन्दी कराने हेतु न तो कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी और न ही खण्ड विकास अधिकारी धुधुली द्वारा उसका अपहरण ही किया गया है। अतः इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें, 301 और 300 के बाद ही व्यवस्थाएं सुनूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बड़ा ही गम्भीर मामला है, एक साथ कई माननीय सदस्य आज जब आ रहे थे, उनको आने नहीं दिया जा रहा था, बीच में उन्हें रोका गया, इसलिए मान्यवर मेरी व्यवस्था को अवश्य सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको लिखकर भेज दें, देख लिया जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, गौरी शंकर भइया को रोका गया है, लक्ष्मी नारायन जी को रोका गया और मान्यवर कांग्रेस-आई के सदस्य श्री प्रदीप कुमार को रोका गया है और लाठी चार्ज हुआ है।

(व्यवधान)

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, उनको पुलिस ने रोक रखा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 301 और 300 के बाद सुनूंगा, तब व्यवस्था का प्रश्न लूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तो प्राथमिकता का मामला है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं, मैं बैठे-बैठे तो जांच नहीं कर सकता हूं। जब आप लिखकर देंगे तो जांच करायी जायेगी। मैं 301 और 300 को लेने के बाद सुनूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनायें शलाका द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। पहली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र में पशुओं की बीमारी के प्रकोप के संबंध में है, दूसरी सूचना डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की जनपद बांदा की तहसील नरैनी की हरिजन आवास हेतु आरक्षित भूमि पर अराजकतत्वों के कब्जे के विषय में है, तीसरी सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रोन्नति में अन्याय के संबंध में है, चौथी श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी की अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में एक विशेष बीमारी से पशुओं की मृत्यु के संबंध में है, पांचवी श्री जगवीर सिंह की अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों से पानी न मिलने के संबंध में है, छठी सूचना श्री विजय सिंह राणा की आगरा जनपद में नीलगायों द्वारा फसलों

को क्षति के संबंध में है और 7वीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जनपद सीतापुर की रहीमाबाद पम्प नहर में पानी की समस्या के सम्बन्ध में है।

इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयी।)

जनपद आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र में पशुओं की बीमारी का प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[मान्यवर दिनांक 10-2-88 को जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम वजीरपुर जेहलपुर में पशुओं में गला घोंटू और घुरका की छूत की बीमारी एकदम फैल गयी है जिसमें अकेले ग्राम वजीरपुर जेहलपुर में करीब 25 दुधारू भैंस व गाय मर गईं तथा 5 कृषि करते बैल मर गये। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय में इसकी सूचना तत्काल दी परन्तु कोई चिकित्सक टीका लगाने नहीं पहुंचा। घुरका और गला घोंटू रोग बड़े पैमाने में सूबा में पशुओं में फैल गया है। जिससे किसानों में भारी हड़कम्प और भय तथा परेशानी पैदा हो गई है।

श्रीमान पशु चिकित्सकों और सरकार की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है। अस्तु सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर तुरन्त पशुओं में टीका लगवाने की दवाओं का प्रबन्ध हो और लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।]

जनपद बांदा की तहसील नरैनी की हरिजन आवास हेतु आरक्षित भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अंतर्गत ग्राम नहरी के मजरा महरानी पुरवा तथा ग्राम नगवारा और ग्राम पल्हरी में हरिजनों के लिए आरक्षित आवास की भूमि में कुछ जबर्दस्त गुंडों एवं सामन्तों द्वारा अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने से आवास हीन हरिजनों में भीषण रोष एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है। लगातार पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन में गुहार लगाने के बावजूद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो तमाम गांवों के हरिजन लोग बन्द होकर आंदोलन में उतारू हो रहे हैं। स्थिति विस्फोटक हो रही है साथ ही अवैध कब्जा करने वाले सामन्त एवं गुंडे भी हरिजनों के दमन की योजनाएं बनाना शुरू कर दिये हैं।

अतः मांग करता हूं कि अविलम्ब उपरोक्त गांवों के अवैध कब्जों एवं निर्माण कार्यों को हटाया जाय तथा हरिजनों के लिए आरक्षित भूमि को अविलम्ब हरिजनों भूमिहीनों अल्प भूमिहीनों में बांटा जाय तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं हरिजनों की सुरक्षा के लिए इन गांवों में पुलिस पी0 ए0 सी0 व्यवस्था अवश्य की जाय।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रोन्नति में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा–

[मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रोन्नति में अनियमितितायें तथा अन्याय किया जा रहा है । वर्ष 1986 (मई) से पूर्व तक चिकित्सा विभाग में सामान्य स्केल व सीनियर स्केल में प्रोन्नति के लिए विभागीय कुल 8 वर्ष सेवा अवधि वांछनीय थी लेकिन जुलाई 86 में एक कार्यालय ज्ञाप प्रकाशित किया है । जिसके लिए प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि 8 से अधिक कर दिया गया है। जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को प्रोन्नति होने से वंचित किया जा रहा है ।

इससे प्रदेश के हजारों अधिकारियों में उत्तेजना व्याप्त है । मेरी मांग है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप समाप्त कर प्रोन्नति की सुविधा मई 86 से पहले की जाय ।]

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में एक विशेष बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[महोदय, अलीगढ़ जनपद सिकन्दराराऊ विकास खण्ड के क्षेत्र में एक अद्भुत बीमारी से पशुधन को गम्भीर क्षति पहुंची है । अकेले बरहर खास ग्राम में ही 28 भैंस, गाय व बछड़े तीन दिन में मर गये तथा प्रतिदिन दो एक पशु अनेक ग्रामों में मर रहे हैं। पशु चिकित्सालय सिकन्दराराऊ में कार्यरत दोनों पशु चिकित्सक बी0 ओ0 व बी0 एस0 में गम्भीर मतभेद व गुटबन्दी होने के कारण पशु चिकित्सालय में घोर अव्यवस्था है । विभाग के जिला मुख्यालय पर स्थित अधिकारियों का ध्यान विशेष बीमारी की ओर आकर्षित कराये जाने पर जिला पशुधन अधिकारी ने बीमारी से मरे हुए का मेटीरियल जांच हेतु वेटनरी कालेज व अनुसंधान केन्द्र भेजने के निर्देश सिकन्दराराऊ पशु चिकित्सालय के बी0 एस0 श्री शर्मा को दिया परन्तु शर्मा ने न तो मेटीरियल ही जांच हेतु भेजा और न गांव जाकर रोकथाम व उपचार की कोई व्यवस्था की। इनके अत्याचार से कृषकों में रोष व्याप्त है। भयंकर सूखे से क्षेत्र की फसल नष्ट हो चुकी है एक पशुधन ही शेष है जिसे कि विशेष बीमारी से क्षति हो रही है । कृषक व पशुपालकों में गम्भीर चिन्ता व्याप्त है । अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों में पानी न मिलने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से तथा सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील प्रदेश का प्रमुख गेहूं व गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, की ओर दिलाना चाहता हूं । इस क्षेत्र की सीमा हरियाणा व बुलन्दशहर जनपद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में लगती है यहां के कृषक आधुनिक कृषि तकनीक व उन्नतिशील विधि अपना कर खेती करते हैं। परन्तु सिंचाई के लिए नहरी पानी न मिलने के कारण गम्भीर सूखे के दौर में खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी तथा रबी की फसल भी पानी के अभाव में सूख कर नष्ट हो रही है। राजबहा जेबर, बाजौअ, जहारी माइनर मादक माइनर, अटासली व मालब आदि माइनरों में पानी न आने से विगत तीन वर्षों से फसल नष्ट होती जा रही है। जिला प्रशासन के अनुरोध व माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के बाद भी सिंचाई विभाग उक्त राजबहा माइनरों में आज तक सिंचाई का पानी उपलब्ध न कराने से रबी की फसल चौपट हो रही है। नहरों में पानी आने से तथा सूखे के कारण क्षेत्र में भूगर्भ जल का स्तर भी गिर गया है जिससे नलकूप बन्द पड़े हैं व पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

फसल नष्ट होने से कृषकों में गंभीर चिन्ता व्याप्त है। अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं]

आगरा जनपद में नील गायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा–

[आगरा जनपद में नील गायों की दिन रात बढ़ती हुई संख्या ने सम्पूर्ण किसान जनता को बुरी तरह पीड़ित कर दिया है। दिन भर का हारा थका किसान सो नहीं पाता, रात्रि भर उसे जाग करके पहरेदारी करनी पड़ती है। तब भी वह अपनी फसल को रख नहीं पाता है। सरकार ने नील गाय के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। बार-बार यह कहा जाता रहा है कि स्वेच्छा से जिलाधिकारी चाहें तो कुछ लोगों को नीलगाय मारने के लिए लाइसेन्स जारी कर दें किन्तु अभी तक आगरा जनपद में इस प्रकार का कोई लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है। इसलिए उनकी निरन्तर बढ़ी हुई संख्या पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। नीलगायों को पकड़कर बाड़े में बन्द करने का काम भी आसानी से कराया जा सकता है, पर इसके लिए भी खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर शासन से मांग करता हूं कि नील गाय मारने के लाइसेन्स जारी करायें जायें तथा जिला योजना में गायों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित कराई जाय ताकि ग्राम सभा के लोगों से मिलकर इन्हें पकड़ कर बाड़े में बन्द करने का काम किया जा सके।]

जनपद सीतापुर की रहीमाबाद पम्प नहर में पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर स्थित रहीमाबाद पम्प नहर कमान्ड में लालपुर के आगे पानी नहीं जाता और इसी प्रकार शारदा प्रणाली में परसेहरा तथा दहेलिया माइनर में पानी न पहुंचने से सिंचाई नहीं होती। पानी उपलब्ध कराकर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिंचाई हो सके, इस हेतु 15 जुलाई, 87 को राज्यमंत्री सिंचाई के कक्ष में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई । बैठक के निर्णय की सूचना श्री देवेन्द्र सिंह संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-3 ने अ0 वा0 पत्र 3192/टी/87 सिंचाई-23-सिं-5 दिनांक 18-7-87 द्वारा प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक को प्रेषित कर दिया जिसके अनुसार इन सभी असिंचित क्षेत्र को कमान्ड से खारिज करके 8–10 नलकूपों का एक कलस्टर लगाने के लिए अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें तथा नलकूप लगा दिये जाय । बैठक हुए 7 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु अभी तक शासन तथा विभाग ने अंतिम निर्णय लेकर निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया । सिंचाई न होने से कृषि कार्य की बड़ी क्षति हो रही है।

अतएव आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह निर्णय लाकर सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त इस असिंचित क्षेत्र में तत्काल 8-10 राजकीय नलकूप लगवाने की व्यवस्था की जाय ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है जो दिनांक 21 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा बजट के संबंध में घोषणा के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की है कि सदन के चलते हुये जिलों में कमेटियां मुकर्रर न किये जाने के बारे हैं, तीसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की जो आरक्षण के बारे में है, चौथी सूचना श्री राज किशोर सिंह की विधान परिषद् में कर्मचारियों को एक महीने का वेतन दिये जाने के संबंध में है । जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का संबंध है, 21-2-1988 को जब यह घोषणा की गयी थी, उसी समय इसको उठाना चाहिये था, लेकिन अभी तक नहीं उठाया है, लिहाजा अस्वीकार है । श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना है, संसदीय कार्य मंत्री जी के जो आदेश जाते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो आपके आदेश हैं, वह शिरोधार्य हैं । इससे पहले शनिवार को सदन नहीं होता था, लेकिन आज इस तरह के आदेश चले गये हैं कि जब तक सत्र रहेगा तब तक जिले की ऐसी कमेटी जिसमें माननीय विधायक हों की शनिवार और इतवार को भी कोई बैठक नहीं रखी जायेगी । यह आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम नरेश यादव तथा श्री राज किशोर सिंह की सूचनायें नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं ।

विधान भवन गेट नं0 3 पर पुलिस द्वारा कतिपय विधायकों को रोकने तथा उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी जानकारी मिली है कि गेट न0 3 के सामने बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज हुआ है और कई माननीय सदस्य इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रह गये हैं, उनको रोके रखा गया है । हमारे दल के दो सदस्य हैं और भी कई सदस्य हैं, जिनको रोक रखा गया है । श्री गौरी शंकर भइया को रोका गया है, श्री किरन पाल सिंह जी को रोका गया है । यह लोग कार्यवाही में भाग नहीं ले सके, इनको पुलिस द्वारा रोक दिया गया है और कार्यवाही में समय से भाग नहीं ले पाये हैं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जा सकता है ?

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहा था, जैसे ही गेट नं0-3 पर आया वहां पर 30-40 जवान खड़े थे ।

माननीय अध्यक्ष जी, आज ठीक 11 बजे के करीब जब हम लोग, माननीय रिछपाल सिंह बंसल, माननीय दीपक कुमार, मुजफ्फरनगर और मैं–हम तीन लोग यहां पर विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे तो सड़क पर करीब 40 लोगों पर पुलिस पशुओं की तरह से लाठी की वर्षा कर रही थी । जैसे ही हम लोगों ने सड़क को क्रास किया हम लोग जरा सी सावधानी न बरते होते तो बुरी तरह से हमारी भी पिटाई हो जाती । उसके बाद जैसे ही हम फाटक के पास पहुंचे, फाटक बन्द था, लगातार 20 मिनट तक हम लोग फाटक को खटखटाते रहे लेकिन हम लोगों को अन्दर नहीं आने दिया । वहां पर गौरी भइया भी मौजूद थे । पुलिस वालों ने फाटक नहीं खोला और लोगों की पिटाई होती रही । हम लोगों को जबरदस्ती वहां पर रोके रखा गया । उसमें जो नौजवान भागकर आ रहे थे तो वहां पर भी पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया । वहां पर एक सब इंसपेक्टर था, उसने कहा कि इनके पीछे विधायक भी हैं । मान्यवर, इस सरकार द्वारा सदस्यों की जितनी बेइज्जती हो सकती है वह की गई । मान्यवर, आप से ही हम लोगों को संरक्षण मिल सकता है, आप से हम संरक्षण चाहते हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं । इसलिए आप इस सम्बन्ध में कठोर से कठोर कदम उठायें, यही हमारा निवेदन है ।

(एक सदस्य के बोलने से व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपको भी सुनूंगा ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, आज 11 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु रवान हुआ से निकलकर आ रहे थे, हमारे साथ जौनपुर के विधायक राज बहादुर सिंह जी भी थे । वहां से कुछ नौजवान लोकदल (ब) के लोग जलूस के साथ आ रहे थे "वीर बहादुर सिंह मुर्दाबाद" के नारे लगा रहे थे, सामने वाले दरवाजे तक आ गये । पी0 ए0 सी0 के लोग ट्रक लेकर वहां पर खड़े थे । हम लोग यहां पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने आ रहे थे। हमें रोका गया। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया । उसमें कुछ लोगों का सिर फट गया । गेट के पास कुछ विधान सभा के रक्षक भी थे । उन्होंने विधायकों को पहचानकर हमको राज बहादुर सिंह तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सब लोगों को वहां पर रोक दिया और वे फंस गये । बुनियाद हुसैन भी वहां पर थे । इस

प्रकार पुलिस ने विधायकों को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका। ये लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं यह सदन की अवमानना है। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि जब माननीय सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते हैं तो इनका जो [x x x] दल विधान सभा के गेट के सामने रहता है, उसको हटवा लें और किसी सदस्य को न रोका जाय। यही हमारी आपसे विनती है। ... (व्यवधान)।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, रायल होटल का जो चौराहा है वहां पर जाकर देख लिया जाए कि लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एक सिटी बस व पुलिस गाड़ी के ऊपर ईंट, पत्थर चलाकर उसे तोड़ दिया। वह बस व पुलिस गाड़ी खड़ी है उसे देखा जा सकता है। इसलिए जो भी बातें कही गई हैं वह सत्य से परे कही गई हैं, वहां पर दोनों गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। उसके बाद पुलिस ने जो व्यवहार किया वह रोकने के लिए लाठी लेकर उन्हें दौड़ाया है उसे यह कहा जाय कि पुलिस ने इतनी बर्बरता की है, ठीक नहीं है। मान्यवर, उस बस में जो लोग थे उनको भी चोट आई है। यह बस चौराहे के पास खड़ी है। उन कार्यकर्ताओं ने जो कृत्य किया है .. वह निंदनीय है। आज हर जगह जनता यह कह रही है कि जब राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा करने लगेंगे तो दूसरे लोगों को क्या समझायेंगे। मान्यवर इसका सत्यापन इसी समय वहां पर जाकर किया जा सकता है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सब को एक साथ तो सुन सकता हूं। (व्यवधान) माननीय सरदार सिंह जी अगर आप सब को एक साथ सुन सकते हैं तो कृपा कर यहां आ जायें। हम भी तो आदमी ही हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि जब हम विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे तो सामने मेनगेट में काफी भीड़ लगी हुई थी। मुझे भी आने से रोक दिया और कहा कि जब तक यह लोग रुके रहेंगे, नहीं जाने देंगे। वहां पर लोकदल "ब" के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसायी जा रही थीं। चार पांच लोगों के तो सिर फट गये जिनको तुरन्त उठाकर सिविल हास्पिटल ले जाया गया। इसमें कम से कम 70, 80 लोगों को पीटा गया और उनको पुलिस पता नहीं कहां ले गई। हमको यहां कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। जब सरकार को मालूम था कि 29 ता0 को युवा लोकदल "ब" का प्रदर्शन होने वाला है तो इसकी पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। बहुत सारे माननीय सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि विधायक आ सकें अगर यह हुआ होता तो इतना अपमान विधायकों का नहीं होता। एक घन्टे तक गेट नहीं खोले गये तमाम सम्मानित सदस्य बाहर रुके रहे और वहां पर लाठी चार्ज होता रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वहां पर अभी भी लाठी चार्ज हो रहा है लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे साथ एक मेरे साथी माननीय विधायक लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा कई अन्य विधायक जिसमें कांग्रेस के भी विधायक थे, दीपक कुमार मुख्य थे । उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया । ठीक 11 बजे जिस समय यहां सदन के लिए हम आते हैं गेट नं0 3 पर कुछ युवा लोकदल के लड़कों को पशुओं की तरह पीटा जा रहा था । आधे घंटे तक गेट नहीं खोला गया हम लोग गन्ना जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर भाग लेने के लिये आ रहे थे लेकिन पुलिस के लोगों ने गेट नहीं खोला । विधायक गौरी भइया कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के, गेट नं0-3 के पास खड़े थे : बाहर गेट पर करीब 10, 12 युवा लोकदल के लड़कों की बुरी तरह से पुलिस ने पीटा और उनके सर पर चोटें आई उनके सर से खून बह रहा था । हम चाहते हैं कि आप हमें संरक्षण दें । हमारा जो विशेषाधिकार है सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उसका हनन न हो । आप इस संबंध में सख्त से सख्त कार्यवाही करें। और जो बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज वहां पर हुआ है उसकी जांच कराने का आपसे अनुरोध करता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें, माननीय लाल प्रताप जी आपको क्या कहना है ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, उनको क्या सुनेगें वह तो सत्तापक्ष के [x x x] हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा आप बैठें । (व्यवधान) बाबूराम जी आप बैठें आपको भी सुनूंगा ।

श्री शारदानन्द अंचल–

[xxx] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अंचल जी आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बैठें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाएं ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)–

मान्यवर, अब इस सदन को चलते हुए तीन वर्ष बीत गये हैं । अगर कोई माननीय सदस्य प्रथम बार भी चुन कर आया हो तो उसे भी 3 वर्ष का अनुभव हो गया है. कम से कम सम्मानित सदस्यों को किन शब्दों का प्रयोग सदन में करना चाहिए, इसकी तो आप जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो कह रहा हूं कि यह नहीं लिखा जायेगा ।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकारी गाड़ी अभी ड्राइवर लेकर आ रहा था तो प्रदर्शनकारियों ने, धरना देने वालों ने, उसके शीशे को तोड़ दिया, उसकी बाड़ी को तोड़ दिया और ड्राइवर को मारा । ड्राइवर किसी प्रकार गाड़ी छोड़कर भाग आया, उसको चोट लगी है, जिसको मैंने कई माननीय सदस्यों को दिखाया है । इस तरह अराजकता का वातावरण प्रदर्शनकारियों ने पैदा किया ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

माननीय सदस्य [xxx] बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा । श्री बाबू राम यादव को बुलाया है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन के बाहर नियमों के तहत आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं लेकिन श्री वीर बहादुर की सरकार ने यह नियम बना लिया है कि जबसे यह सरकार आयी है तबसे आप जांच करा लें कि प्रति महीने एक न एक विधायक पिटता है जिसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। मान्यवर, यह जनता के बीच कैसे मुंह दिखायेंगे । मुझे खेद है कि आप इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं लेकिन आपने किसी मामले में, किसी स्तर तर कोई कार्यवाही अबतक नहीं की है । आप इन [xxx] के चक्कर में फंसे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

दलाल शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप हमारे रक्षक हैं, इतने गंभीर मामलों में आपने किसी मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है और जो उधर माननीय सदस्य बैठे हैं उनके इशारे पर कार्यवाही करते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह घटनायें निरन्तर बढ़ रही हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो रही है और यदि इसी तरह पुनरावृत्ति होती रहेगी तो कोई सदन में इस तरह से नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचेंगे, जैसा कि आज लाठी चार्ज हुआ है और बरबर्तापूर्वक विधायकों पर आक्रमण किया गया है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आज जिस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर जानवरों की तरह लाठी चार्ज हुआ है, यह लज्जा की बात है । विधायकों को कई बार गेट बंद करके रोका गया है वैसी ही आज भी पुनरावृत्ति हुई है । खेद है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं चाहूंगा कि इस पर कठोरता से कार्यवाही करने के आप सरकार को निर्देश दें । यदि नहीं देंगे तो सारे नियम और कानून तोड़ने के लिये हम मजबूर होंगे । इसलिये इस पर कार्यवाही तुरन्त करें ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । संसदीय कार्य मंत्री जी जो बोल रहे हैं तो वह झूठ से परे हों चूंकि वह जद्दा से लौट कर आये हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय जयदीप सिंह बरार का इतना साथ रहा है कि इनके साथ जो आदत पड़ गयी है झूठ से परे रहने की वह बड़ी मुश्किल से छूटेगी ।

मान्यवर, मेरा सबसे पहले निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने पीठ पर आक्षेप किया है कि न्याय नहीं किया है कि एक तरफ तवज्जह देते हैं दूसरी तरफ नहीं । तो इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये । चूंकि इस तरह के लोगों को शिकायत रहती है कि आप उस तरफ देखते रहते हैं ।

मान्यवर, इस सदन में सम्मानित सदस्यों ने उस तरफ के सदस्यों ने और इस तरफ के सदस्यों ने कुछ कहा, तो दोनों सच बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कह सकता है । मेरा निवेदन है कि तीन बिन्दुओं पर आप जानकारी कर लें । एक, जुलूस जो निकाला गया, उसको जो परमीशन या अनुमति दी गई है, उसका रूट या रास्ता क्या निर्धारित था? दूसरी बात आप यह जानकारी कर लें कि लाठीचार्ज किस स्थान पर हुआ है? क्या उस स्थान पर, रूट पर हुआ है, जिस स्थान या रूट के लिए उसे इजाजत दी गई थी? लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? (व्यवधान) हाथ कंगन को आरसी क्या, श्रीमन्, आप अपना अधिकारी भेज दें और वहां जो बसें, कारें टूटी हैं तथा अन्य वेहिकलें टूटी हैं, तोड़ी गई हैं, वह अब भी उस स्थान पर हैं, आप उसको दिखवा लें । यदि हमारी बात गलत पाई जाए तो सदन को गुमराह करने का या सदन का अवमान करने का जो भी आरोप लगे आप उसे लगा लें । अब जहां तक विधायकों के आने का सवाल है, वह पूरी तरह स्वतन्त्र हैं कि यहां की कार्यवाही में हिस्सा लें। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने में उन्हें कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। यहां की कार्यवाही में हिस्सा लेने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए और न किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार आपको है। तो क्या किसी का अधिकार है कि जुलूस की शक्ल में इस तरह चला जाए कि दूसरे के आने में मुश्किल पैदा हो जाए। आजादी हम उस हद तक हासिल है, जब तक किसी दूसरे की आजादी में हस्तक्षेप या दखल-न्दाजी न हो। इतनी हमें आजादी नहीं है, इस बात की हमें आजादी नहीं है कि हमारी आजादी से किसी दूसरे की आजादी में खतरा हो जाए। तो इन बिन्दुओं की जांच आप करा लें और उसमें यदि किसी तरह सरकार दोषी पाई जाती है तो जो आप सजा चाहें, उसे दे सकते हैं। आप आराम से खुद भी आएं और दूसरों को भी यहां उसी तरह आने दें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

जिस गम्भीर समस्या के विषय में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी जवाब दिया कि कौन सा रूट उस प्रदर्शन या जुलूस के लिए तय था और क्या यह प्रदर्शनकारी उस रूट पर जा रहे थे या नहीं जा रहे थे ? मान्यवर, एक बात से संसदीय कार्य मंत्री भी सहमत होंगे कि प्रदर्शनकारियों पर जो लाठी चार्ज

हुआ है, विधान भवन और रायल होटल के बीच में जो चौराहा है . . . (व्यवधान) विधान सभा के पास में लाठीचार्ज हुआ है। जब भी विधान सभा चलती है या नहीं चलती है, तो किसी भी हालत में प्रदर्शनकारियों को अमूमन विधान सभा के पास नहीं आने दिया जाता है। यदि इनकी यह बात सही है कि रूट का कोई दूसरा मार्ग निश्चित हुआ था, तो यह प्रदर्शनकारी कैसे विधान सभा के गेट नं0 3 तक आ गये? अगर आ गये तो यह सरकार की अकर्मण्यता और उसका निकम्मापन है। यह कहना कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है यह भी गलत और बेबुनियाद है।

मान्यवर, मेरा निवास रायल होटल में है, जब मालूम हुआ तो मैं भी रायल होटल से भागकर आया हूं और मैंने देखा है कि पुलिस वाले बड़ी निर्दयता से लाठीचार्ज कर रहे थे, न जाने कितने विधायकों के लाठी पड़ीं। लोग लाठी खा खाकर रायल होटल की तरफ भाग रहे थे। इसके चलते मुझे भी यहां आने में आधा घंटे का विलम्ब हुआ और आधे घंटे की सदन की कार्यवाही से पुलिस के कृत्यों के कारण मुझे वंचित रहना पड़ा। मैंने इस बात को भी देखा है कि इसके साथ ही पुलिस वाले अपने हाथों से वहां खड़े टेम्पुओं पर डंडे मार रहे थे और उसके शीशे तोड़ रहे थे। कई लोग घायल हुए। विधान सभा के चारों ओर के फाटक बन्द कर दिये गये थे, जिसके चलते विधायकों के सामने मार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में जब फाटक खुले तो विधायकों और हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने यहां आ सके।

अभी संसदीय कार्य मंत्री ने मान्यवर, आपके लिए यह भी कहा कि आप हमारी तरफ ज्यादा देखते हैं। तो इनके गलत कामों में इजाफा देने के लिए पूरा शासन तन्त्र पड़ा है हमें यदि किसी से इंसाफ की आशा है तो आपसे ही है, आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे । जो हम लोग आज आधा घंटा तक विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रहे और इस घटना में जो हम लोग अपमानित हुए हैं, सरकार उस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। इस तरफ से आंखे बन्द किए पड़े हैं। हम सदस्यों के प्रति कोई भी व्यवहार होता है तो सरकार बहानेबाजी करती है। सरकार, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संरक्षण देती है। मान्यवर, आप ही पर हमें विश्वास है आप ही पर हमें भरोसा है, मान्यवर हमारे अधिकारों का हनन हुआ है इसमें आप संरक्षण दें और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सरकार जबसे बनी है तब से अनेकों बार इसके द्वारा शान्ति प्रिय जनता पर लाठी-चार्ज किया गया है। मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर इस सरकार द्वारा घोड़े दौड़वाये गये। वकीलों पर लाठी-चार्ज किया गया छात्रों पर लाठी-चार्ज किया गया और किसानों को मारा गया। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री बड़ी सफाई से कह रहे थे कि जो रूट तय किया गया था ये लोग वहां से नहीं आए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह फिर आसमान से टपक पड़े ? आपकी पुलिस को वह विधान सभा के गेट पर दिखाई पड़े? वह कैसे उस रूट से आ गये जो रूट तय नहीं किया गया था। इन्होंने पुलिस को बड़ी छूट दे रखी है।

मान्यवर, जब जी0 पी0 ओ0 पार्क में हम लोग धरना दे रहे थे तो नोटिस दिया था और जब विधायक जी0 पी0 ओ0 पार्क में धरना देने गये तो आपकी पुलिस जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। धरने पर विधायकों को नहीं बैठने दिया गया। यह सरकार मान्यवर, इतनी निरंकुश हो गई है, यह कह रही है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी और उनके शीशे तोड़ दिए। मान्यवर, यह काम इनकी पुलिस ने स्वतः किया है। इनका पुलिस पर कन्ट्रोल नहीं है। हम चाहेंगे जिस अधिकारी ने यह गलती की है उसको दण्डित करने के सीधे निर्देश आप दें। इनका अधिकारियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है न ही पुलिस पर कोई कन्ट्रोल है, जब रूट तय था, तो यह लोग विधान सभा के गेट पर कैसे आ गये? विधायकों को इन्होंने कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया। इनके कुछ सदस्य मान्यवर जबर्दस्ती सफाई देने के लिए खड़े हो जाते हैं। संसदीय कार्यमंत्री सफाई दें यह तो ठीक है, लेकिन इनके सदस्य जो हर बात में सफाई देने के लिए खड़े हो जाते हैं इससे उत्तेजना बढ़ती है।

(शोरगुल)

मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप संसदीय कार्यमंत्री की बात को मानकर इसमें जांच करा लें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(अत्यधिक शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, आज मैं सरकार से कुछ नहीं कहूंगा। आपका संरक्षण चाहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि संयोग से मैं विलम्ब से आया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उन प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज हो रहा था पुलिस बड़ी बर्बरता से व्यवहार कर रही थी। अब विवाद एक पैदा होता है क्या प्रदर्शनकारियों ने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की जन-विरोधी नीतियां बढ़ रही हैं हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार है। वह अपने जनतन्त्रीय अधिकारों का पालन करने के लिए यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और संयोग से मान्यवर वही रास्ता माननीय सदस्यों के आने-जाने का है। अगर मा0 सदस्य आ रहे थे तो उनके मार्ग में बाधा क्यों पैदा की गई? प्रदर्शनकारी शान्त थे। पुलिस ने जानबूझ कर वाहन को क्षतिग्रस्त किया। मान्यवर, आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उधर भी पुलिस के अत्याचार हो चुके हैं इसलिए पुलिस के मामले में आपको हमें खुद संरक्षण देना है। इसलिए नेता जनता पार्टी ने सुझाव दिया है उसमें मैं एक पंक्ति जोड़कर सुझाव रखना चाहता हूं कि आप इस सरकार की जानकारी पर विश्वास न करें। दारुलशफा से, ओ0 सी0 आर0 से, रायल होटल से हमारा आना जाना है, उसी रास्ते पर प्रदर्शन हुआ करेंगे क्योंकि प्रदर्शनकारी सरकार तक अपनी बात लाना चाहते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी जिसमें इधर के लोग हों और उधर के भी लोग हों बना दें, कमेटी सायंकाल तक आपको सही स्थिति की जानकारी से अवगत करा देगी और

मुझे विश्वास है कि आपका समाधान हो जायगा। पुलिस ने जानबूझकर बल प्रयोग किया है और प्रदर्शनकारियों को निंदित करने का घृणित प्रयास किया है। खुद उन्होंने बस तोड़ा है। अतः आपसे मांग है कि आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें तो सारे तथ्यों की जानकारी करके आपको तथ्यों से अवगत करायें।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों ने मांग की कि इस मामले में कार्यवाही की जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यह वही लोग हैं जब 77–80 के बीच गन्ना जलाया जा रहा था तो गन्ना रैली हुयी थी, मा0 लोकपति जी यहां बैठे हैं इनके कंधे पर लाठियां बरसायी गईं थीं और हमारे नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। आज वही लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस आन्दोलनकारियों पर लाठीचार्ज न करे तो क्या फूल माला लेकर स्वागत करे। यह बसें जलायें, बसें तोड़ें इस पर क्या व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

आपने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया है। नियमों के अनुसार आपको विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले के लिए सूचना देनी चाहिए। वह आ गयी है, मैं इसकी जांच करूंगा और शीघ्र ही इसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

तृतीय सत्र 1987 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1987 के तृतीय सत्र (दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 से 5 जनवरी, 1988 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(मद सं0 7 पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अभी सुनता हूं।

---

†छापा नहीं गया ।

नियम 301 की सूचनाओं पर कार्यवाही होने में विलम्ब के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न मद 2–3 के संबंध में है। आपने आगे की मद ले लिया है। मैंने लिखित दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आप कहिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का दूसरे व्यवस्था के प्रश्न पर संभाषण सुना, बड़ा मधुर लगा। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का विश्वास इस प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली और संसदीय परम्पराओं पर अवश्य होगा भले ही राज्य सभा के सभापति के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव को वे तथा उनकी सरकार प्रेषित न करें। किन्तु नियम 301 के संबंध में जो व्यवस्था है वह यह है कि इन सूचनाओं के संदर्भ में जो कार्यवाही सरकार करेगी उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर सदन में रखेगी। पिछला सप्ताह गुजर गया। 301 की सूचनाओं की कितनी उपेक्षा हो रही है कि जो सूचनायें अविलंबनीय लोक महत्व की होती हैं और जो आपके द्वारा स्वीकार की जाती हैं उसमें सरकार का रवैया कितना खराब है उस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार आप द्वारा स्वीकृत सूचनाओं के संदर्भ में कार्यवाही नहीं करती । उसमें अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और कार्यपालिका इसे गम्भीरता से नहीं लेती और न समुचित कार्यवाही करती है न कृत कार्यवाही के संबंध में समुचित उत्तर भेजती है। उदाहरण स्वरूप गत सत्र की स्वीकृत 60 सूचनाओं में से 51 सूचनाओं के उत्तर इन्होंने विलम्ब से भेजे हैं और यह नहीं बताया है कि किन अपरिहार्य कारणों से इन सूचनाओं के उत्तर भेजने में विलम्ब हुआ है। उनमें से 21 सूचनाएं ऐसी हैं, जिनके उत्तर विधान सभा की बैठक शुरू होने के बाद भेजे गये हैं और 6 सूचनाओं के उत्तर आज तक नहीं भेजे गये हैं, जिसके बारे में इनकी कार्य-पालिका आज तक कार्यवाही नहीं कर पाई । सरकार का यह उपेक्षापूर्ण रवैया संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं पर कुठाराघात है। वे अपने द्वारा दिये गये सम्भाषणों और संसदीय परम्पराओं और प्रक्रिया नियमावली के नियमों, आप द्वारा दी गयी व्यवस्था का बराबर हवाला देते हैं किन्तु वे और उनकी सरकार विधान सभा और प्रक्रिया नियमावली और संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं करती फलतः व्यवस्थाओं का परिपालन सुनिश्चित करावें। आप श्रीमन् विधायकों और माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करें और सरकार की इस बात के लिए निन्दा करें कि उसने इस कार्यवाही में विलम्ब किया है और 60 सूचनाओं में से 51 के उत्तर निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब से भेजे हैं और 21 सूचनाओं के उत्तर विधान सभा चलने के बाद भेजे हैं तथा 6 सूचनाओं के उत्तर आज तक नहीं भेजे गये हैं। यह मान्यवर, अत्यन्त दुखद और निराशाजनक बात है। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उनके भी उत्तर भेज दिये गये हैं।

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)।

दिनांक 2 सितम्बर, 1985 के तारांकित प्रश्न सं0 8 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

(श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की अनुमति से निम्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को श्री कौशिक रमाशंकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–8 के संबंध में श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "प्रदेश में लगभग 32,000 प्राइमरी स्कूल और 15,000 जूनियर हाई स्कूल बिना भवनों के चल रहे हैं, क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में भवनों के निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?"

2–क–उस समय सदन में मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लगभग 30,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां भवन नहीं हैं।

2–ख–दिनांक 31 मार्च, 1986 को श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर में मा0 अशोक बाजपेयी ने प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्नों में यह प्रश्न उठाया था कि "मान्यवर, पिछले सत्र में ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या मंत्री जी ने 32,000 बतायी थी, जो भवनहीन हैं और 6 महीने बाद वह संख्या 20,000 बता रहे हैं, तो क्या इस 6 महीने में 12,000 भवनों का निर्माण कर लिया गया है।" इसके उत्तर में मा0 मंत्री जी (संकठा प्रसाद शास्त्री) ने यह बताया कि प्रदेश में कुल प्राइमरी पाठशाला 72,959 हैं और जूनियर हाई स्कूल 14,614 हैं। इसमें 18,857 भवनहीन प्राइमरी पाठशाला हैं और जूनियर हाई स्कूल 2,710 भवनहीन हैं। उनके निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

3–इस संबंध में निवेदन है कि प्रथम प्रश्न के उत्तर से जो 30,000 भवनहीन स्कूलों का उल्लेख किया गया था वह कुछ त्रुटिपूर्ण था। सही वास्तविक स्थिति यह है कि वर्ष 1984-85 में जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उस समय संकलित की गयी सूचना के अनुसार भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों की संख्या क्रमशः 18,857 तथा 2,710 थी।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 29-2-88 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम और लखनऊ के महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दूसरी, श्री बलराम यादव, श्री राम जनम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री फागू चौधरी की सूचना है, आजमगढ़ स्थित चीनी मिल सठियांव तथा घोसी द्वारा जिले के किसानों का गन्ना न लिए जाने के संबंध में।

तीसरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना है, टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए खतरा के संबंध में।

चौथी, श्री किरन पाल सिंह व श्री वीरेन्द्र सिंह की सूचना है, हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र 20–25 कि0 मी0 की दूरी पर रखे जाने के संबंध में।

पांचवी, कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री अशोक बाजपेयी की सूचना है, आटो ट्रैक्टर लि0 प्रतापगढ़ के कर्मचारियों का तीन माह से वेतन न मिलने के संबंध में।

छठी, श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री विजय सिंह राणा की सूचना है, जनपद आगरा के नहरों में पानी की आपूर्ति न होने के संबंध में।

सातवीं, श्री विष्णु देव की सूचना है, आजमगढ़ की तहसील घोसी में शासन द्वारा घोषित नीति के बावजूद निराश्रित असहाय व्यक्तियों को सहायता न मिलने के संबंध में।

आठवीं, श्री चन्द्रभान मौर्य की सूचना है, आगरा जनपद के हरिजन छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में।

नवीं, श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री मूल चन्द्र की सूचना है, दिनांक 25-2-88 को वाराणसी में अतिक्रमण के नाम पर नगरमहापालिका द्वारा बेनिया बाग के दूकानदारों की दूकानें तोड़े जाने के संबंध में।

दसवीं, श्री मित्रसेन व श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना है, ग्राम रघुनाथपुर तहसील नवतनवां, जनपद–गोरखपुर के सैकड़ों हरिजन परिवारों को निवासित करने के संबंध में।

ग्यारहवीं, श्री गोपाल दास यादव की सूचना है, इलाहाबाद जनपद में विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से सैकड़ों मकान गिराये जाने के संबंध में।

बारहवीं, श्री राज किशोर सिंह की सूचना है, वाराणसी जनपद के थाना रोहनियां, ग्राम बढ़ैनी कलां में कुएं के अन्दर मिट्टी दब जाने से श्री बिहारी लाल गुप्त की मृत्यु के संबंध में।

तेरहवीं सूचना श्री सरदार सिंह जी की प्रदेश में पेट्रोडालर के प्रभाव से चलाये जा रहे धर्म परिवर्तन के संबंध में है । चौदहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक बढ़ जाने से प्रदेश की जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में है । पन्द्रहवीं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की मोहल्ला खटकान बेगमबाग जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा बरातियों पर गोली चलाये जाने के संबंध में है । सोलहवीं श्री बदन सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण जी की जनपद आगरा के थाना अछनेरा, ग्राम भुड़ियापुर में हुए महादावी हत्याकांड के हत्यारों को न पकड़े जाने के संबंध में, है । सत्तरहवीं डाक्टर दिनेश जौहरी की बरेली नगर में ट्रक द्वारा बारात को रौंदने से चार लोगों की मृत्यु व अनेकों के घायल होने के संबंध में है । अठारहवीं श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जाजमऊ की टेनेरियों के बर्बाद करने व उजाड़ने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं श्री सुखपाल पाण्डे जी की बस्ती जनपद में घाघरा, राप्ती आदि नदियों के कटान से हुई टूट-फूट के संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के संबंध में है और बीसवीं श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री हर्ष वर्धन की प्रदेश के 22 जनपदों में उपभोक्ता भण्डारों के अध्यक्षों और आठ डायरेक्टरों का मनोनयन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाये जाने के संबंध में है ।

मैं नियम से कुछ को सुनूंगा और समय का आप पूरा ध्यान रखें क्योंकि पूरा समय इन्हीं पर निकल जाता है । अनुग्रह नारायण सिंह जी दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान शिक्षा नीति के साथ एक बचकाने ढंग से पेश आ रही है और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने एवं महाविद्यालय को अवध विश्वविद्यालय से जोड़ने के कारण छात्र आन्दोलन से ग्रस्त है, पढ़ाई ठप हो गयी है, सैकड़ों छात्र नेता जेलों में हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं । यह त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम छात्र विरोधी है । मान्यवर, जैसा उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यह यू0 जी0 सी0 की नीति है तो यह भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न है। यह एक समान नहीं है। यह तीन वर्षीय डिग्री कोर्स हमारे उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग विश्वविद्यालय में अलग-अलग पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। कई जगह पाठ्यक्रम अभी तय नहीं किये गये हैं। यह बेकारी को बढ़ाने वाला है।

आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय तथा अनेक विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलित हैं। इसी तरह से लखनऊ के महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से जोड़ने के खिलाफ छात्र आन्दोलित हैं और लगभग 2 महीने से यह आन्दोलन चल रहा है, सैकड़ों छात्र नेता जेलों में बन्द किये गये हैं और उनको पीटा गया है। इस सत्र की परीक्षाएं अप्रैल और मई में होने वाली हैं लेकिन छात्रों ने अभी तक परीक्षा फार्म नहीं भरे हैं। सत्र पहले से अनियमित है अब और भी अनियमित होने जा रहा है । एक तरफ तो सरकार शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने की घोषणा करती है वहीं पर शिक्षा के विषय में अविवेकपूर्ण निर्णय लेती है छात्रों का भविष्य अधर में है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की

कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने के साथ ही साथ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जो कि छात्र विरोधी है इसको समाप्त करने की भी मांग करता हूं तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के अवध विश्वविद्यालय से न जोड़ने एवं छात्र नेताओं को रिहा करने की मांग करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैंने भी इसको दिया था नियम 51 में, मैं चाहूंगा कि लखनऊ का मामला है इसमें समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसको फिर सुना दीजिएगा।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, यह कार्यस्थगन का मामला नहीं बनता है। यह त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू किया जाना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों की ओर से मंत्रणा और सलाह देने के कारण इसे लागू किया गया है। बहुत से विश्वविद्यालयों में इस साल से, इलाहाबाद में 1985 से, गोरखपुर में 1986 से और लखनऊ के अन्दर 1986 से यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है बकिया विश्वविद्यालय में आगरा को छोड़कर समस्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो सलाह थी उसको मानते हुए अपने-अपने यहां इस पाठ्यक्रम को लागू कर लिया है यह छात्रहित में है। आज सारे देश के सभी प्रदेशों में अंदर वही व्यवस्था चल रही है अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर यह नहीं होता तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लाखों लाख विद्यार्थियों का अहित हो जायेगा और शिक्षा के क्षेत्र में वह पिछड़ जायेंगे। जहां तक अन्य बातों का सवाल है हम देखेंगे जो अवध विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंधित विद्यालय जोड़े गये हैं, उन पर क्या किया जाय?

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष विद्यार्थियों का तीसरा साल है लेकिन तीसरे साल का कोर्स अभी तक नहीं बनाया गया है। जिससे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी0 ए0 के तीसरे वर्ष के छात्रों को क्या पढ़ना है? निश्चित नहीं हो पाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी। मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में माननीय मंत्री जी ने बताया लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में . . . (व्यवधान) उसको आवासीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है और जो 19 महाविद्यालय हैं, उनको अवध विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया है, इसके बारे में यहां छात्र आन्दोलित हैं और जेल जा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात हो गयी, मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, हमारे जनपद में गन्ना किसानों के गन्ने की पेराई छठियांव और घोसी चीनी मिलों में नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां से 200 किलोमीटर दूर मुख्य मंत्री जी के जनपद गोरखपुर का गन्ना इन मिलों को पेरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आजमगढ़ के किसानों का गन्ना छठियांव और घोसी चीनी मिलों में नहीं पेरा जा सकता है। इस संबंध में मैं अधिकारियों और सरकार के राज्य मंत्री जी से मिला और कहा कि इन मिलों में आजमगढ़ के किसानों का गन्ना पेरा जाय, तो अधिकारीगण सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण गोरखपुर के किसानों का गन्ना आजमगढ की इन दोनों मिलों में पेरा जा रहा है और आजमगढ़ के गन्ना किसानों की उपेक्षा हो रही है। आजमगढ़ की चीनी मिलों में भयंकर घाटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजमगढ़ के गन्ने की कीमत 45–48 रुपये प्रति क्विंटल है। हमारे यहां पूर्व के माननीय सदस्य उन चीनी मिलों के बराबर घाटे पर चलने की बात कह रहे थे। उन चीनी मिलों का शोषण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि आजमगढ़ में किसान आन्दोलन पर उतारू हैं। अगर उनके गन्ने की पेराई नहीं की गयी तो यह आन्दोलन दूसरा रूप ले लेगा। इसलिए मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कई व्यक्ति एक ही विषय पर बोलेंगे तो चर्चा हो जायगी। इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दे दूंगा। राम जनम जी, उसमें आपका नाम भी आ जायगा कि आपने सूचना दी। एक आदमी एक विषय पर बोलेगा।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद की सठियांव और घोसी चीनी मिलों में गन्ना पेराई के संबंध में जो माननीय सदस्य ने राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया, वह निराधार है। श्रीमन्, आजमगढ़ की चीनी मिल सठियांव और घोसी में पेराई की क्षमता 18-18 लाख क्विंटल की है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि किसी भी चीनी मिल को आजमगढ़ से पूरी क्षमता भर गन्ना मिलना असम्भव है।

(व्यवधान के मध्य)

मुझे जवाब देने दीजिये। श्रीमन्, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि सठियांव और घोसी चीनी मिलों में पिछले साल क्रमशः साढ़े ग्यारह लाख और साढ़े ग्यारह लाख क्विंटल गन्ना पेरा गया था। इस प्रकार इनकी कुल क्षमता 36 लाख क्विंटल की है, जबकि ये केवल 22–23 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करा पाए।

मान्यवर, शाहगंज चीनी मिल बन्द है।

(श्री बलराम यादव तथा श्री विष्णु देव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, क्षमता भर गन्ना न मिलने से पूरे सत्र भर वहां की चीनी मिलें नहीं चल पाती हैं और जिससे चीनी मिलों को घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए इनकी क्षमता के अनुसार गन्ना देने के लिए पास पड़ोस के जनपदों से अतिरिक्त गन्ना लेकर पेरना किसानों के हित में है, राष्ट्र के हित में है, प्रदेश के हित में है। मान्यवर, इन्होंने जनपद गोरखपुर के गन्ने का नाम लिया। मान्यवर, 15 जनवरी, 1988 का एक आंकड़ा मैं माननीय सदस्यों की संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं। 15 जनवरी, 1988 को जब मैंने सठियांव चीनी मिल का चार्ट मांगा तो उसमें देखा कि 7 लाख कुन्टल में से 35 हजार कुन्टल गन्ना गोरखपुर का आया था जो पूरी पेराई का 5 प्रतिशत था। आजमगढ़ का गन्ना 80 प्रतिशत पेरा जा रहा है। 18–20 प्रतिशत गन्ना गोरखपुर, देवरिया, शाहगंज या अन्य पास पड़ोस के क्षेत्र का है।

(श्री बलराम यादव, श्री विष्णु देव तथा श्री राम जनम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर पास-पड़ोस का ऐसा गन्ना है या तो जो मिल बन्द है या जहां पर क्षमता के अतिरिक्त गन्ना है। उसको पेरना आवश्यक है। इन चीनी मिलों को उनकी क्षमता के अनुसार गन्ना देना भी जरूरी है।

श्री बलराम यादव–

वहां का किसान परेशान है। आप हम लोगों को सुनें।

श्री राम नाथ मुंशी–

क्षमता के अनुसार मिलों को चलाने के लिए और अतिरिक्त गन्ने को पेरने के लिए समायोजन जरूरी है। 80 प्रतिशत आजमगढ़ का गन्ना पेरा जा रहा है, 20 प्रतिशत ही पास पड़ोस का है। आरोप जो लगाया गया, वह बिल्कुल निराधार है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सवाल यह था कि घोसी और सठियांव चीनी मिलों पर वहां के किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। बात यही थी कि इनका गन्ना लिया जा रहा है या नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री (गन्ना) ने उस प्रश्न का तो उत्तर दे दिया था, साथ ही भविष्य में आने वाले तमाम प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया। अब इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता।

(हंसी)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर आप इधर के माननीय सदस्यों को तो 2 मिनट से ज्यादा समय देते नहीं। अगर वे बोलते हैं ज्यादा तो उन्हें बिठा देते हैं लेकिन, मा0 मंत्री जी तो बिल्कुल भाषण ही करने लगे। यह कोई चर्चा तो हो नहीं रही थी। तथ्य रखा गया, उसके

परिपेक्ष्य में जानकारी देनी थी। मान्यवर, यह जो गन्ने का प्रश्न है, यह पूरे प्रदेश का मामला है केवल आजमगढ़ की ही नहीं, अन्य जगहों पर भी तमाम समस्यायें हैं। आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के कारण पर्वतीय क्षेत्र में गुप्तचरी की गतिविधियां बहुत बढ़ गयी हैं। टिहरी में महत्वपूर्ण बांध बन रहा है। टिहरी के विकासखंड जखड़ीधर के ग्राम अजनी सेंड में एक भुवनेश्वरी आश्रम बना हुआ है। यह असहाय एवं निराश्रित महिलाओं की सेवा के नाम पर चल रहा है। लेकिन, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर गुप्तचरी का काम किया जा रहा है। धमवलू नाम का एक अमेरिकी नागरिक वहां पकड़ा गया था, जिसके पास पारपत्र नहीं था। उसके पास से बांध के निर्माण से सम्बन्धित चित्रों और पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी के अन्य आवश्यक अभिलेख भी बरामद किये गये थे। मान्यवर, आश्चर्यजनक जानकारी तो यह देना चाहता हूं कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी अंजनी सेंड में की गयी लेकिन पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी वहां न दिखाकर मुनी की रेती में दिखायी गयी।

मान्यवर आश्रम के ऊपर सरकार की कृपा है और वह लोग गुप्तचरी गतिविधियों में लिप्त हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई आंच नहीं आ रही है। वहां के डा0 मनमथ को राज्य सरकार ने हरिजन समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य बना रखा है, जबकि वह आदमी गुप्तचरी की गतिविधियों में काम कर रहा है। लेकिन सरकार उस पर कार्यवाही इसलिये नहीं कर रही है, कि कहीं उस आश्रम की बदनामी न हो जाये। इसलिये उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया और दिखाया गया मुनि की रेती में।

मान्यवर, अभी तक तो मंत्री जी को जानकारी नहीं थी कि डा0 मन्मथ कैसे आदमी हैं? लेकिन उन्हें अब तो जानकारी हो गई है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, उस व्यक्ति के पास से आपत्तिजनक कागजात भी बरामद हुए हैं। उसके बावजूद भी डा0 मनमथ हरिजन समाज कल्याण बोर्ड की सदस्यता से हटाया नहीं जा रहा है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, जिसको रोकने में सरकार विफल है। मान्यवर, यह लोग हमारी सुरक्षा के लिये खतरा बने हुये हैं यह केवल महिला आश्रम का सवाल ही नहीं है बल्कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र और देश की सुरक्षा के लिये इन लोगों की वजह से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, ऐसे मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। हमारे पास जानकारी और भी है लेकिन मैं उसको चर्चा के समय ही बताऊंगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बड़ा कार्य पहाड़ों पर नहीं हो रहा है लेकिन एक आध सूचना इस तरह की सरकार के संज्ञान में आई है और सरकार इस मामले में पूरी तरह सचेत है और छानबीन की जा रही है और अधिक जानकारी इस मामले में देना, लोकहित में उचित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी की बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारी सूचना सही है। जिस चीज को आज थोड़ा समझ रही हूँ, वह बड़ा गम्भीर मामला है और इस पर चर्चा होना आवश्यक है। डा0 मन्मथ के बारे में जो मैंने आरोप लगाया है कि उसे हरिजन समाज कल्याण बोर्ड की सदस्यता से हटाया नहीं जा रहा है और उसे सरकारी सरक्षण प्राप्त है। इसलिए हमारे और माननीय गृह मंत्री जी के तर्क में कोई फर्क नहीं रह गया है। आरोप को उन्होंने स्वीकार किया है, इसलिये चर्चा कराने का मामला बनता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने किसी आरोप को स्वीकार नही किया है। मान्यवर, मैंने यह कहा है कि इस तरह के मामले में छानबीन की जा रही है और अभी इस तरह के कोई प्रमाण हमारे सामने नही आये हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी इस मामले में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दें।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसे हरिजन समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिलाओं का संगठन है और उसमें महिलायें ही हैं। डा0 मनमथ नाम के किसी व्यक्ति का उसमें कोई प्रश्न मेरी समझ में नही आता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरी बात सही है और मैं इसकी लिखित जानकारी दे दूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मंत्री जी के पास कर्मचारियों के लिये कोई नियम ही नहीं हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में छात्रों व अभिभावकों की एक गम्भीर समस्या को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मान्यवर, इण्टरमीडिएट, और हाईस्कूल के छात्र इस मंहगाई में, भ्रष्टाचार अव्यवस्था और शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल के बावजूद जैसे तैसे परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए इस सरकार ने उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। परीक्षार्थियों को अपने केन्द्र से 30-40 किलोमीटर दूर दूसरे केन्द्रों में जाना पड़ रहा है।

मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने 26/27 जनवरी को अखबारों के जरिये अपना बयान दिया था कि कोई भी परीक्षा केन्द्र इण्टरमीडिएट व हाईस्कूल का 5-6 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। लेकिन मान्यवर, अनेकानेक परीक्षा केन्द्र इस सरकार ने 20, 30 व 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए हैं। मैं मानता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बीमार रहे लेकिन उनके अधिकारियों/कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा लापरवाही की है और मनमाने ढंग से काम किया है, जिसके कारण आज अभिभावकों के सामने समस्या आ गई है। आज वह अपनी बेटियों को 30-40 किलोमीटर दूर परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा

दिलवाने का इन्तजाम कैसे करें । यह एक गम्भीर समस्या है। यह मेरी ही समस्या नहीं है अपितु इस पूरे सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के क्षेत्रों की समस्या है। हजारों की लिस्ट मेरे पास है। बुलन्दशहर के कई उदाहरण मेरे पास हैं। किसान बाल विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल सराना का 25 किलोमीटर दूर जटपुरा मुकीमपुर इण्टर कालेज में किया गया है, घुघरावली कालेज का केन्द्र दरावर में किया गया है। मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह से अनेकानेक केन्द्र 20-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए गये हैं। युवक तो चलो इम्तहान देने चले जायेंगे लेकिन युवतियां इतनी दूर इम्तहान देने कैसे जायेंगी ? आज अभिभावकों के मन में असंतोष पैदा हो गया है । इतनी दूर परीक्षार्थियों की तैयारी भी नहीं हो पा रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि परीक्षा केन्द्रों की स्थापना 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर की जाय और शिक्षकों और छात्रों का ख्याल रखा जाय।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सबसे पहले मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो ये परीक्षा केन्द्र हैं, इसका आयोजन शासन नहीं करता है बल्कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ये परीक्षायें कराता है । इस वर्ष लगभग 21 लाख लोग इन परीक्षाओं में बैठेंगे। हर वर्ष 3-4 लाख परीक्षार्थियों की वृद्धि होती है। आप जानते ही हैं कि हमारे पास लगभग 5 हजार विद्यालय हैं, इसमें से लगभग 3 हजार विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। माध्यमिक परिषद् के स्तर पर उप शिक्षा मण्डल, निदेशक के स्तर पर तथा जिला स्तर समितियों के स्तर पर यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है । वैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् इस संबंध में पूर्ण सतर्क है ।

आपको याद होगा कि कुछ वर्ष कई लाख विद्यार्थियों का परीक्षाफल रुक गया था । इसी कारण एक हरकोली आयोग बनाया गया था । आखिरी समय पर केन्द्र चेन्ज किए गये थे, जिसके कारण लाखों लाख परीक्षार्थियों का अहित हो गया था, उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया था । इस समय पिछले 2-3 साल से जो परीक्षाफल घोषित किये जा रहे हैं, उससे सभी संतुष्ट हैं । परिषद् ने इस बार जो केन्द्र मास कापी की वजह से आरोपित थे, इस बार कोशिश की गई है कि उन्हें दुबारा केन्द्र न बनाया जाय । मान्यवर, परीक्षाओं की पवित्रता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है, इसलिए शासन व परिषद् का यह कर्तव्य हो जाता है कि परीक्षाओं की उपयोगिता, सार्थकता और पवित्रता को बनाया रखा जाय ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने कोशिश की है कि नकल को रोकने के लिये केन्द्र वहां बनाये जायं, जो स्थान सड़क से जुड़े हुए हों । अब 9 मार्च से परीक्षायें शुरू होने जा रही हैं, 21 लाख विद्यार्थी बैठने जा रहा है । प्रयास इसी बात का किया जा रहा है कि कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाये । अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया तो विद्यार्थियों का नुकसान होगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, नियम 56 के अंतर्गत माननीय किरन पाल सिंह द्वारा जो सूचना दी गयी, मुझे आशा थी कि माननीय शिक्षा मंत्री उसका सही जवाब देंगे और उस समस्या

का समाधान करेंगे, लेकिन उनका उत्तर सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने सारी बातें ऐसी कही हैं, जिनका केन्द्रों की दूरी से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी परीक्षा केन्द्र पर नकल हो रही है, तो उसे तो आपने समाप्त कर दिया, अब अगर मान लीजिये किसी दूसरे परीक्षा केन्द्र पर नकल हो रही है, तो 30-40 कि0 मी0 दूर का छात्र अगर वहां आयेगा तो इससे नकल रूक तो जायेगी नहीं। जो भी अध्यापक वहां होते हैं, नकल करानें वाले तो वही होते हैं, इसका यह तो अर्थ नहीं है कि आप छात्र को परीक्षा देने के लिये 30-40 कि0 मी0 दूर भेज दें। इस तरह करना छात्रों और अभिभावकों के हित में मुनासिब नहीं है। अब 7-8 मार्च से परीक्षायें प्रारम्भ होनें जा रही हैं, यह चर्चा का विषय नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि मुख्य प्रश्न सारे प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों के लिये परीक्षा देने और दिलाने का है। इस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये। जो केन्द्र बहुत दूर हो गये हैं, उनको नजदीक लाने का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा ही। अगर माननीय शिक्षा मंत्री का उद्देश्य किसी बात का जवाब, बात से दे देने का हो, तब है, वह खत्म हो जायगा। मान्यवर, आपसे भी अनुरोध है कि इनको निर्देशित नहीं, सत्ता पक्ष के सामने भी है, बेहतर यही होगा कि इस समस्या पर विचार करें और दूर के केन्द्रों को नजदीक लाने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय किरन पाल जी ने जो सवाल उठाया था, उसका कदाचित मंत्री जी ने सुना नहीं, उन्होंने छात्राओं का मामला उठाया था और बुलन्दशहर का उदाहरण दिया था। आप इससे सहमत होंगे कि कोई भी छात्रा 30-40 कि0 मी0 दूर गांव में जाकर कैसे रहेगी और कैसे अपनी परीक्षा देगी? परीक्षा केन्द्रों की दूरी 5 कि0 मी0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मा0 मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड से परीक्षायें आयोजित होती हैं, शासन से क्या मतलब है? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री हैं, अगर बोर्ड गलत काम करता है तो उसे सुधारने का काम कौन करेगा? इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, बोर्ड ने अगर कोई गलती की है, तो आपको यही समझना चाहिए कि वह गलती आपकी है। 3 से 5 कि0 मी0 से ज्यादा कोई केन्द्र न रखें। जैसा माननीय नेता, विरोधी दल ने कहा जो मास्टर ऐसा काम करवाते हैं, उनका आप ट्रांसफर कर दीजिये, कोई भी मास्टर अपने स्कूल में न रहे, इससे जो नकल करवाते हैं, वह खत्म हो जायगा। मान्यवर, आपसे भी अनुरोध है कि इनको निर्देशित करें, इन्होंने 21 लाख छात्रों की बात कही, हमने तो केवल छात्राओं की बात कही थी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि अध्यापकों के ट्रांसफर दूर-दूर कर देंगे तो उनको तो भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, अतः उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी लेकिन विद्यार्थियों को 25-25 और 30-30 कि0 मी0 दूर भेजेंगे तो यह असह्य हो जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि नकल की बात है। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूं, शाहजहांपुर में तिलर के छात्रों के लिए शाहजहांपुर हेडक्वार्टर लगा दिया है,

जो वहां से 32 कि0 मी0 दूर है। और तिलहर के पास कटरा कस्बा है जहां हायर सेकेन्ड्री स्कूल है और जो ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, मैंने डी0 डी0 आर0 से इस संबंध में बात की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, आप कह रहे हैं कि नकल होती है इसलिए आप वहां केन्द्र नहीं कर रहे हैं, यह बात नहीं है बल्कि इसके पीछे आपके अधिकारियों की साजिश है कि अभिभावकों को परेशान करना और उन पर खर्चे का अधिक बोझ डालना। यदि आप इस वर्ष केन्द्रों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप आगे के लिए आश्वासन तो दे दीजिये।

श्री मूल चन्द्र–

इस पर मान्यवर, आप निर्देश दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही उसे मैंने सुना। मैं तर्क देने के लिए तर्क नहीं दे रहा हूं मैंने बतलाया कि 21 लाख विद्यार्थियों का मामला है और केन्द्र निर्धारण का काम पहले से ही हो चुका है, यदि अंतिम क्षण में केन्द्र बदले गये तो उचित नहीं होगा। यह ध्यान रखा गया है कि सड़कों से जुड़े हुए केन्द्र रखे जायं यह एहितयात बरती गयी है इसलिए हो सकता है कि कुछ असुविधा हो गयी हो और इस समय केन्द्र को बदला जाना कदापि सम्भव नहीं हो पायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह इनकी हठवादिता है। हमारी माकूल बात को भी ये नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं अपने दल के सहित सदन का त्याग करता हूं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, छात्रों के परीक्षा केन्द्र का मामला है, उसकी दूरी की बात है। दूरी कम करने के लिए सरकार अनुमति नहीं देती है लिहाजा इसका मतलब है कि सरकार में कार्य करने की क्षमता नहीं है इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(बुनियाद हुसैन अन्सारी भी अपने दल (लोकदल ब) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो अभी केन्द्रों के बारे में कहा तो बोर्ड के तो पहले से ही इस तरह से आदेश हैं कि छात्रों के लिए केन्द्र 8 किलो मीटर की दूरी से ज्यादा पर न हों और छात्राओं के लिए भी बोर्ड के आदेश पहले से ही हैं कि जहां पर छात्रायें अध्ययन कर रही हों वहीं उनका केन्द्र बनाया जाय। इस बात के बाद भी परीक्षा केन्द्रों को लेकर सारे प्रदेश में अव्यवस्था पैदा हो गयी है और शासन की कोई नीति नहीं बन पा रही है, इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद, आगरा जनपद की सारी तहसीलों में नहर के किनारे के छोर पर पड़ती हैं जहां पर किसानों की लहलहाती फसल खड़ी है। आज सरकार की विवेक-हीनता और अदूरदर्शिता के कारण सारी फसलें सूखी जा रही हैं। फरवरी में नहर में पानी आया नहीं मार्च के लिए नहर आने का रोस्टर में चार्ट नहीं है। सिंचाई विभाग का कार्यालय दिन प्रतिदिन रोस्टर चार्ट को जनवरी से लेकर मार्च तक बदला जा रहा है। आगरा और फिरोजाबाद जो कि नहर के किनारे के छोर पर पड़ते हैं जहां जनवरी से अब तक पानी नहीं मिला है, रोस्टिंग में वहां तीन-तीन दिन का पानी मिला है जिससे किसानों की लहलहाती फसल इस समय सूख रही है और उसे पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि नहरों को पानी उपलब्ध कराया जाय। दो हजार घन फुट पानी अतिरिक्त प्रदान करें ताकि नहरों का पानी किसान को मिल सके और उसके खेतों की सिंचाई हो सके। फिरोजाबाद को 220 घन फुट अतिरिक्त पानी प्रदान कर फसल बचावें।

वहां के अधिकारी रोस्टिंग में गड़बड़ी करते हैं, जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह महत्वपूर्ण मामला है और अविलम्बनीय भी है, इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कुछ बिन्दुओं तक ही सीमित रहूंगा। आगरे में दो नहरों की प्रणाली है। एक तो आगरा कैनाल और दूसरी मांट ब्रांच की शाखायें जो फिरोजाबाद की ओर जाती है। आगरा कैनाल की व्यवस्था शुरु से ही सही नहीं है, जिनका रोस्टर भी सही नहीं बना कारणवश वहां की नहर से आज तक पानी ठीक से किसानों को उपलब्ध नहीं हो सका जबकि इस समय फसलें पकाई पर हैं और यदि मान्यवर, समय से फसलों को उनकी मात्रा में पानी नहीं मिला तो इस काम के करने वालों को मालूम है कि उनकी फसलें पूर्णतया कमजोर पड़ जायेंगी और फिर इनका उत्पादन एक चौथाई ही रह जायेगा।

मान्यवर, यमुना नदी से आगरा को कुल 11 सौ क्यूसेक पानी मिलता रहा है जो इस वर्ष कुल 4 सौ क्यूसेक मिल सका और गंगा नदी की स्थिति भी यही रही अपर गंगा के नाले से भी पूरा पानी हमें नहीं मिला। एक तो इन नहरों में स्वयं पानी पूरी तरह नहीं मिल रहा है, दूसरे इसमें मान्यवर, भागीदारी इतनी बढ़ गयी है 15 क्यूसेक पानी तो मथुरा रिफाइनरी को दिया जा रहा है और इसी प्रकार से 300 क्यूसेक पानी दिल्ली को, तो मान्यवर, समझ में नहीं आ रहा है कि इन किसानों की फसलों का क्या होगा ?, अगर समय से पानी उनको न दिया गया तो पकी-एकाई फसलें सारी की सारी बर्बाद हो जायेंगी। जबकि दो पानी मार्च में अवश्य मिल जाने चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसानों की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस गम्भीर मसले पर कम से कम दो घंटे की चर्चा अवश्य करा ही दें मान्यवर।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, नहरों को चालू करने के संबंधों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक रोस्टर तैयार किया गया है, इस रोस्टर के अनुसार जो उपलब्ध पानी है, उसी के अनुसार पानी दिया जा रहा है (शोर) जैसा कि माननीय सदस्यों को स्वयं ज्ञात है कि सारे प्रदेश की नदियों में आज पानी है नहीं, सूखे की स्थिति है और जो पानी उपलब्ध है, उसी के अनुसार रोस्टर बनाया गया है तथा कृषि विभाग से परामर्श करके यह पहले ही बता दिया गया था कि कहां पर हम कितना पानी दे सकेंगे और इसकी जानकारी किसानों को भी करा दी गयी थी, उसी के अनुसार जो उपलब्ध पानी है, दिया जा रहा है, और जहां तक माननीय सदस्य ने रोस्टर के गलत बनाये जाने की बात कही है, उसकी हम जानकारी करा लेंगे और यदि उसमें कोई गड़बड़ी पायी जायेगी तो उसमें सुधार हो जाएगा। उसकी हम जानकारी करा लेंगे और यदि उसमें कोई गड़बड़ी पायी जायेगी तो उसमें सुधार हो जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अवगत हैं कि नहर विभाग से हम किसानों का यह करार हो गया था कि हम तुम्हारी फसलें सूखने नहीं देंगे, लेकिन इस समय नहर में पानी न होने की वजह से हम लोगों की फसलें सूख रही हैं आप मुआविजा दिलायें और इस समय किसान परेशान हैं क्या माननीय मंत्री जी जो 15 क्यूसेक पानी जो दूसरे स्थानों की भागीदारी की वजह से काटा गया है, उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे क्योंकि यह बहुत ही लोकमहत्व का प्रश्न है, फसलों का सवाल है, इसलिए मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा ही दें। फसल की क्षतिपूर्ति कराने के आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना जो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लखनऊ एवं अवध विश्वविद्यालय में लागू करने के संबंध में है, पहले ही एक घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार हो चुकी है और अब लखनऊ और अवध विश्वविद्यालय हेतु भी एक घंटे की चर्चा को स्वीकार किये देता हूं, दोनों एक साथ ही हो जायेंगी।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय के बारे में मैं आश्वासन दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आजमगढ़ वाले मामले पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं। कुंवर रेवती रमण सिंह का जो है वह नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार हो गया है। रघुवर दयाल वर्मा और विजय सिंह राणा की सूचना पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा छूट गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार उसको देखेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

सभी को नहीं लिया जा सकता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आप मुझे सुन लें। मैं बैठूंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरी बात को सुन लें। सभी को नहीं लिया जा सकता है। सभी नियम 46 के अन्तर्गत नहीं आ सकते हैं।

(शोर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, बस्ती जनपद में घाघरा और राप्ती नदियों के कटान के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान दिया है, उसमें बड़ी धांधली हो रही है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी व्यवस्था को तो सुन लें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे सुन लें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप बदन सिंह को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर बदन सिंह को सुना जायेगा, तो सभी को सुना जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

सभी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

कई सूचनाएं हैं। मैंने 5–6 को सुन लिया है। सभी को सुनना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सदन आपका है और समय भी आपका है . . . (व्यवधान) और भी काम होना है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है और मैं समझता हूं कि इससे विरोध पक्ष के सारे सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे । अध्यक्ष जी के कक्ष में एक निर्णय हुआ था, उसका ।

जिक्र मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं । लेकिन ऐसी परम्परा कर दी जाय कि जो भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव मिलते हैं वह सब माननीय नेता विरोधी दल को भेज दिये जांय और वे उनमें से किसी 6 को तय कर लें कि कौन से सुन लिये जाया करें और कौन से न सुने जाया करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह नहीं हो सकता। यह तो मान्यवर, आपके विवेक पर है। नेता विरोधी दल उसमें क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

बदन सिंह जी, आप बैठ जायं।

श्री बदन सिंह–

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, इन्हें बिठाइये।

श्री बदन सिंह–

मैं नहीं बैठूंगा। आप मेरी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

तो न बैठें। मैं सुबह आपको बुलाऊंगा, आप ही निश्चय कर लें। आपका कल परसों सुन लिया है । रोज इन्हीं को सुना जायेगा और कोई विधायक नहीं है ? यह कोई तरीका है । . . . (व्यवधान) मैं आपको व्यवस्था बता दूं । व्यवस्था यह है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चित न करें, नियम 56 के अन्तर्गत किसी उपवेशन के लिए प्राप्त सूचनाओं में से तीन सूचनाओं पर सदन में बोलने की इजाजत दी जायेगी। यह लिखा है।

श्री सत्य पाल सिंह–

कुछ परम्परायें हो जाती हैं। बदन सिंह जी को सुन लिया जाय। . . . (व्यवधान)। कल सुन लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है . . (व्यवधान) ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, किसी दिन 6 सूचनायें सुनते हैं किसी दिन 10 सुनाते हैं . . .।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा हूं। यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है।

विधान सभा

नियम 51 और 56 की सूचनाओं की ग्राह्यता के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है मेरी मान्यता है कि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसे नियमावली के किसी न किसी नियम के अन्तर्गत न उठाया जा सकता हो। मेरी परेशानी यह है कि मैंने आज जिस समस्या को नियम 56 के अन्तर्गत उठाना चाहा था, मेरे हिसाब से और मेरी बुद्धि है, जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार नियम 51 के अन्तर्गत वह विषय आ सकता है। मैंने दो दिन तक वह विषय आपको दिया। लेकिन आपके आसन पर जितने भी लोग आसीन हुये, किसी की समझ में यह बात नहीं आयी कि वह विषय नियम 51 का बनता है। आज मेरी समझ में यह बात आयी कि नियम 56 ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा मेरा विषय सुना जा सकता है।

मान्यवर, मेरा एक ही व्यवस्था का सवाल है कि या तो आप स्ट्रिक्टली नियमावली के हिसाब से चलें, मैं कुछ नहीं कहूंगा या फिर आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी महत्ता को देखते हुए उसके हिसाब से चलें। लेकिन जब दोनों ही नहीं होते तो मुझ जैसे आदमी को परेशानी होती है। मैं आपसे यह सुनने के लिए तैयार हूं कि जो मैंने नियम 51 के अनुसार आपको यह दिया था तो वह किस तरह से गलत था? आप मुझे बता दें। नियम 56 में लिखकर दिया तो आपने कहा कि इसे अग्राह्य करता हूं। तो आप यह बता दें कि फलां नियम में आता है। मैं यह समझता हूं कि इस पीठ से हमें कुछ मार्गदर्शन मिले। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22 जनपदों के कोआपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव होने वाले थे। सारी प्रक्रिया हो गयी थी लेकिन जब सरकार ने देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं, दफा 34 का सहारा लेकर वहां नोमिनेशन कर दिया . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका व्यवस्था का प्रश्न . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं इस विषय पर आपकी निश्चित व्यवस्था चाहता हूं कि यह विषय किस नियम के अन्तर्गत आता है, जिसे आप सुनें। वह कैसे घटिया स्तर पर था जिसके कारण उसे आपने अस्वीकार किया ? यदि इस पर व्यवस्था नहीं होगी तो मैंने आज जो जीवन में नहीं किया है, चाहे मुझे जेल में आना पड़े या मुझे आप सत्र भर के लिये निकाल दें, करना पड़ेगा। इस तरह से क्या सत्तारूढ़ दल भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कार्य करता रहेगा ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा नहीं है (व्यवधान के मध्य) मेरी बात सुनें।

श्री बदन सिंह–

मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी बात सुन तो लें (शोर होने पर)।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

आप किसको सुनना चाहते हैं किसको नहीं, कोई असूल तो होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बुनियाद साहब, आप 5 आदमियों की कमेटी बना दें उसमें निर्णय कर लें कि नियम 56 में कौन-कौन सूचनायें स्वीकार करनी हैं। नेता सदन, नेता विरोधी दल तय कर लें मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जिसे सुना है उसमें कौन आधार था ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप तय कर लें मैं नहीं कह सकता कि किसका महत्वपूर्ण है किसका नहीं। (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के बोलने पर) माननीय तिवारी जी आपके मामले में अध्यक्ष जी ने कहा कि तिवारी जी को और माननीय मंत्री जी को बुला कर वार्ता कर लेंगे। सुबह ही यह बात कही।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं तो मान्यवर, ग्राह्यता की शर्तों को जानना चाहता हूं जिसके कारण मेरा विषय नहीं आता है। मैं चुनौती देता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

चुनौती मत दीजियेगा। (व्यवधान) मुझे चुनौती देने का सवाल नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं पीठ के माध्यम से शासक दल को चुनौती देता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

शासक दल बीच में नहीं आता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं तो यह कह रहा हूं कि मेरा मामला कैसे नहीं आता है ? मुझे अगर ज्ञान नहीं है तो जानकारी हो जायेगी। अब आप कौन सी संसदीय परम्परा डाल रहे हैं उसे मुझे भी समझाइये (व्यवधान) आज स्थिति यह हो गयी है कि हर जिले में हाई-कोर्ट से स्थगन आदेश आ रहे हैं। मेरे जिले में भी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश आया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी से बात हो जायेगी उन्होंने कहा है तिवारी जी से और मंत्री जी से बात कर लेंगे (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यहां पर क्यों नहीं सुनते, फिर हम लोग यहां पर क्यों बैठे हैं? (व्यवधान) हमारी भी बात सुनें . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपका मेरठ से क्या मतलब है? आप वहां कहां पहुंच गये वहां के इतने विधायक बैठे हैं उनको वहां की समस्या का ज्यादा पता रहता है (व्यवधान) तो इसका तो यही इलाज है कि नेता विरोधी दल और संसदीय कार्यमंत्री जी एक कमेटी गठित कर दें जो यह तय कर दिया करे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यही निर्णय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आप तय कर लें।

श्री शारदानन्द अंचल–

हमने तय कर लिया कि इसे सुन लीजिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी का मामला महत्वपूर्ण है इस पर मैं पहले ही आग्रह करना चाहता था। मान्यवर, इसके दो विकल्प हैं या तो इसे आप कल ले लें जैसा अध्यक्ष जी चाहते हैं बात होने के बाद कल ले लें या नियम 51 में इसे स्वीकार कर ले तो विवाद खतम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी से जो बात हुई वह मैंने बताई (व्यवधान) वह कहेंगे तो कल हो जायेगा इसमें कोई एतराज थोड़े है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो बात हुई है उसमें नियम 56 में सुन लें या नियम 51 में स्वीकार कर लें यह दोनों विकल्प हैं जिसे आप पसंद करें। इससे विवाद खत्म हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

कल अध्यक्ष महोदय से बात हो जाये तो निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता लेकिन अपेक्षित यह था कि कार्य-स्थगन की कोई सूचना मिली है और ग्राह्यता के बारे में कोई परामर्श करने की आवश्यकता थी तो निर्णय लेने के पूर्व परामर्श कर लेते। तो परामर्श की स्थिति अपनी जगह है।

मान्यवर, मुझे इस विषय में पहले से जानकारी नहीं थी लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे मैं इस मत का हूं कि सूचना पर कोई निर्णय देते चूंकि यह किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को सरकार अपने कब्जे में करा ले, ऐसे कुचक्र का पर्दाफास करने के संबंध में यह कार्य स्थगन प्रस्ताव है। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रथम पंक्ति में बैठे माननीय सदस्य इस पर बल दे रहे हैं कि आप अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके कल प्राथमिकता देकर इसे कार्य स्थगन में स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, कल लेंगे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में कार्य स्थगन की सूचनाओं के विषय में बहुत सी बार यह मामला उठाया गया कि कौन-कौन सूचनायें या कितनी सूचनाएं एक दिन में सुननी चाहिए लेकिन विभिन्न नेताओं के सुझाव मिलने के बाद भी सदन में तय नहीं हुआ कि कितनी सूचनायें आप प्रतिदिन सुनेंगे, न तो महत्व की दृष्टि से और न संख्या की दृष्टि से कि कितनी सूचनायें सुनी जायेंगी? मान्यवर, आज आपने यह कहा कि नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता विरोधी दल मिलकर तय कर लें कि इतनी सूचनायें सुनी जायेंगी। मेरी सूचना के संबंध में नेता विरोधी दल ने प्रार्थना की कि मुझे सुन लें लेकिन यह दुख की बात है कि नेता विरोधी दल के कहने पर भी आपने मेरी सूचना को नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री अरविन्द तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, श्री वीर बहादुर सिंह की लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की इच्छाओं और स्वपनों का दर्पण है और इसके हृदय में जनहित की भावना सन्निहित है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 12 करोड़ आबादी का है और आबादी के लिहाज से इसका दुनिया के देशों में 8वां या 9वां स्थान है। मान्यवर, भयंकर सूखे के बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश को नरकंकालों का ढेर होने से बचाया।

मैंने गम्भीरतापूर्वक माननीय विपक्षी दलों के सदस्यों के संशोधनों के प्रस्तावों का अध्ययन किया है। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने मात्र रिचुअल्स निभाये और कैवेलियर मैनर में संशोधन के प्रस्तावों को पेश किया। उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि वह इस प्रदेश की जनता की वाणी बनकर इस सम्मानित सदन में यह स्वीकार करते कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों और गरीब मजदूरों के आंसू पोंछे और राहत पहुंचाई।

मान्यवर, मैं आंकड़ों के तफशील में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां एक ओर हमारी यह लोकप्रिय सरकार आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर सामाजिक समानता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों को इक्वैल फुटिंग और बराबरी का दर्जा दे रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसमें राजा जैसे शब्दों का प्रचलन हो।

† दिनांक 27 फरवरी, 1988 की कार्यवाही से।

इसलिए मैं मांग करता हूं राजा कहलवाना और राजा कहना, यह दोनों शोक भारतीय दण्ड विधान में काग्नाजेबुल अफेन्स घोषित किये जायं । राजा इस प्रदेश का किसान है, मजदूर है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश ने सूखे के बावजूद इस खरीफ की फसल में 82 लाख मी0 टन गल्ला पैदा किया है। 5,200 करोड़ की इलेक्ट्रानिक एवं महत्वपूर्ण इकाइयों की प्रदेश ने स्थापना की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो औद्योगिक विकास दर है उसमें 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसमें सबसे बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान है। पुलिस उत्पीड़न की अक्सर चर्चा चलती है। विरोध पक्ष के लोगों द्वारा समय-समय पर जाने अनजाने कितने ही इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। यह लोग प्रायः गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार पर आरोप लगा देते हैं। अभी करबी में एक विदेशी इथोपियन महिला ने वहां की जी0 आर0 पी0 पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उसके साथ उन लोगों के द्वारा बलात्कार करने की कोशिश हुई, लिहाजा उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया।

किन्तु बाद में जब उसने भारतीय न्याय व्यवस्था की सच्चाई से डरकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया और उसका मेडिकल परीक्षण हुआ तो यह तथ्य उभड़कर सामने आया कि उसके साथ कोई बलात्कार आदि का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि उसके पेट में किसी का असफल प्रेम पल रहा था। हमें मालूम पड़ता है कि ऐसी ही बात हमारे विरोध पक्ष के साथियों के साथ भी है। यदि ऐसा ही कोई प्रेम उधर के लोगों के पेटों में पल रहा हो तो उसका इलाज उत्तर प्रदेश की इस सरकार के पास, क्या दुनिया की किसी सरकार के पास नहीं है।

जहां तक किसानों का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, अभी हाल में मुजफ्फरनगर जिले में 3 करोड़ 30 लाख रुपया इस सरकार द्वारा छोटे किसानों में वितरित किया गया, जिससे 11,491 छोटे किसान लाभान्वित हुए हैं। यह सरकार किसानों की समस्याओं और मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए और प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक संसदीय जनतंत्र की परम्पराओं के निर्वहन का सवाल है, हमें उसमें कुछ नैतिकता भी अपनानी चाहिए। विरोध मात्र विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और जनता से कहना चाहिए कि सब मिलकर जब प्रयास करते हैं, तो प्रदेश का विकास होता है और जनता की गरिमा बढ़ती है। किसी शायर ने शायरी के अंदाज में कहा है –

दुश्मनों का हमसे न करो गिला,
हम हैं दोस्तों के सताए हुए,
फिर रहे हैं यहां मेहरबां ऐसे-ऐसे
अस्तीनों में खंजर छिपाए हुए ।।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह जी की सरकार इस प्रदेश की जनता के सपनों और इच्छाओं का दर्पण है और वह उनको बखूबी निभा रही है। इसके साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री फजलुल बारी–

हमारे भाई खान गुफरान जाहिदी साहब ने यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उनके सामने कैफियत पेश करता लेकिन आज वह सदन में मौजूद नहीं हैं। फिर भी मुझे अपनी बात कहनी है जो मैं कहना चाहता हूं, जिस सरकार की पालिसी के बारे में राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया है, वह साम्प्रदायिकता के आधार पर काम कर रही है। गरीबों का शोषण कर रही है और इस सरकार ने छात्रों का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय बना दिया है . . . (व्यवधान) मान्यवर, यहां पर कुछ लोगों ने इस प्रदेश के संबंध में इस सरकार की प्रेरणा से ऐसी बातें कहना शुरु कर दी है, जिनके बारे में हमें सोचना पड़ रहा है। एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह मंदिर की स्थापना अपने फण्ड से करने का ऐलान कर दे।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सेकुलर स्टेट नहीं है अगर सेकुलर स्टेट नहीं है तो जो स्टेट को काम करना चाहिए था वह धर्म विषय के नाम पर नहीं होना चाहिए था। बहरहाल देश तरक्की नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि हम इधर-उधर नहीं देखते हैं। पड़ोसी का मुल्क चीन है। उसने आजादी पाई और तरक्की के जिस रास्ते पर चल रहा है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। क्योंकि वहां पर कोई फेयर-फैक्स जैसा मामला नहीं है। ईरान अमरीका से आठ साल से लड़ रहा है क्योंकि वहां पर कोई बोफोर्स का मसला नहीं खड़ा होता है। सत्ता पक्ष के लोगों ने सब देशों के प्रधानमंत्री का नाम लेकर धन्यवाद दिया और अपनी वफादारी का सबूत देते रहे। तो हम इनके बारे में कुछ क्यों नहीं कह सकते हैं।

मान्यवर, प्रदेश के मजदूर, जो मिनिमम वेजेज के तहत मजदूरी पाने के हकदार हैं उस मजदूरी के मामले में हमारे राज्यपाल महोदय ने 6 जनवरी के एक आदेश में उन लोगों को इससे महरूम कर दिया है। ताकि मिनिमम वेजेज का लाभ वह न उठा सकें, तो क्या इन्हें इस बात का धन्यवाद दिया जाए कि प्रदेश के लाखों-लाख मजदूर जो सरकार प्रतिष्ठानों में काम करते हैं उसमें सरकार जितना चाहे कम से कम मजदूरी दे, जो 1680 के बजाए इन्होंने 1150 कर दिया क्या इन्हें इस बात का धन्यवाद दिया जाए।

मान्यवर, आज इतनी महंगाई के जमाने में यू0 पी0 भवन में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं उनको पिछले चन्द महीने पहले रु0 9/- मिल रहा था फिर रु0 12/- हुआ अब रु0 15/- मिल रहा है, तो मान्यवर मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि पन्द्रह रुपये पाने वाला मजदूर दिल्ली जैसे शहर में कैसे जीविका चला सकता है? यह कहा जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, तो मान्यवर, बीवर्स का जो मसला है 50 लाख से ऊपर बुनकर मजदूर दाने-दाने को मुहताज हैं। सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री गुमराह करने वाला बयान देकर बुनकरों को और ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक शेर कहना चाहता हूं। आजादी से पहले एक जौनपुर के शायर वासिल साहब थे। उन्होंने अंग्रेजों को ताल्लुक करते हुए एक शेर सुनाया था–

"मैनचेस्टर में ढाके को फांसी मिली,
और बनारस की शिनाख्त को नींद आ गई।"

मान्यवर, कहने को तो अपना राज्य है। स्वराज्य है। मगर यहां पर सूती कपड़े का उपयोग होता है। मान्यवर, बड़े-बड़े कारखानों को फांसी दी जा रही है, तो वहां के मजदूर रिक्शा चलायेंगे? सरकार बड़ी जागरूक है। मैं पूछना चाहता हूं कि सेल्सटैक्स जो रा-सिल्क पर लगता है . . . (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, लाल बत्ती बुझा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

बारी साहब समय का ध्यान रखें। मैं दो मिनट और देता हूं।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं किसी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बड़े विद्वान आदमी हैं एक शेर में अपनी बात कह लेंगे। अगर बात लगनी होगी तो वही लग जाएगी।

श्री फजलुल बारी–

उन्होंने सेल्स टैक्स और सर चार्ज माफ करने का एलान नहीं किया है। बनारस के जो साड़ी मजदूर हैं जो साड़ी बनाने वाले हैं वह आज रिक्शा चला रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस मुल्क के जो बड़े खानदान हैं उनकी परवरिश करने के लिए पालियस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों का शोषण हो सके और छोटे-छोटे करघे का काम करने वालों का शोषण हो सके और वावर लूम पर काम करने वालों का शोषण हो सके। पालियस्टर के बारे में सरकार ने यह किया है कि उसमें जो रा-मटीरियल है अगर वह इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर ड्यूटी और टैक्स माफ किया गया है। इससे रिलायंस को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ है और जो दूसरी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर सूखा पड़ा था, कपास का उत्पादन कम हुआ है तो कपास को आपको विदेशों से मंगाना चाहिए था और उस पर लगने वाले टैक्स को माफ करना चाहिए था तब छोटे बुनकर का भला होता। अगर रेशम की कमी है तो आपको चायना, बेनजुयेला तथा हांगकांग से रेशम को मंगाना चाहिए था और कस्टम ड्यूटी को माफ करना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया है इसलिए मैं बामिल साहब का शेर फिर कहना चाहता हूं :–

"ढाके को मैनचेस्टर में फांसी मिली,
बनारस के रेशम को नींद आ गयी।"

आज सूरते हाल यह है कि दस्तकारी का काम करने वाले, बुनाई का काम करने वाले मेहनतकसी कर रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। आज हमारे प्रदेश और देश में स्मगलर्स की बैल्यू है, रिक्शा चलाने वाले और दस्तकारी करने वाले की नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे और बुनकरों की जो समस्यायें हैं उनको हल करे। मैं समझता हूं कि सब लोग उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि वह मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं।

एक सदस्य--

अभी आपने कहा ही क्या है?

श्री फजलुल बारी--

मैंने कहा है कि सरकार को सरचार्ज और सेल्स टैक्स माफ करके सूत को सस्ता करना चाहिए। कपास की कमी है इसलिए बाहर से कपास मंगानी चाहिए। रा-मटीरियल पर जो कस्टम ड्यूटी है वह माफ होनी चाहिए और पिछले साल के दामों पर यानी सूत तथा रेशम के धागे को मुहैय्या कराया जाना चाहिए। अगर अभिभाषण में इसका उल्लेख किया जाता तो मैं गुफरान साहब की आवाज में आवाज उठाता और हां कहता।

मैं अब कुछ बातें अपने क्षेत्र की आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक आई0 टी0 आई0 का कारखाना लगा है लेकिन जो ट्रांस राप्ती रीजन है वहां पर पढ़े लिखे लेबर नहीं हैं। वहां पर लोग मोटा, मेहनत का काम, मजदूरी का काम करते हैं। इसलिए चाहिए था कि वहां पर मोटा कारखाना लगाते जिसमें अनस्किल्ड, हाथ की मेहनत का काम करने वाले काम कर सकते। इसके बजाय वहां पर सोफिस्टीकेटेड कारखाना लगाया है जिसमें पढ़े लिखे और टेक्निकल लोगों को रखा गया है इस वास्ते गोंडा, बस्ती और बहराइच के मजदूर बाहर पंजाब जैसे समस्याग्रस्त सूबों में जाकर मोटा काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं चाहता हूं कि वहां पर हाथ के लेबर का इस्तेमाल जिसमें हो सके वैसा कोई कारखाना लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो मैंने बातें कही हैं उनको माननीय गुफरान जाहिदी के प्रस्ताव में जोड़ें ताकि हम उनका साथ दे सकें।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मित्रसेन . . . .

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

किन्तु मुझको माननीय उपाध्यक्ष जी निर्देश दे गये हैं कि महेन्द्र भाटी बोलेंगे।

श्री मित्रसेन--

मुझे बुला लिया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, महिलाओं को भी मौका दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इधर से बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप विराजें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 4 दिन से चर्चा चल रही है मेरे दल से कोई बोला नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा समय थोड़ा सा बढ़ा दें। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और हम लोगों ने जो संशोधन दिया है चूंकि माननीय राज्यपाल महोदय ने उन बातों को नहीं कहा है इसलिए उन बातों के समर्थन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी तक जो सवाल हमारे सामने आये हैं उन सवालों को देखते हुए, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही हैं जो शासन की नीतियां हैं उससे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश का सही नक्शा माननीय राज्यपाल महोदय के दिमाग में नहीं था। शासन की तरफ से जो-जो चीजें प्रस्तुत की गयी हैं उस पर उन्होंने मुहर लगायी है।

माननीय राज्यपाल महोदय को वर्तमान परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था और पूरे प्रदेश में जो किसान मजदूर की बुरी हालत है, लूट है उसके बारे में कहना चाहिए था। सूखे के बारे में जो हमारी सरकार ने नीति निर्धारित की है उसके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं। इधर के और उधर के माननीय सदस्य बैठे हैं, सूखा राहत के अंतर्गत कुछ सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है उनके बारे में जो गल्ला बांटने की बात है तो गल्ला कहीं नहीं बांटा जा रहा है पक्ष और विपक्ष के सदस्य महसूस करते हैं कि जो काम के बदले अनाज की योजना थी वह कहीं पर लागू नहीं हुयी है और किसान को सूखा राहत नहीं मिली है। सूखा राहत में यह होना चाहिए कि कम से कम किसान की लगान, सिंचाई, बच्चों की फीस और दूसरे जो कर्जे हैं उनको माफी दी जाती। जब 75 प्रतिशत नुकसान हो जाता है तो कर्जे, लगान, माफी आदि का सवाल पैदा हो जाता है।

आपने यह नियम बनाया है कि अगर 75 प्रतिशत से अधिक क्षति हो जायगी, तो कृषकों के लगान, सिंचाई तथा अन्य देय माफ कर दिये जायेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि माननीय नरेन्द्र सिंह मुख्य मंत्री हो जायं, कुछ लोग चाहते हैं कि माननीय लोकपति जी मुख्य मंत्री हो जायं, कुछ लोग चाहते हैं कि वीर बहादुर सिंह जी ही मुख्य मंत्री बने रहें। मान्यवर, हम लोगों का विश्वास है कि लोगों की शकल बदलने से नीति नहीं बदलती है, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। माननीय नरेन्द्र सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य मंत्री हो जायं। तो मान्यवर, क्या इनके मुख्य मंत्री के जाने से इनकी नीति में कोई परिवर्तन हो जायगा ? आप बता दीजिए कि समाजवादी देशों में चाहे चीन हो या रूस हो, वहां सूखा और बाढ़ नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। हम लोग नीतियों में विश्वास करते हैं।

मान्यवर, चीन में हांगही नदी है, जो चीन की मुसीबत कही जाती थी, चीन की बला कही जाती थी, आज यह चीन के लिए सोना बन गयी है। हमारे यहां गोमती नदी है, जो लखनऊ में बांध बना कर नाला बना दी गयी है, इसलिए कि यहां बड़े लोग रहते हैं। लेकिन यही नदी जौनपुर, सुलतानपुर में किसानों को तबाह कर देती है। उन्हें भी बचाने का आज तक कोई काम नहीं किया गया है। पूरे

चालीस साल में सूखा और बाढ़ के नाम पर जितना धन व्यय किया गया है, उससे अगर योजनाबद्ध ढंग से सूखा-बाढ़ से निपटने के लिए खर्च किया जाता, तो समस्या का अब तक किसी हद तक निराकरण हो गया होता ।

सूखा-बाढ़ से निपटने के लिए कोई दूरगामी योजना अभी तक नहीं बनाई गयी है । अब इतने बिकराल सूखे के बाद केन्द्र स्तर पर कोई बैठक बुलाई गयी है । हमारे जनपद फैजाबाद में टांडा, इलतफातगंज, जलालपुर, अकबरपुर में कुल मिला कर 15 हजार पावर लूम हैं, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं । सदन में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री ने सूखे के कारण रुई कम पैदा होने की बात कह कर भुखमरी से तबाह मजदूरों को बचाने का कोई निर्णय नहीं लिया । प्रदेश और देश में रुई जो पैदा हुई, उसे विदेशों में भेज करके सूत का संकट पैदा किया गया । ये टेरीकाट और पालिस्टर उद्योगपतियों की साजिश के कारण हुआ है, जिससे हैण्डलूम और पावर लूम, कुटीर उद्योग तबाह हुआ है। कानून और व्यवस्था के नाम पर तमाम समस्यायें शासन की नीतियों के कारण पैदा हो रही हैं ।

दस वर्षों से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की समस्या साम्प्रदायिक उन्माद, तनाव का कारण बनी हुई है और पूरे प्रदेश के कोने-कोने में आग लग चुकी है, जबकि फैजाबाद इससे बचता रहा है । लेकिन इस समस्या को न्यायालय के नाम पर, कानून-व्यवस्था के नाम पर बनाये रखा गया है, जिससे हिन्दू-मुसलमान लड़ते रहे । कानून-व्यवस्था के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, विधान सभा चल रही है, प्रदेश के जिन वर्गों में, जिन हिस्सों में सरकार की नीतियों के कारण असंतोष और आक्रोश है, वे प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखने के लिए लखनऊ आते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सुना जाना चाहिए, उनके प्रदर्शनों का स्वागत करके, उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

लेकिन ऐसा न करके उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं और लोगों को अस्पताल और जेल में डाला जाता है ।

कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अगर कहीं किसी किस्म की आपकी कानून व्यवस्था का कोई बाधक हो रहा है तो उनको गिरफ्तार करा लीजिए । यह क्या तरीका है कि प्रदेश के कोने-कोने से लोग आपको अपनी मुसीबत सुनाने आयें और आप उनको न सुनें ? वीर बहादुर सिंह से बड़ा तो इनका दरोगा है . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजे ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

इनका दरोगा वीर बहादुर सिंह को भी बन्द कर देता यदि साइरन बजाने वाली फौज इनके साथ इतनी बड़ी चलती है । तो आपको प्रदेश के कोने-कोने से लोग

अपनी मुसीबत आपको सुनाने आयेंगे और आप सुनेंगे नहीं तो लोकतंत्र कहां है और जब सुनाने आते हैं तो लाठी चलाकर हाथ पैर तुड़वा देते हैं तो यह रास्ता लोकतंत्र का रास्ता नहीं है । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा एक विशेष धन है जो हमारे महामहिम राज्यपाल के नाम पर रखा जाता है उस धन को मैंने देखा कि हमारी इस योजना में तमाम धन हमारे मंत्रियों के क्षेत्रों को दिया जाता है और अन्य विधायकों के क्षेत्र को नहीं दिया जाता है, कंटिजेंसी जो हमारी आकस्मिक निधि है उसमें हमने देखा कि करोड़ों रुपये हमारे यहां मंत्री जी के क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए दे दिया । (व्यवधान) जिला योजना की जो सड़कें हैं उसको शामिल नहीं किया जाता ।

कई माननीय विधायकों के साथ और कई क्षेत्रों के साथ बड़ा भेदभाव किया गया है । अगर इस चीज को उठाकर देखें, अगर मैं कह दूंगा तो शायद आपको भी खल जाय या इस पक्ष के लोगों को शोरगुल करने का मौका मिल जाय । यदि पूरे प्रदेश के अन्दर देखा जाय तो रायबरेली और सुल्तानपुर में सारी योजनाओं में सारा पैसा दिया जा रहा है । ट्यूबवेल के नाम पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों को देख लें तो सबसे ज्यादा रायबरेली को दिया गया, सुल्तानपुर को दिया गया और गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर में तो ताला पाटा जायेगा । लेकिन प्रदेश के अन्दर अन्य क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हैं उसके विकास की कोई योजना नहीं चलाई जाती । इसी तरह से हमारे क्षेत्र के अन्दर भी धन के आवंटन में भेद भाव किया जाता है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने एक सूचना दी थी कि हमारे जिले में 14-15 की रात्रि को काफी ओला पड़ा है जिससे 300 गांव प्रभावित हुए हैं । एक ब्लाक में 45 गांव, दूसरे ब्लाक में 36 गांव और तीसरे ब्लाक में 14 गांव ऐसे हैं जिनमें हंड्रेड परसेन्ट फसल बर्बाद हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री मित्रसेन–

जो फसल मारी गयी है और जो नुकसान हुआ है, उसमें कोई राहत सरकार की ओर से अभी तक नहीं दी गयी है । महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है उस पर धन्यवाद के प्रस्ताव को कौन कहे बल्कि उस पर शोक का प्रस्ताव लाना चाहिए । (व्यवधान) इस पर जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से माननीय गुफरान जाहिदी साहब ने जो महामहिम राज्यपाल के प्रस्ताव पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्रगति निरन्तर चलने वाली एक चक्र है, एक अटूट सिलसिला है । जनता की ओर से मैं इन्हीं बातों पर बल देता हूं ।

प्रगति की प्रक्रिया में प्रकृति बाधक बनती है और विपरीत परिस्थितियों में शासक दल और शासक पक्ष को जब समन्वय करना पड़ता है, वह स्थिति बड़ी ही गम्भीर होती है । आज जबकि समस्त प्रदेश विगत में सूखे से और वर्तमान में अभी कुछ दिनों पूर्व हुई ओलावृष्टि से प्रभावित है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, माननीय श्री वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने जो प्रगति के आश्रम स्थापित किये हैं, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने का दायित्व और नैतिक कर्तव्य, मैं अपना समझता हूं ।

मान्यवर, इस पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष, मैं यह मानता हूं कि प्रतिपक्ष की ज्यादा गम्भीर जिम्मेदारी होती है, प्रगति के प्रति प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन विडम्बना है कि यदि हम प्रगतिशील कार्यों के प्रति बधाई और साधुवाद न दें तो कम से कम ऐसा करें कि प्रगति के जो नये आयाम स्थापित हुए हैं, मैं मान सकता हूं कि जो भी काम होते हैं, उनमें छोटी-मोटी त्रुटि हो सकती है, लेकिन मान्यवर, आज प्रदेश का प्रत्येक एम0 एन0 पी0 गांव, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपनी तहसील का उदाहरण देकर कह सकता हूं कि 1990 तक जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, हमारे गांव की 90 प्रतिशत सड़कें पक्की सड़कों से जुड़ चुकी हैं और इस काम में सरकार काफी हद तक सफल हुई है ।

मान्यवर, विद्युत की बात आती है, हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष के लोग बार-बार एक बात उठाते हैं कि किसान आन्दोलनरत है, किसानों की समस्या पर सत्तापक्ष ध्यान नहीं दे रहा है । मैं मान सकता हूं कि किसानों की कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यह गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य होगा, अगर हम कहें कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया। मान्यवर, सूखे की इस विषम परिस्थितियों में, जबकि जलाशयों के जल का स्तर नीचे चला गया था, हमने 12 से 18 घंटे तक ट्यूबवेलों को बिजली मुहैया करायी है । लेकिन आप एक जागरूक नागरिक की हैसियत से देखें कि बिजली के उत्पादन पर कुछ धन खर्च होता है। वह धन आप इसी जनता से लेकर पूर्ति करते हैं और हम प्रतिपक्ष के लोगों को ध्यान में रखें कि कर या टैक्स न दिये जांय, तो यह अच्छी बात नहीं होगी ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बात कही कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए एक-एक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जहां अभी तक आजादी के 40 वर्ष के उपरान्त हम सारे विद्यालयों में टाट-पट्टी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, अगर तहसील स्तर तक हम लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध कर देते हैं, तो यह एक सराहनीय प्रयास होगा । मैं इसके लिये शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम यह घोषणा ही नहीं है, इस पर क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है और कई तहसीलों में विद्यालय भी खुल चुके हैं। वहां पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। परन्तु मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि, मैं मान सकता हूं कि त्रिवर्षीय शिक्षा पद्धति जो आप लागू करने जा रहे हैं, इसका लम्बे पैमाने पर लाभ विद्यालयों को होगा ।

परन्तु मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय को अवध विश्वविद्यालय से जोड़ देना, मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली अतीत रहा है, शायद यह उचित नहीं है। आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

सिंचन क्षमता में जितनी वृद्धि विपरीत स्थितियों में इस वर्ष हुई है शायद उतनी विगत में नहीं हुई है। लेकिन, नहीं इसका एक धुंधला पक्ष भी है। जो हमारी इरीगेशन की प्रणाली है, वह पूरी तरह से फेल सी रही है। मैं आपके माध्यम से यह बात पुनः रखना चाहूंगा कि गंभीरता से हम सबको सोचना होगा कि लिफ्ट इरीगेशन प्रणाली के सुधार के लिए हम क्या करें, क्योंकि मैंने आपके क्षेत्र में देखा है, लगभग 12 से 13 हजार एकड़ भूमि, जो लिफ्ट इरीगेशन से सिंचित होती थीं, जल की अनुपलब्धता और तमाम तकनीकी कारण बता कर के अभियन्ताओं ने उसको पूरे सूखे भर चलने ही नहीं दिया। यह एक विचारणीय विषय है। एक तरफ जहां हम समन्वित विकास की बात करते हैं, सामुदायिक विकास की बात करते हैं, हम भूल से जाते हैं। एक पक्ष-वह पक्ष हमने अपनी तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के, ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य योजनाओं के माध्यम से लेकिन मान्यवर, यह बहुत दुःखद है कि सब कुछ होने के बाद भी आम आदमी को उन योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती है।

कल मैं अपने यहां के जिले के जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) से मिला और कहा कि आपके यहां इतनी सारी योजनायें हैं, लेकिन आम आदमी तक उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि श्रीमन्, हमारे पास सबका बजट है लेकिन योजनाओं के प्रचार आदि के लिए एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं है। हम गांव के आखिरी आदमी के विकास की बात करते हैं, लेकिन प्रचार के अभाव में उसको मालूम नहीं है कि हमने उसके लिये क्या-क्या योजनायें बनायी हैं, उसके सुखमय भविष्य के लिये क्या योजनायें हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें भी गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शायद किन्हीं कारणों से यह कुछ छूट सा गया है कि तकनीकी शिक्षा की तरफ हमको कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता है, हमने प्रत्येक जनपद में आई0 टी0 आई0, पालिटेक्निक खोलने की बात की है, परन्तु शायद एक जनपद, माननीय अफसर यू0 अहमद जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं कह रहे हैं बाराबंकी जनपद बाकी रह गया है, उसमें भी खुलवाने का प्रयास करें। आपने पूरे प्रदेश में यह कहा कि सूखे पर अन्य खर्चों में कटौती होनी चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी निगमों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। हमने देखा कि इस बार इस विषम स्थिति में तमाम निगमों ने 100 रु0-200 रु0 मूल्य की डायरियां छपवाकर भारी धन का अपव्यय किया है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसकी तत्काल जांच करायी जाय। जिन निगमों ने इस तरह के धन का अपव्यय किया है उसको देखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, महामान्य राज्यपाल ने औद्योगीकरण का जिक्र अपने अभिभाषण में किया उस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि औद्योगीकरण का बोझ अन्ततः फिर किसान पर ही आकर पड़ता है, जिसको कि कुछ नहीं मिलता है। इसका उदाहरण मैं अपनी तहसील दादरी का देना चाहता हूं । जिसमें 6 इन्डस्ट्रियल एरिया काम कर रहे हैं इसमें नोएडा, नोएरा फेज-2, फ्री ट्रेड जोन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा और एन0 टी0 पी0 सी0 सम्मिलित हैं ।

मान्यवर, वहां पर किसानों की पूरी जमीन चली गई और जमीन चले जाने के बाद उन लोगों को वहां पर कोई रोजगार नहीं दिया गया जबकि वर्ष 1983 का एक जी0 ओ0 गवर्नमेंट का था कि जिन लोगों की जमीन ली जाये, उन लोगों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को अवश्य रोजगार दिया जाये, लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। यहां धीरे-धीरे सारी जमीन चली गई और वह जमीन किसानों से 3 रुपये 4 रुपये और 6 रुपये गज में खरीद ली गई। जबकि वहीं पर उन्हीं के घरों के सामने वही जमीन 128 रुपये गज बिक रही है, जिस जमीन का इन्होंने 3 रुपये में दाम दिया। जमीन ले ली गई और पैसा नहीं दिया गया और पैसे का मामला अभी तक लटकाये रखा गया है।

हम लोग कोई टेक्नीकल हैण्ड नहीं हैं और न ही कोई पैसे वाले लोग हैं कि पैसा लगाकर काम शुरू कर देंगे। रोजगार मिला नहीं, जमीन चली गई और पैसा भी नहीं दिया गया। सबसे अचम्भे की बात जो है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद में दादरी नाम की केवल एक तहसील को सरकार ने पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया और ऐसा किये जाने के पीछे उन उद्योगपतियों और कारखाने वालों की बड़ी साजिश है, जो वहां पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। वह पूरा सेल्स टैक्स का फायदा उठा रहे हैं, सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं और भी जो फायदे हो सकते हैं, वह उनका लाभ ले रहे हैं। सूरजपुर में लगी एक फैक्टरी के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त आन्दोलन करके तय कराया है कि अनस्किल्ड लेबर जितना होगा, वह क्षेत्र का 100% लिया जायेगा और स्किल्ड लेबर 50% लिया जायेगा, 5 गांव को प्रतिवर्ष विकास के लिए गोद लेंगे प्रतिवर्ष विकास के लिए यह फैक्ट्री एस्कार्ट एमाहा वालों की है। इसी फैसले को अन्य फैक्ट्रीज पर लागू कराने के उपाय शासन को करना चाहिए ।

मान्यवर, नोएडा में 1400 यूनिट हैं इसमें फ्री ट्रेड जोन में 200 हैं। मान्यवर, बड़ी साजिश की तहत दादरी तहसील को औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। मान्यवर, वहीं पर महर्षि महेश योगी ने सरकार की बिना आज्ञा के 683.42 एकड़ जमीन ले ली। 1976 में नोएडा ने 16 गांव लिये गये फिर कुछ समय बाद 37 गांव ले लिये गये और फिर 50 गांव और चले गये और उस पर शर्त यह है कि वहां का किसान अपनी जमीन बेच तो सकता है लेकिन बिना किसी फेर बदल के। अगर वह खेती करता है तो खेती ही करता रहेगा, वह उसका स्वरूप नहीं बदल सकता है। जिन लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिये थे और ट्यूबवेल्स के लिये लोन ले लिया था या और कामों के लिए लोन ले लिया था, आज वह पैसा चुका पाने की स्थिति में नहीं हैं।

मान्यवर, उनके अधिकारों का हनन किया गया है और उसी नोटिफीकेशन के चलते महर्षि महेश योगी ने 683.42 एकड़ जमीन बिना परमीशन के खरीद ली। उस जमीन पर उन्होंने अपना महल बना लिया है और विदेशियों को बुलाकर उस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मान्यवर, वहीं के खोड़ा नामक गांव में कुछ लोगों ने जमीन खरीद कर मकान बनाने शुरू कर दिये। नोएडा एथोरिटी ने उनके मकानों के बिना किसी नोटिस के गिरा दिया, हिम्मत है तो महेश योगी के मकान को गिरा दें। यह जानकारी नोएडा एथोरिटी को 1983 में दी गई थी, 15 दिन का समय दिया गया था कि यह जो कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, इसे बन्द करा दिया जाय। 30 मई, 1987 को नोएडा एथोरिटी ने स्टे लिया, लेकिन उसके बाद आज भी कंस्ट्रक्शन जारी है।

किसानों पर बोझ बढ़ा और किसानों की जमीन चली गई। इसलिए मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप हमें संरक्षण दें। रोजगार उनको मिल नहीं पा रहा है और इन परिस्थितियों में वे किसान अपनी जमीन भी नहीं बेच सकते हैं। एक जगह पर इन्डस्ट्रिएलाइजेशन को कनसन्ट्रेट कर दिया गया है, अच्छा तो यह होता कि इसे 6 ब्लाकों में बांट दिया जाता, लेकिन कुछ सेठों की साजिश की वजह से एक ही जगह का औद्योगीकरण कर दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है लेकिन जिन्होंने प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया, वे यहां पर नहीं हैं।

श्रीमती शशि शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए बजट रखा है, उसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूं। हमारे बजट का जो आउट-ले है उसका 30 परसेन्ट हम किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजने के लिए, जिलों की जनसंख्या के आधार पर भेज रहे हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बजट के स्थान पर माननीय सदस्या राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कहें।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैं आपको बजटिंग बता रही हूं। हमारी जो बजट प्रणाली है वह डिसेन्ट्रेलाइजेशन प्रणाली की है। हम किसानों की बात कर रहे हैं और आप भी बात कर रहे हैं। आप विद्वान सदस्य हैं, मेहरबानी करके मेरी बात आप सुनें। जिलों को 50 परसेन्ट हम पापुलेशन के आधार पर देते हैं, 5 परसेन्ट सेड्यूल्ड कास्ट व सेड्यूल्ड ट्राइब्स के आधार पर देते हैं और 5 परसेन्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को देते हैं, इस तरह से हमारा जो बजट है, उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा जिलों में खर्च होता है। आप भी उस कमेटी के मेम्बर हैं। मैं एक सुझाव रखना चाहती हूं। बजट का हमारा जो पैसा जिलों को मिलता है, उसमें कुछ फाइनेन्सियल एक्सपर्ट्स रखे जायें, ताकि वह मानिटरिंग व प्लानिंग सही कर सकें और हमारा जो पैसा है, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ग्रामीण जनता के विकास के लिए हो सके।

हमारा जन कल्याण समाज की स्थापना का लक्ष्य है। हम गांधी जी के प्रिंसिपल पर गांवों के विकास और किसानों के विकास की बात करते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह ने एक किताब लिखी है "सैल्यूशन आफ पावर्टी इन इण्डिया" उसमें किसान की परिभाषा लिखी है। आप सबने उस किताब को पढ़ा होगा। श्री चौधरी साहब ने किसान की परिभाषा दी है कि "किसान वह है जिसके पास इकोनोमिक होल्डिंग हो और 8 एकड़ से ज्यादा खेती हो। उसको वह किसान की परिभाषा में रखते हैं। मैं भी एक किसान की बेटी हूं। मेरे यहां एक बिसवा व दो बिसवा जमीन लोगों के पास है, भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो [xxx] भूमिहीन हैं, उसकी बात हम करते हैं। अभी आन्दोलन हुआ, जिसकी चर्चा आपने बहुत जोरदार शब्दों में की

(व्यवधान)

डाक्टर बंगाली सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या ने अपने भाषण के दौरान छोटे किसान [xx] होते हैं, शब्दों का प्रयोग किया है इसमें से शब्द निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

जिस किताब का उन्होंने जिक्र किया है, अगर उसमें है तो नहीं निकालूंगा नहीं तो निकाल दिया जायेगा।

श्रीमती शशि शर्मा–

आपके अनुसार तो वही किसान की परिभाषा में आते हैं, जो रूसी भाषा के अनुसार कुलक्स हैं या बड़े किसान हैं। आप बड़े काश्तकारों की बात करते हैं। हम छोटे-छोटे किसानों की बात करते हैं भूमिहीनों की बात करते हैं। आप सत्ता को प्राप्त करने के लिये किसानों को गुमराह करने की बात करते हैं। आपके बहकावे में हमारे किसान भाई नहीं आने वाले हैं। यह पूरब और पश्चिम का सवाल नहीं है, किसानों के हित की बात है। किस तरह से किसानों को हमारी सरकार 10 घंटे बिजली दे रही है। इससे आप सहमत हैं। आपको इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी। पूरे उत्तर प्रदेश में गांव में किसानों को 10 घण्टा बिजली दे रहे हैं पानी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छे बीज उपलब्ध करा रहे हैं। इससे जो प्रोडक्शन है, वह कई गुना बढ़ा है। मैं आपसे यही बात कहती हूं कि आप सदन के समय को खराब न करिये और विकास की बात करिये।

माननीय गन्ना राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनका ध्यान अपने क्षेत्र फाजिलनगर की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। वहां के किसानों की समस्याओं को देखते हुए एक गन्ना मिल, बड़ी कोआपरेटिव की मिल लगवाने की कृपा करें।

इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसका जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूं और संशोधन प्रस्ताव की मैं घोर निन्दा करती हूं।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की वही हालत है, जैसे एक शायर ने कहा है–

"हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा?"

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह शेर कुछ यूं है–

(श्री मनोहर लाल की ओर इशारा करते हुए)

"बर्बाद चमन को करने को,
बस एक ही उल्लू काफी है।"

(हंसी)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जिसकी ओर इशारा है, वह तो [x x x] है, यही तो मैं कहने जा रहा था, लेकिन आपको इतना धैर्य भी नहीं हुआ। वह [x x x] ही है।

(हंसी)

मान्यवर, यह तो मैंने एक शायर की बात कही। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आखिर में लिखा है कि–

"आप सभी गम्भीरतापूर्वक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की परम्पराओं, मर्यादाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस प्रदेश की गौरवशाली परम्पराओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।"

माननीय गुफरान जाहिदी साहब मौजूद नहीं हैं। अगर होते तो पूछता कि जो अभिभाषण दिया और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने की बात कही, क्या राज्यपाल महोदय को सूचना विभाग ने या मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने, जो न वीर हैं, न बहादुर हैं और न सिंह हैं, [x x x] राज्यपाल ने अपने भाषण में जो लोकतांत्रिक प्रणाली का जिक्र किया है उसके परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल हो गये हैं और आज तक स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये गये हैं उत्तर प्रदेश में और लोकतांत्रिक प्रणाली का इस तरह से हनन किया जा रहा है। क्या उन्हें उस समय यह ख्याल नहीं आया था कि हम सब लोग लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करें?

उत्तर प्रदेश में जो "कबाल टाउन" हैं उन सारी नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के और टाउन एरियाज के चुनाव आज तक नहीं हुए हैं और किस तरीके से आई0 ए0 एस0 के लोग धड़ल्ले से रुपया बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टा-

नोट—[x x x] मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चार को फैलाया हुआ है? इसकी फिक्र अधिष्ठाता महोदय आपको भी है। लेकिन महामहिम राज्यपाल अपने भाषण में बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और मर्यादाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। उनका यह भाषण जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तैयार किया, यह देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि लोकतांत्रिक प्रणाली की बात तो हम लिखा रहे हैं किन्तु स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव के बारे में लोग क्या कहेंगे?

मान्यवर, अभी अखबारों में एक खबर छपी कि "छटे छटाये [x x x] गृह मंत्री होते हैं।" यह टिप्पणी थी [x x x] एस0 डी0 एम0 मथुरा की। गृह मंत्री के भाषण पर जब उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया है तो उस पर [x x x] एस0 डी0 एम0 ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री [xxx] है और यह टिप्पणी की कि छटे छटाये [xxx] गृह मंत्री होते हैं। लेकिन इसके बाद भी एस0 डी0 एम0 को बदला नहीं गया, यद्यपि उसने गोपी नाथ दीक्षित के लिए ऐसा कहा।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था चारों तरफ कायम है। अभी बहन शशि शर्मा जी बोल रही थीं, मैं सोच रहा था कि वह जरूर बोलेंगी इस विषय पर परन्तु खेद है कि उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। मैं आपको बतला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में रोज 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें होती हैं, अब चाहे वो थाने में हों, चाहे मंत्री जी के घर पर हों, पर यह आंकड़े हैं जो यह बतलाते हैं कि प्रदेश में प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें होती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यह आंकड़े आपने कहां से प्राप्त किये हैं?

श्री मनोहर लाल–

यह उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि प्रदेश में रोज 17 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, किन्तु दुख की बात है कि राज्यपाल महोदय इस बात की ओर ध्यान न देकर कहते हैं कि हमारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम है जबकि इसके अलावा यहां रोज हजारों की संख्या में लोगों के कतल हो रहे हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, राहजनी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में दरोगा का राज्य है, वीर बहादुर सिंह का राज्य नहीं है।

आप देखिये कि दरोगा लोग जो चाहते हैं, वही यहां पर होता है, चाहे वे विधायकों का अपमान करें, चाहे लाठी चार्ज करें। [x x x] और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। ट्रान्सफर की लिस्टें बन रही हैं, लाखों रुपया इसमें लिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के थाने उन्नाव से बिक रहे हैं। लगता है कि जैसे उन्नाव जिले में रिमोट कन्ट्रोल लगा हुआ है और उसकी डोरी [x x x] गृह मंत्री का पूरा विभाग [xxx] है, आई0 पी0 एस0 लोग सब [xx] नीचे हैं, यह यहां की शान्ति व्यवस्था की बात है।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गंगा के घाटों को किनारे तक लाने के लिए कानपुर में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां एक से एक सन्त, एक से एक महात्मा आ रहे हैं, उसमें यह हुआ है कि नहरों की खुदाई हो।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो मैं कहना चाहता हूं कि गंगा को गंगा के घाटों के करीब लाने के संबंध में और वहां के प्रदूषण को दूर करने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया जिससे न सिर्फ कानपुर के लोग और वहां की जमीनें बल्कि उन्नाव के लोग और वहां के समस्त जमीनें बिल्कुल बे-घर-बार हो रही हैं, इसका कहीं पर कोई उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने नहीं किया है और यह अच्छा हुआ कि बहन जी ने स्व0 चौधरी चरण सिंह की बात कहकर हम लोगों को याद दिला दिया, यह अच्छा किया उन्होंने, लेकिन लगता है कि बहन जी ने उनकी किताब को पूरी तरह से पढ़ा नहीं, कहीं एकाध लाईन ही पढ़ ली होंगी, वरना ऐसी बात उनके बारे में तो कम से कम वह न कहतीं, जिनकी पूरी जिंदगी किसानों की सेवा और उनकी फिक्र में ही गुजरी है, चाहे वह विधान सभा के एक सदस्य रहे हों, मंत्री, मुख्य मंत्री या देश के प्रधान मंत्री परन्तु किसानों के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, इसीलिए उन्हें इस देश की धरती पर किसानों का धरती-पुत्र और मसीहा कहा गया है, और आज भी किसान उनको यही मानता है, लेकिन आज आप किसानों की बड़ी दोहाई दे रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले किसानों ने धरना दिया था, उस पर लाखों किसानों को आपने अपनी पुलिस और पी0 ए0 सी0 से पिटवाया जिसमें कई लोगों की जानें भी गयीं और आज मान्यवर, यह शासक दल के विधायकगण क्या कह रहे हैं ? यह भी सुन लीजिए, चलिए अच्छा हुआ खान गुफरान जाहिदी साहब भी आ गये, मैं तो इन्हें याद ही कर रहा था, सुन लीजिये खान साहब कानपुर का ही मामला है । शासक दल के विधायकगण प्लाटों को लेने के चक्कर में अधिकारियों का ट्रांसफर करवा रहे हैं। कानपुर के एक आई0 ए0 एस0 हैं, [x x x] जो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो 7 करोड़ रु0 कानपुर गंगा घाटों पर गंगा का पानी लाने हेतु और वहां के प्रदूषण को दूर करने हेतु हैं, खाए जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ट्रांसफर को रुकवाने के लिए वहां के सत्तादल के विधायक [x x x] अड़े हुए हैं। (शोर)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है, मैं भी कानपुर से ही आता हूं, यह वहां के समस्त विधायकों को कह रहे हैं, मैंने कहीं कोई ऐसा प्लाट नहीं लिया है।

(श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा के खड़े होने पर)

श्री मनोहर लाल–

हां ठीक है, स्वाभाविक है, आप लोगों का खड़ा होना, मैंने कानपुर के विधायकगण को कहा है, लेकिन उसमें आप लोग नहीं आते हैं, यदि मा0 अधिष्ठाता महोदय आज्ञा दें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर दे तो मैं अपना इस्तीफा भी देने को तैयार हूं और मान्यवर, आप इसकी जांच करवा लें कि वहां के सैकड़ों गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, कानपुर विकास प्राधिकरण के नाम से और यदि यह बातें हमारी गलत साबित हों तो मैं इसी समय इस्तीफा देने को तैयार हूं।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी व्यक्तिगत आरोप न लगाएं तो ज्यादा उचित रहेगा–

श्री मनोहर लाल–

यह सच है मान्यवर, कि असलियत कहने पर बड़ी कड़वाहट मालूम होती है, जिसे कोई पसन्द नहीं करता है और सुनना पसन्द नहीं करते हैं । (व्यवधान होने पर) मेरा समय मान्यवर बर्बाद न करावें। एक बात और कहना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को उच्चीकृत वेतन नहीं मिला है जो सचिवालय के कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन भी दिया था कि सचिवालय में जो वेतनमान बढ़ाया गया है वह वेतनमान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा लेकिन अभी तक आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ है। इसका आप पालन करावें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । सूखा का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखा राहत के नाम पर जो खाद्यान्न भेजा गया है वह सारा का सारा बेच दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सात सौ कुन्तल गेहूं उन्नाव जनपद में बेच दिया गया है और उसका हिस्सा मंत्रियों को भी जाता है। अधिकारी कहते हैं कि हमको मंत्रियों को देना पड़ता है। एक बात कह कर समाप्त करता हूं, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जनतांत्रिक परम्पराओं को आगे बढ़ाया जायेगा लेकिन किसानों की जमीन जो अधिग्रहीत की जाती है, माननीय अम्मार रिजवी ने घोषणा की थी कि किसानों की जो जमीन अधिग्रहीत की जायेगी उसका मूल्य दिया जायेगा और इसी विधान सभा में 26 तारीख को राजस्व मंत्री गौरी शंकर ने ही घोषणा की थी कि किसानों की भूमि बाजार भाव पर ली जायेगी लेकिन किसानों की जमीन अभी भी नाम मात्र के मुआवजे पर ली जा रही है। कानपुर और उन्नाव में प्रदूषण के नाम पर जमीन ले रहे हैं लेकिन उसका सही मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानपुर की 27 टैनरियों को बन्द कर दिया है और यह कहा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंटप्लान्ट लगावें यह प्लान्ट 50 हजार में बन कर तैयार हो जाता है लेकिन सेकेन्डरी ट्रीटमेंट प्लान्ट को लगाने में तीन लाख से साठ लाख मूल्य खर्च होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर एक कामन ट्रीटमेंट प्लान्ट बना दिया जाये और जो उस पर खर्च आवे उसको सभी टैनरियों पर बांट दिया जायें। इसको साथ टैनरियां देने को तैयार हैं तो मान्यवर, अन्त में मैं समाप्त करता हूं और अनीस अन्सारी की जांच करायी जाये शान्ति और व्यवस्था को ठीक कराया जाय इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं और नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल ने जो अपनी तकरीर शुरू की तो उल्लू से तस्किरा शुरू किया और हमारी तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है।

(व्यवधान के मध्य)

वह उल्लू अब लोक दल (अ) के मुकद्दर में कुछ दिन पहले आ चुका है इस उल्लू ने लोकदल (अ) को इस प्रदेश में चलाने का प्रयास किया है तो लोकदल (अ) का विनाश हो जायेगा। उल्लू और गीदड़ से तकरीर शुरू करने वाले लोक तंत्र की दुहाई देते हैं और [× × ×] यह दुम हिलाने वाले अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं तो यह किस तरह से लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इनके दो चेहरे हैं। यह बिल्कुल रक्षक नहीं हैं, बल्कि भक्षक हैं, जैसा कि हर लेवल पर देखा जा रहा है।

हमारे माननीय खान गुफरान जाहिदी ने अपनी तकरीर शुरू करते हुए कहा था मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसूलों का जवाब उसूली तौर पर दिया जाना चाहिए और नैतिक मूल्यों का जवाब नैतिक मूल्यों को स्थापित रखकर दिया जा सकता है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। . . . (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य कानपुर ने हमारे बारे में यह कहा कि मैं मुख्य मंत्री के सामने [× × ×] मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा, क्या वह संसदीय है या असंसदीय है? मैं न मुख्य मंत्री को कुछ समझता हूं और न किसी मेम्बर को कुछ समझता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

अगर [× × ×] . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, अनुरोध करूंगा कि मुझे बड़ा मानसिक कष्ट हुआ जिस तरह से हमारे वाद-विवाद का स्तर गिरता जा रहा है वह बड़ी चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)। आप मेरी पूरी बात सुनें।

श्री विजय सिंह राणा–

यह आपके भाषण का उपहास कर रहे हैं। यह गलत है।

श्री अधिष्ठाता–

यह हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जो उधर के सदस्य कहें या इधर के कहें वह असंसदीय न हों, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई बात कहते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। यह बात मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं कि दोनों पक्ष इस बात का ध्यान रखें कि किसी को मानसिक कष्ट न हो। मैं इसे स्वस्थ परम्परा नहीं मानता हूं। दोनों पक्षों में हमारे बहुत से वरिष्ठ

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और नौजवान साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी बात मजबूती से कहें लेकिन उसे कहते वक्त कदापि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी की मानसिक भावनाओं को कष्ट पहुंचे।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय जाहिदी मैंने अपनी तकरीर में यह कहा था कि लोगों के चरित्र हनन की जो नाकाम और बेजा कोशिशें की जाती हैं, यह ठीक संसदीय परम्परा नहीं है। इस तरह की झूठी और अनर्गल बात कही जाती है और ऐसी बात वे ही लोग करते हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता है। मान्यवर, जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले भाई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को प्लाट मिला है और उसके बाद उन्होंने कुछ इशारा भी किया, नाम भी लिया और एक बात कहने की नाकाम कोशिश की। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। [x x x] बार-बार हार चुके हैं, जनता की अदालत से भगाये जा चुके हैं। उन्होंने न कभी इस्तीफा दिया है और न कभी देंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि खुद नाजायज जमीनें बेचने वाले दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाकर अपना जुर्म छिपाना चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल–

दूसरों की जमीनों पर जो कब्जा करते हैं, जिन्होंने कब्जा किया है, उसको छोड़ दीजिये . . . (व्यवधान)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, [xxx] कई मर्तबा यह कानपुर से नाकामयाब हुए तो उन्नाव आये और वहां से एक व्यक्ति जो गृहमंत्री हैं उनको यह देख नहीं सकते हैं (व्यवधान) उन पर यह दुनिया भर के इल्जाम लगा रहे हैं। (व्यवधान) भ्रष्टाचार की कहानी इस तरफ के लोगों पर मत लगाने की कोशिश करें [x x x] (व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके कहने के बावजूद बहस इसी विषय पर हो रही है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई नहीं बोल रहा है जिस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसका समय व्यक्तिगत आरोपों पर लग रहा है नौबत गाली गलौज तक आ गयी है।।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

अभी मान्यवर, माननीय सदस्य [xxx] दिखा रहे थे क्या यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने देखा नहीं अगर ऐसा है तो यह अत्यन्त अशोभनीय है।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अमर चन्द–

अभी माननीय उमर साहब अपना भाषण कर रहे थे तो माननीय मनोहर लाल जी ने [xxx] दिखाई जो अत्यन्त असंसदीय है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें मैंने इस पर निर्णय दे दिया है। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि [xxx] दिखाना या असंयत भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई व्यक्तिगत आरोप न लगायें और असंयत भाषा का प्रयोग न करें। राज्यपाल महोदय के भाषण पर बात करें।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दें जो [xxx] दिखाई है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, हमें यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस माननीय सदन में अखलाक की दुहाई, नैतिकता की दुहाई वह दे रहे हैं जिनका दामन हजारों बुराइयों से जुड़ा है। [xxx] (व्यवधान के मध्य)।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अब सदन इस तरह नहीं चलेगा।

(शोर)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

माननीय ओझा जी, जरा सुनें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही है और वाक्‌युद्ध हो रहा है और वह भी निम्न स्तर का आप सदन को व्यवस्थित करें इस तरह से समय बर्बाद न करें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कई बार मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि क्या यह शोभा देता है कि आरोप लगाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालें? एक पक्ष ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि दोनों पक्ष दोषी हैं। किसी पक्ष ने कोई असंसदीय बात कही है तो उसको देख लिया जायेगा। आप अभिभाषण पर ही कहें और कोई आरोप न लगायें।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, जो बातें यहां नहीं उठानी चाहिए थीं लेकिन शंका समाधान के रूप में यदि कुछ नहीं कहा जायेगा तो इस पक्ष में बैठने वाले साफ लोगों पर ऐसे गंदे लोग आगे भी कीचड़ उछालेंगे। [x x x]

(व्यवधान के मध्य)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

व्यवस्था का प्रश्न है . . .।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्त रहें। माननीय मनोहर लाल जी ने जो [xxx] कार्य किया है वह अत्यन्त अशोभनीय और निन्दा का कार्य किया है। आपसे चाहूंगा कि आप खेद प्रकाश करें। चूंकि सदन में [xxx] अशोभनीय कार्य है जो मुनासिब और उचित नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस समय जो सदन में . . .।

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, आपकी दी हुई व्यवस्था का उनको आदर करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए इसके बाद में श्री शतरुद्र प्रकाश जी बोलें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस समय जो सदन का वातावरण है वह निश्चित रूप से संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मान्यवर, आप हम सब लोगों से अपेक्षा करते हैं कि संसदीय मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और हमारा दल संसदीय मर्यादाओं के पालन करने में विश्वास करता है।

मान्यवर, संसदीय मर्यादाओं में टोका-टोकी भी की जाती है और मेरे नवजवान सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि टोका-टोकी करना यह संसदीय परम्पराओं में है।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं। आप लोग शांत रहें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर माननीय श्री मनोहर लाल जी ने, आपने स्वयं देखा अपने हाथ में जो उत्तेजित होकर [xxx] लिये थे, मैं समझता हूं कि उत्तेजनावश उन्होंने ऐसा कर दिया। हम पूरे दल की ओर से उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि लेकिन यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की भी है कि संसदीय कार्य मंत्री चूंकि वह सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के रूप में यहां बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है . . .।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनकी भी जिम्मेदारी है मान्यवर कि वह अपने यहां के, अपने सदस्यों को शान्ति के तरीके से यहां पर बिठाएं । जहां तक मान्यवर, विरोध पक्ष और सत्तापक्ष का सवाल है, यहां पर हमसे भी बड़े नेता विरोध पक्ष में रहे हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं और सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि बहुत तेज-तर्रार सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हैं, लेकिन जब इस तरह की कटुता आती है तो उसको कम किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जब व्यक्तिगत आरोप लगना शुरु हो जाएंगे तो स्वभाविक प्रक्रिया में उससे उत्तेजना भी पैदा होगी ।

यदि कोई माननीय सदस्य किसी के पिता को लेकर, किसी की मां को लेकर या किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति को लेकर जानबूझ कर किसी सदस्य को उत्तेजित करने के लिए आरोप लगायेंगे तो मान्यवर, स्वभाविक रूप से कहीं पर हाथ में चप्पल आ जाएगी, कहीं पर हाथ में जूता आ जाएगा। जबकि यह अच्छा नहीं है, मैं इसे कतई अच्छा नहीं समझता हूं और मैंने इसके लिए सदन में खेद भी प्रकट कर दिया है (अत्यधिक शोर होने पर) अगर इस बात का फैसला करना है कि हल्ला कौन सबसे ज्यादा कर सकता है तो मान्यवर, इसके लिए आप इजाजत दे दें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हल्ला हो, लेकिन इसी बात का यहां पर फैसला करना है तो मैं आपके जरिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि इसका फैसला हो जाए कि हल्ला कौन सबसे ज्यादा कर सकता है? . . . (व्यवधान)

इस तरह से अन्ताक्षरी यहां पर न कराई जाए । सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने की इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक अपने दल के सदस्यों को शान्त नहीं कर सकते हैं तो उन्हें मुख्य सचेतक पद पर रहना भी नहीं चाहिए । और माननीय मनोहर लाल जी ने कोई आरोप यहां पर लगाया और यह आरोप लगाया कि किसी सदस्य ने कानपुर आवास विकास परिषद् से सम्पत्ति ले ली है, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। सम्पत्ति कोई भी ले सकता है। मैं ले सकता हूं और आप भी ले सकते हैं। सीधी सी बात थी उसका सीधा सा उत्तर दे दिया जाता यहां पर, लेकिन उसका जवाब देने के बजाए उनके पिता, पितामह पर आरोप लगाना शुरु कर दिया गया और यह भी कह दिया कि मुख्य मंत्री के आगे पीछे वह दुम हिलाते रहते हैं। जो मनोहरलाल जी की तरफ से हुआ है उसके लिए मैं पुनः खेद प्रकट करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपने इससे पहले सदन किस तरह से चले उसके बारे में कहा, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं और माननीय शत्रुरुद्र प्रकाश जी ने जो बात कही, जो अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, माननीय सदस्यों को अपने भाषण में उस तक सीमित रहना चाहिए और व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाने चाहिए । मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा। किसी का भी उससे विरोध नहीं है, लेकिन जो स्थिति पैदा हुई उसका हमें भी खेद है और शत्रुरुद्र प्रकाश जी ने खेद प्रकट किया । यह स्थिति एक बार और हो चुकी थी, हमें अपने को सन्तुलित करना पड़ेगा ।

अगर कहीं पर धुआ उठा है तो देखना होगा कि आग कैसे लगी और किसने लगाई? आखिर यह चीज कैसे हुई? एक दम से तो किसी ने उत्तेजित किया नहीं? इन्होंने किया न उन्होंने किया, या तो इस बात का पोस्टमार्टम किया जाए । बेहतर यह

होगा कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त किया जाए और जो आदेश आपने दिया उसके लिए शतरुद्र प्रकाश जी ने खेद प्रकट किया। अच्छा यह होता कि माननीय मनोहर लाल जी खुद कहते । श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि हमें अपने सदस्यों को मुख्य सचेतक की हैसियत से सतर्क करना चाहिए था, सन्तुलित करना चाहिए था । जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हमें भी खेद है और उनको भी है और यदि हम उन्हें सन्तुलित नहीं कर सकते हैं तो हमें इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

जो डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन रहे हैं संसदीय परम्परायें जो हैं उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए अगर उनके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। हम संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए ही सख्त से सख्त बात कहें और सुनें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरा सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वह संतुलित रहें और जो प्रकरण हुआ है उसे यहीं समाप्त करें । हमारे मनोहर लाल जी सदस्य ही नहीं एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अगर यह ऐसा करेंगे तो उससे बहुत सी चीजें इफेक्टेड होंगी तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इस प्रकरण को समाप्त करें और आपके आदेशानुसार कार्य करें और सदन की परम्पराओं का ध्यान रखें ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता–

शतरुद्र प्रकाश जी ने अपने दल की ओर से जो खेद प्रकट किया है माननीय मनोहर लाल जी के आचरण के बारे में, जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, उसको देखते हुए यह प्रकरण समाप्त किया जाए। मैंने चार-पांच बार गम्भीरता के साथ आपसे अनुरोध किया है कि आप व्यक्तिगत आरोप और लांछन न लगायें, लेकिन माननीय सदस्यों ने उसका ख्याल नहीं रखा और इसी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का आचरण सदन में न किया जाए ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

आप सब लोग खड़े क्यों हो गये मैं अभी बोल रहा हूं । आज आप हमारी जो पुरानी विधान सभा की कार्यवाही है उसको देखते और पढ़ते हैं । हम नेता विरोधी दल आदि का भाषण आप देखते हैं और उससे मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी तरह से आने वाली पीढ़ियां कार्यवाही को पढ़ेंगी, तो वह क्या महसूस करेंगी? आज लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। आप लोग कोई भी बात कहें वह इस बात को ध्यान में रखकर कहें कि किसी को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट आपकी बात से न हो। अब हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अभी आपने कहा कि जो प्रकरण हुआ उसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो क्या कहेंगी, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने जो कहा उसको शायद आपने सुना नहीं । मैंने कहा कि मैं कार्यवाही को देख लूंगा और जो व्यक्तिगत बातें होंगी उसको निकाल दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर खान गुफरान जाहिदी साहब ने बड़ी काबिलियत से सरकार की तारीफ करने की कोशिश की है। मान्यवर, मैं खुदा से गुजारिश करूंगा कि अबकी जब मंत्रि मण्डल का विस्तार हो, तो खान गुफरान जाहिदी साहब मंत्रि मण्डल में शामिल किए जायं । मान्यवर, खान गुफरान जाहिदी साहब विपक्ष में भी रहे, जनता में भी रहे, लेकिन अगर जाहिदी साहब ने थोड़ी बारीकी से देखा होता कि जो सरकार ने असत्य का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल के द्वारा और आपके द्वारा यहां पर रखवाया है, उससे पता लग जाता है कि आज आपकी सरकार प्रदेश को बजाय आगे ले जाने के, प्रदेश को पीछे ले जा रही है । यह सरकार केवल कागज का पुलिंदा और आंकड़ा देने से कुछ साबित नहीं कर सकती है। इन्होंने कहा कि बड़ा भीषण सूखा इस वर्ष पड़ा और 145 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया। जहां मान्यवर अन्य प्रदेशों को ज्यादा रुपया मिला, उसके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश को बहुत कम रुपया मान्यवर मिला ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में सूखा पड़ा, और यह यहां सूखे से निपटने के लिए नवम्बर तक कोई धनराशि नहीं पहुंच पाई। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने कह दिया कि हर न्याय पंचायतों में हम काम करा रहे हैं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, वे लोग भी इस बात को जानते हैं कि किसी भी ब्लाक में, किसी भी न्याय पंचायत में कोई भी काम नहीं लगाया गया है।

मान्यवर, ये माननीय नेकचन्द पाण्डेय के यहां यह सब हो रहा है और जब ये बोलेंगे, तो आखिर में यह भी कह देंगे कि हमारे यहां पर यह भी काम होना चाहिए, वह भी काम होना चाहिए। मान्यवर, ये युवा कांग्रेस के ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह बता दिया होता कि 145 करोड़ रुपये में प्रदेश के अन्दर कितनी किलो मीटर सड़कें बनीं, कितने कुओं की मरम्मत कराई गयी, कितनी जगहों पर हैण्ड पाइप लगाये गये, तो यह पता चलता कि उस पैसे का सदुपयोग भी हुआ है कि नहीं। लेकिन मान्यवर, वह काम हुआ ही नहीं, जिनकी घोषणा कर दी गयी । मान्यवर, इस सरकार में यह देखने वाला कोई नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ।

हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि 21.70 लाख रुपया और सीमान्त किसानों को अनुदान के रूप में बांट दिया गया। हमें तो कहीं लघु-सीमान्त किसानों को यह अनुदान बांटे जाते हुए नहीं दिखाई पड़ा और अगर बंटा हो, तो सदन की एक कमेटी मान्यवर बना दें, जो इस बात की जांच कर लें कि वास्तव में वह पैसा बंटा है कि नहीं बंटा है और अगर नहीं बंटा है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । मान्यवर, केवल आंकड़ा दे देने से यह नहीं मान लिया जायगा । मान्यवर, अगर ये खाद बंटवा दिये होते, तो किसानों की भलाई हो जाती ।

मान्यवर, अभी अपराधों के बारे में बड़ी जोर से बातें हो रही थीं कि अपराध पर रोक-थाम लगा दी गयी । मान्यवर, केवल एक जिले में अपराध पर रोक-थाम लगा देने से क्या 58 जिलों में रोक-थाम हो पायेगी, मान्यवर, यह कहा गया कि नये थाने खोल दिये गये। मान्यवर, जहां पर नये थाने खुल जाते हैं, तो वहां की जनता और त्रस्त हो

जाती है मान्यवर, हमारे पास से कई जगहों से यह सूचना मिली है कि जो रिपोर्टिंग चौकियां खोली गयी हैं, वहां पर पुलिस बहुत लूट-मार करती है । मान्यवर, एक डी0 एम0 ने कहा कि आज कल जितने अपराधिक काम होते हैं, वे थाने के जरिये होते हैं। चाहे अवैध शराब बनाने का काम हो, चाहे अवैध अग्नेयास्त्र बनाने का हो सब थाने के जरिये से होता है ।

अभी एक माननीय सदस्य मुझसे कह रहे थे कि थाने नीलाम होते हैं कहने में तो बड़ा बुरा लगता है लेकिन वास्तविकता में देखें तो आज पूरे प्रदेश में इतनी दु:ख की बात है कि कोई भी पुलिस कप्तान थाना नीलाम किए बिना रहता नहीं, पुलिस अधीक्षक को 4-5 लाख की आमदनी है।यह सरकार जानते हुए भी कोई कारवाई नहीं करती है । यह पुलिस जब लाठी चलाती है और उस बात को जब हम सदन में कहते हैं तो ये मजाक में लेते हैं उसको कहते हैं कि दिखवा लेंगे। जो शिकायत यहा की जाती है उसकी इन्क्वायरी उसी दरोगा से होती है जिसकी शिकायत यहां करते हैं । यह इस सरकार की कार्यकुशलता का परिचायक है।

मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि अभी इलाहाबाद में चुनाव हो रहे थे, कुछ मंत्री लोग घूम रहे थे उनके पीछे इलाहाबाद के बड़े-बड़े क्रिमिनल थे । अब कौन पकड़ेगा इन्हें किस पुलिस कप्तान की हिम्मत होगी, किस दरोगा की हिम्मत होगी । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चुनाव लड़ना है तो लड़े लेकिन इस तरह से संरक्षण इन लोगों को न दें कभी आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं । अगर संविधान की कसम खाई है तो उसको पूरा कीजिए ।

मान्यवर, यह सरकार जो दावा करती है हरिजनों को आवास देने का और मकान बनाने का, मेरा दावा है कि वह सब कागज पर ही है 20 हजार आवास स्थल और एक लाख दो लाख इक्कीस हजार अधिकतम सीमा जोत से जो भूमि निकली है उसे हरिजनों और जनजाति के लोगों को देने की बात थी वह वास्तव में केवल कागज तक ही सीमित रह गयी है। जो बड़े लोग हैं उनमें से किसी ने कब्जा छोड़ा नहीं है किसी ने कब्जा हरिजनों को लेने नहीं दिया है और आपकी सरकार उस कब्जे को दिलवाने में असमर्थ रही है क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, यह बड़े-बड़े जमींदारों की सरकार है । यह सरकार सरमायेदारों और हरिजनों की रक्षा नहीं कर पा रही है इसीलिए यह हरिजन अब इनको छोड़कर डी0 एस0-4 की तरफ जा रहा है ।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं । परिवार नियोजन के बारे में बहुत बड़े आंकड़े दिए जाते हैं मान्यवर, उनके फलस्वरूप डी0एम0 को पुरस्कार रूप में मारुति कार दी जा रही है, टेलीविजन सेट दिए जा रहे हैं लेकिन अगर आप जांच करवा लें किसी भी एजेन्सी से तो पायेंगे कि 50 प्रतिशत तो यह फर्जी आंकड़े हैं और 50 प्रतिशत में उनकी नसबन्दी की गयी है जो निर्धारित दाम्पत्यों की परिधि में नहीं आते हैं । इस योजना में लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं । मान्यवर, अगर उसमें ऐसा नियम बनायें कि नौकरी में प्राथमिकता दी जाय, मकान में प्राथमिकता दी जाय एक ऐसी पालिसी बनायें, जिससे सभी को फायदा पहुंच सके । मान्यवर, डाक्टर फर्जी आंकड़े आपको प्रेषित कर रहा है। आप जिससे भी चाहें जांच करा लें अगर हमारी बात गलत साबित हो तो मुझे बता दें ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने दवाओं के बारे में और विकलांगों के बारे में सहायता देने की बात कही है । मान्यवर, इतना बड़ा सदी का सूखा, यह स्वयं कहते हैं कि पड़ा है लेकिन दिसम्बर तक कोई सहायता नहीं दी गयी, कहां से बेचारे खाते रहे हैं यह भी आपने सोचा है, कभी विचार किया है । मान्यवर, हरियाना एक छोटा सा प्रदेश है हमारे प्रदेश के मुकाबले में वहां 6 लाख लोगों को विधवाओं को और अपंगों को सहायता दी जा रही है लेकिन आपका इतना बड़ा प्रदेश है 12 करोड़ का और एक लाख विधवाओं को आप देते हैं पेंशन और निराश्रितों को एक लाख, कहां हरियाणा 6 लाख देता है और आप एक लाख दे रहे हैं, वह भी आपने पिछले तीन साल से बन्द कर रखा है । आप दे नहीं रहे हैं, रोक लगा रखी है ।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर लड़कियों का विद्यालय खोलेंगे । पता नहीं शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि नहीं कि शासन से एक आदेश चला गया है कि गांव में प्राइमरी पाठशाला कोई नहीं खोली जायगी । मान्यवर, 2-3 किलोमीटर से छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपने रोक लगा दी है । लाखों बी0 टी0 सी0 करके लोग सन् 74 से बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप नवोदय विद्यालय खोलेंगे जिसमें साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च होता है । लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों के बच्चों के लिए विद्यालयों को नहीं खोलेंगे, जहां स्वीकृतियां हैं उनके लिए भी आप भवन नहीं बनवा पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं । आप कहते हैं कि टी0 वी0 और कम्प्यूटर से पढ़ायेंगे, जब बिजली नहीं है तो टी0 वी0 और कम्प्यूटर कहां से चलायेंगे? मान्यवर, 21वीं सदी में भारत को ले जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 67 फीसदी जनता निरक्षर है, ऐसे प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका प्रयास है कि गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूलों में न पढ़ पाए । उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है कि छोटे-छोटे एक से पांच साल के बच्चे 1 से 3 किलोमीटर तक पढ़ने जा रहे हैं । उनके लिए विद्यालय नहीं खुलवाए जायेंगे । नवोदय विद्यालय के लिए साढ़े तीन करोड़ खर्च करेंगे।

मान्यवर, अभी राज्यपाल महोदय ने कहा कि प्रदेश में कई बड़े-बड़े कल कारखाने खोले जा रहे हैं । मान्यवर, मैं पिछले तीन सालों से देख रहा हूं, इलाहाबाद में पालिएस्टर धागे और कोयरब्लास्ट का कारखाना खोलने की बात हर साल कही जाती है, लेकिन वह कारखाना दिखाई नहीं पड़ रहा है । एक केबिल के कारखाने का शिलान्यास पिछले अगस्त में हुआ था, अब फरवरी आ गयी, अगला अगस्त आने वाला है, लेकिन नैनी में वह केबिल का कारखाना का काम शुरू नहीं हो रहा है, बनना प्रारम्भ ही नहीं हो रहा है । मान्यवर, किसी बात को अमल में नहीं लायेंगे तो केवल कागज के पुलिन्दे में देने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है । इसी के साथ-साथ विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि टांडा परियोजना, टेहरी परियोजना, आनपारा परियोजना शीघ्र ही चालू हो जायेंगी । मान्यवर, शीघ्र काम का कोई समय आयेगा । पिछले पांच साल से मैं सुन रहा हूं कि उत्पादन शीघ्र होने वाला है । लेकिन उसमें आज तक कोई उत्पादन हुआ ही नहीं । सम्भवतः अगले साल भी नहीं होगा। आनपारा परियोजना के टेण्डर भी अभी तक नहीं हुए हैं ।

इस समय मान्यवर 5100 मेगावाट का कुल उत्पादन हो रहा है। जिसमें थर्मल की क्षमता 1500, 1600 मेगावाट के उत्पादन की है। सरकार का कहना है कि 28 परसेंट लाइन लासेज हो रहा है। जब 28 परसेंट क्षरण हो रहा है तो प्रदेश में कहां से किसानों को 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने एलान कर दिया, तुगलक की तरह, चाहे काम हो या न हो, एलान जारी है, तब तक जारी रहेगा, जब तक कि जनता इनको अपदस्त नहीं करती है। आज प्रदेश में जनता ने सोच रखा है, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, शिक्षक हो, किसान हो, विद्यार्थी हो या वकील हो, सब इनसे त्रस्त हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, सब इनसे त्रस्त हैं। मा0 शिक्षा मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि प्राइमरी की शिक्षा को ठीक करें, प्राइमरी के अध्यापक जहां नहीं हैं, वहां अध्यापक भेजें।

लेकिन यह बेचारे कर भी क्या सकते हैं? प्राइमरी का लड़का नर्सरी में जा रहा है। 15 रुपया फीस देकर। मंत्री जी बेचारे क्या करें यहां से मजबूर हैं। मैं यह बात कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं कि अभी भी समय है चेतो नहीं तो इस सरकार के दुर्दिन फिर आने वाले हैं। इस चेतावनी के साथ मैं यह कहूंगा कि आप कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे कि लोग आपको याद रखेंगे। नहीं तो आने वाला जमाना आपके नाम पर ऐसी बदनामी करेगा जो मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं।

(धन्यवाद)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय रेवती रमण जी ने शिक्षा मंत्री जी के लिये कहा कि यह कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वे कृपया माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर उन्हें बतायें, यह बहुत कुछ कर सकते हैं।

(हंसी)

श्री कौशिक रमाशंकर–

यह आप अपने अनुभव की बात कह रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले एक वर्ष में बावजूद बड़ी कठिनाइयों के, विषम परिस्थितियों के, हमारी सरकार ने उन चीजों का मजबूती से मुकाबला किया और सराहनीय कार्य किया। विशेषकर उ0 प्र0 में भयंकर सूखा आया मान्यवर मैं उस संदर्भ में इस सरकार के साथ-साथ प्रदेश के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किलें होने के बाद भी उतनी बड़ी चुनौती के साथ सामना किया।

मैं माननीय मुख्यमंत्री उनकी मंत्रि परिषद् और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि बावजूद इस सूखे की परिस्थिति में कोई भी जान नहीं गयी, कोई भी व्यक्ति भूख से मरा नहीं और किसी तरह की कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आयी जैसी इन परिस्थितियों में आ जाती है । सबसे पहले मैं एक बात आपसे और कहना चाहता था कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में 20 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां रैली में कहा था, हिन्दुस्तान की 1/6 आबादी उ0 प्र0 में होने के बावजूद भी, अन्य प्रान्तों के मुकाबले यह प्रदेश बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में सबसे आगे खड़ा है । जितनी कार्यवाहियां, जितनी उपलब्धियां बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में पिछले एक वर्ष में हुई हैं, उसके लिये मैं उ0 प्र0 सरकार को फिर बधाई देना चाहता हूं ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां तो बहुत हुई हैं लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसका मूल्यांकन करायें । जितने आदेश सरकार से इस संबंध में जा रहे हैं, वह कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को इस सरकार ने जो सुविधायें दी हैं, उनका मूल्यांकन करायें । उन तक पूरी-पूरी सुविधायें पहुंचाने का प्रयास किया जाय । मान्यवर, इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर जो

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें । आपस में बात न करें ।

श्री नरेश चन्द्र–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोगों को जो मकान उपलब्ध कराने की योजना है, यह बहुत बड़ी योजना है इसमें मान्यवर यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक जिला स्तर पर कोई भी समितियां नहीं बनेंगी । उसके स्तर पर मानिटरिंग या मूल्यांकन का कार्य नहीं होगा, तब तक यह कार्य सही तरीके से संभव नहीं होगा । लेकिन मान्यवर, यह सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है । मान्यवर, उ0 प्र0 के न्यायालयों में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं । विशेष अदालतें भी लगी लोक अदालतें भी चल रही हैं और उनके माध्यम से केसों को निपटाने का कार्य चल रहा है । लेकिन मान्यवर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनेक सरकारी स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं, उनकी नियुक्तियां की जाय ताकि पेंडिंग केसों के निपटारे में कुछ जल्दी हो सके ।

मान्यवर, परिवार कल्याण के संबंध में मैं उ0 प्र0 सरकार को स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी को और विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस दिशा में हुए कार्यों के संदर्भ में ढाई करोड़ रु0 का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस सरकार को मिला । जिस तरह से उ0 प्र0 ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में प्रथम आया, उसी प्रकार परिवार कल्याण में भी यह अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे प्रथम आया । जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया, इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट और माननीय प्रधान मंत्री के यहां से तीन एजेन्सीज से जांच हुई थी कुछ शिकायतें यहां भी और पार्लियामेंट में आई और उन शिकायतों पर जनपदों से रिपोर्ट आई, यहां पर भी इनको लिया गया लेकिन बाद में वह सब गलत पाया गया ।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा विभाग की घोषणा का प्रश्न है एक बालिका विद्यालय हर तहसील में खोलने की बात हुई । यह बहुत अच्छी घोषणा की गई है क्योंकि जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनके लिये आगे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था । जबकि आपने भी देखा होगा कि चाहे हाईस्कूल हो या इन्टरमीडिएट, लड़कियां सदैव ही लड़कों से आगे रहीं हैं । मान्यवर, जनपद के हर गांव में, हर टाउन एरिया में एक स्कूल का होना आवश्यक है । मान्यवर, आज लड़कियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने को तैयार हैं परन्तु 8-8, 10-10 मील तक कोई महाविद्यालय नहीं मिलता । शिक्षा विभाग का यह कदम बड़ा ही सराहनीय कदम है । इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जायेगा । एक बात और मैं कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, आज कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक्स का युग आ गया है और चाहे प्रदेश से प्रदेश में कम्पटीशन की बात हो या देश की दूसरे देश से कम्पटीशन हो । मान्यवर, आज यह जरूरी हो गया है कि हम इस क्षेत्र में भी ध्यान दें और जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास करें । यद्यपि इस दिशा में अपट्रान वगैरह ने काफी तरक्की की है लेकिन यदि हमनें और इसके लिये प्रयास नहीं किया तो हम और देशों तथा प्रदेशों के मुकाबले पीछे रह जायेंगे ।

मान्यवर, एक बात मैं और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक वृद्धाओं, विधवाओं अभी विकलांगों को इस पेंशन का लाभ दिया जाये । मान्यवर, अभी पिछले दिनों लखनऊ में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि यहां वाटरवर्क्स के जो मशीनरी है, वह अब लखनऊ शहर की बढ़ती हुई आबादी को पानी पहुंचा सकने में सक्षम नहीं रह गई है । मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वाटर वर्क्स के एक्सटेंशन करें ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न पैदा हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझको आपने बोलने का मौका दिया ।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इस साल एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा और उसकी चर्चा भी बहुत बड़ी हुई । इस संबंध में पैसा भी कुछ मिला लेकिन मान्यवर, उसका कोई प्रतिफल हम लोगों को नहीं मिला । मान्यवर, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सरकार की ओर से प्रचार होना चाहिए, पब्लिक सरकारी कार्यों को जानती नहीं है । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रचार में कागज पर तो खूब दिखाया जा रहा है रेडियो और टेलीविजन पर भी प्रचार हो रहा है । लेकिन जब नहरें चली ही नहीं, ट्यूबवेल चले ही नहीं, कोई राहत का काम हुआ ही नहीं, तो ऐसे प्रचार से क्या फायदा ?

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हर मंडल में मीटिंग करते हैं और उन्होंने गोरखपुर मंडल में भी 3 दिसम्बर को मीटिंग की थी । मैंने वहां सिर्फ एक प्रस्ताव किया था

कि हमारे क्षेत्र में पुराने अंग्रेज जमीदार थे, जिन्होंने नहरें बनाई थीं और उन नहरों से आज से 100 साल पहले हर खेत को पानी मिलता था, लेकिन मरम्मत के अभाव में वह नहरें आज बिलकुल अस्त-व्यस्त और ध्वस्त हो गई हैं ।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

उसके रेगुलेटर बर्बाद हो गये हैं, नहरें खराब हो गयी हैं । जिस समय हमने यह प्रस्ताव वहां किया था और चीफ इन्जीनियर ने भी कहा तथा ए0 पी0 सी0 श्री भार्गव जी ने भी कहा था तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूखा राहत कोष से केवल मरम्मत के लिए ही नहीं अपितु पुनर्निर्माण हेतु आदेश दे दिए थे । पता नहीं कौन सी व्यवस्था है, कि आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ, आज तक वहां पर इस कार्य हेतु एक पैसा नहीं गया है ।

वे नहरें जो अंग्रेजों के जमाने में और जमींदारों के जमाने में खेत-खेत को पानी देती थी, आज उनसे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। यदि पुनर्निर्माण के लिए पैसा मिल जाता और नहरें दुरुस्त हो जाती तो आप लोगों के (शासन के) दुष्कर्मों की वजह से आने वाले समय में दैवी आपदा के समय (यदि पानी नहीं बरसता) तो कम से कम इन नहरों का सहारा तो रहता। सरयू नहर अकेले साढ़े तीन जिलों को सींचने की क्षमता रखती है, दैवी आपदा भी उसे चैलेन्ज नहीं कर सकती है, लेकिन उसको केवल पैसा इतना दिया जाता है, जितना इनके अफसर खा-पीकर बरबाद कर सकें नहरों की जितनी खुदाई करते हैं उतनी बरसात में पटाई हो जाती है। पैसे का उपयोग किया जा रहा है रामगढ़ के ताल को बनाये जाने में काश्मीर के डल झील जैसा बनाकर सैलानियों को न्योता दिया जा रहा है।

मैं कहता हूं पहले आदमी को रोटी चाहिए। सबसे पहले आप सरयू नहर को यथोचित पैसा दीजिए और रामगढ़ ताल को सैलानियों के लिए तब तक मत बनाइये जब तक कि हर खेत को पानी न मिल जाय तब तक रामगढ़ ताल के सौन्दर्यकरण निरर्थक है । मान्यवर, सिंचाई के बाद एक ड्रेनेज विभाग बस्ती में है । वहां पर किसी भी अफसरान का ट्रान्सफर नहीं होता है। यदि ट्रान्सफर होता भी है तो वह सचिवालय के 8 महीने चक्कर लगाता है और कहीं न कहीं से सिंचाई मंत्री जो यहां के मुख्य मंत्री जी भी हैं के प्रभा मंडल से सम्पर्क जोड़ कर अपना ट्रान्सफर रुकवा लेता है। 3-4 महीने काम करके वे लोग कितना लाखों रुपए कमा लेते हैं। कि ठाट से 8 महीने सचिवालय के चक्कर लगाते रहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ड्रेनेज खण्ड, बस्ती में आप किसी भी जे0ई0 असिस्टेन्ट इन्जीनियर व एक्जक्यूटिव इन्जीनियर का ट्रान्सफर न करें, वे 12 महीने अपने कार्य क्षेत्र में रहें और बिना लूटे खायेगें किन्तु रहने के नाते कुछ तो करेंगे? मैंने पढ़ा राज्यपाल के अभिभाषण (किताब में) कि नीदरलैण्ड के सहयोग से ट्यूबवेल्स लगाने वाले हैं। क्या वे ट्यूबवेल्स ईमानदारी से सत्तापक्ष के विधायकों के साथ-साथ विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में लगाये जायेंगे? यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन शब्द जालों से कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि तीन नये जिले बनाये जायेंगे हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर (नौगढ़) और मऊनाथ भंजन, लेकिन आज तक तीन में से कहीं भी काम शुरू नहीं हुआ। पता चलता है कि पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं था तो फिर घोषणा करने से कौन सी बात बनती है।

मान्यवर, इसी तरह से पूर्वी जिलों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। पूर्वी जिले अत्यधिक गरीब हैं। डी0आर0डी0ए0 में छोटे किसानों को जो सहायता दी जाती है, पूरे प्रदेश में उसके लिए एक मानदण्ड बनाया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले गरीब जिले हैं, सीमान्त कृषकों को मानक ढाई एकड़ से मानता वाले हैं, उन्हें 5 एकड़ तक किया जाये और जो लघु सीमान्त कृषक हैं, उनको मानक 5 एकड़ के स्थान पर 10 एकड़ तक माना जाये। कहने का मतलब यह है कि जो ढाई एकड़ पर सहायता दी जाती है, उन्हें 5 एकड़ पर दी जाय और जिन्हें 5 एकड़ पर सहायता दी जाती है, उन्हें 10 एकड़ पर दी जाय। तब पूर्वी जिलों का कल्याण होगा। हमारे यहां कपिल वस्तु पर्यटन केन्द्र पिपरहवा है, पर्यटन केन्द्रों की सूची में उसका पहला पंक्ति में नाम है, लेकिन न तो वहां पर कोई स्तूप बना है, न भवन बना है, न सड़कें बनी हैं। जब पर्यटन केन्द्रों की सूची में उसका पहली पंक्ति में नाम है, तो केन्द्र एवं प्रदेश सरकार पैसा देकर उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विरोधी दल के नेता द्वारा जो राज्यपाल के अभिभाषण पर खेद प्रगट किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार खैरा–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। मैं गुफरान जाहिदी साहब द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कुछ बातें आपके माध्यम से अपनी सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

हमारी सरकार ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम में भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे बुन्देलखण्ड के विषय में कोई चर्चा नहीं है, जिस प्रकार से केन्द्र योजना आयोग की बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसी हमारी जानकारी है, मांग की थी कि बुन्देलखण्ड के लिये, उसके विकास के लिये क्योंकि यह पिछड़ा हुआ मण्डल है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड विकास आयोग बनाया जाय और विकास मंत्रालय भी बुन्देलखण्ड का बनाया जाय, जिस प्रकार से पर्वतीय विकास का है, जिससे हमारे मण्डल का विकास हो सकेगा।

तेंदू पत्ती के सम्बन्ध में जो लगातार कई वर्षों से चोरी होती चली आ रही है, उस सम्बन्ध में जो भी कोई चर्चा नजर नहीं आयी। मैं चाहता हूं कि ललितपुर जनपद के पास मध्य प्रदेश का हिस्सा पड़ता है और मध्य प्रदेश की सरकार वहां छोटे ठेकेदारों से तेंदू पत्तियों की ढुलाई का काम लेती है।

उत्तर प्रदेश में पहले यह काम वन निगम के सुपुर्द था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा प्रयास किया था कि इसकी जगह जब घाटा देखा 85-86 के बजट में भी घाटा देखा तो उन्होंने महसूस किया और तराई निगम को यह काम दे दिया। तराई निगम ने इसमें बहुत ज्यादा नुकसान दिया है. 14 लाख रु0 का रेवेन्यू जमा हुआ है, 48 लाख रु0 तेंदू पत्ती बिकने के बाद भी राजस्व में जमा नहीं हुआ

है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक बैठक बुलायी जाय और स्पष्ट नीति तय की जाय कि तराई निगम या वन निगम पत्ता तोड़े, जब ठेकेदार नहीं होगा तो चोरी भी नहीं होगी।

परिवहन के संबंध में कहना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय को प्रदेश मुख्यालय से जोड़ा गया है, लेकिन ललितपुर में परिवहन की तरफ से कोई बस नहीं है। इस सम्बन्ध में बस चलाने की मांग करता हूं।

अभी हमारी सरकार ने 355 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और तिलहन में 15 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन और भी अच्छा होगा अगर उत्तर प्रदेश की ऐसी नदियों के किनारे-किनारे, जहां कृषि योग्य भूमि है, विद्युत लाइन बिछायी जाय, पावर कनेक्शन्स दिये जायं, ताकि वहां से हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकें। ललितपुर की सारी सड़कें कटती चली जा रही हैं, उनको बनवाया जाय। नगर विकास से बिजली के लिए पैसा नहीं प्राप्त हुआ था, इसके लिए भी हमारे जनपद को पैसा दिया जाय।

लिफ्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि सारी स्कीम इसकी खटाई में पड़ी हुई इसके लिए भी प्राविधान किया जाय ताकि पानी उपलब्ध हो सके। राजघाट बांध भी उत्तर प्रदेश के बड़े बांधों में से है इस पर भी तेजी से कार्य कराने के आदेश दिये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जो मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया, बड़ी कृपा की है। मान्यवर, इतने कम समय में अधिक न कह कर मैं कुछ अहम समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश के लिए नितान्त जरूरी हैं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों की छवि होती है, वे सरकार की नीतियों की प्रतीक होती हैं। राज्यपाल के भाषण में और बजट सत्र के दौरान बुन्देलखण्ड की जनता, इस प्रदेश की जनता बहुत कुछ आशायें लगाये रहती है कि कुछ नया काम सरकार वहां के लोगों के लिए करेगी, उनको राहत देने के लिए कोई नया कदम उठाया जायेगा। पूर्वान्चल, उत्तरान्चल की बात हो रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के असमान, असंचालित विकास को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम यदि नहीं उठायेगी, तो वहां की जनता मजबूर होकर अपने असन्तुलित विकास के लिए कोई न कोई कारगर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जायेगी।

दुख की बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गयी है। यही वजह है कि उत्तराखण्ड के लोग इस प्रदेश के विभाजन की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड को अलग प्रान्त बनाने की मांग उठ रही है। अगर शासन की यही नीति रहेगी तो इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से प्रान्तों को अलग करने की मांग के लिए अपनी आवाज उठायेगी और यह मांग निश्चित रूप से न्यायोचित मालूम पड़ती है।

जिस समय यह बजट सेशन बुलाया गया उसी दौरान पूरे प्रदेश के किसानों का आन्दोलन भड़क रहा था क्योंकि उनमें असन्तोष था कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लगता था कि उससे यह सरकार किसानों को राहत देने के लिए कोई नीति की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खेती को आप उद्योग के रूप में मान्यता दीजिये। खेती की उपज का मूल्य तय करने के लिए आपकी नीति यह है कि इसके दाम सरकार तय करेगी पूंजीपतियों के इशारे पर। किसान की उपज के दाम गन्ने के, गेहूं के, तिलहन के सारी उपज के दाम धन्नासेठों के इशारों पर तय होते हैं इसीलिये किसानों में असन्तोष हो रहा है।

मैं इस सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की उपज का मूल्य तय करने के लिए प्रदेश स्तर पर किसानों का गठन किया जाय, तभी किसानों का भला हो सकेगा। आज राहत देने की बात सब लोग करते हैं चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सब अलग-अलग तरह की बातें करते हैं लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि राहत के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है।

आज जो अनेक बातों में पर्दा डाला जा रहा है, जिन-जिन अधिकारियों में व विभागों में भ्रष्टाचार है, या राहत कार्य नहीं कराये गए हैं, इसको मान्यवर, आप देखें, और वहां पर इन कार्यों की व्यवस्था की जाए, इधर के क्षेत्रों में सूखे के कारण स्थिति खराब हो रही है और हमारे यहां मान्यवर, बुन्देलखण्ड की हालत तो हमेशा ही खराब रहती है, यही कारण है कि आज भी बुन्देलखण्ड प्यासा है, अभी मार्च का महीना शुरू नहीं हुआ है, वहां के तालाब और कुएं आदि सभी सूखने लगे हैं और वह समय भी जल्दी आने वाला है, जहां एक-एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, तो पानी की व्यवस्था की वहां पर बड़ी जटिल समस्या है, मान्यवर यह व्यवस्था यदि आप करा दें तो हम लोग आपके बहुत ही आभारी होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, मैं उनका ध्यान अपने जनपद के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी व परगनाधिकारी सब मिलकर 6 लाख रु0 का घपला, जो वहां के तालाबों, कुओं की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा राम लीला ग्राउण्ड की जमीन के विकास के लिए मिले थे, में डाले हुए हैं, इस संबंध में वहां की जनता उत्तेजित है, और आन्दोलन कर रहे हैं, इसलिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से और इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को देखिए और तत्परता से इस मसले का हल निकाला जाए और उस जमीन के पट्टे को कैन्सिल किया जाए ताकि वहां की आन्दोलित जनता में आक्रोश कम हो और वहां पर पानी की व्यवस्था भी सही हो सके।

मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें क्योंकि यह हमारे यहां की एक अहम समस्या है, मैं चाहता हूं कि वह इसको हल करा दें। दूसरे मान्यवर, हमारे बुन्देलखण्ड का दायरा सिंचाई का बहुत कम होता जा रहा है। पहले रनगवां बांध से हम लोगों को पानी मिल जाता था, परन्तु अब उस पानी की भागीदारी मध्य प्रदेश में भी कर दी गयी है, जिससे हमारे यहां के किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया है, जिससे वह लोग बहुत परेशान हैं, यह मान्यवर

इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसी समस्या को लेकर वायदा भी किया था कि हम इस विवाद को तय करेंगे, लेकिन मान्यवर अभी तक इस संबंध में कोई हल नहीं निकल सका है, जिससे वहां का किसान आज भी बहुत पीड़ित है, मान्यवर यदि इस मामले का हल भी जल्दी न निकाला गया तो समस्या और भी जटिल हो जायेगी और फिर यह वहां के किसानों के साथ कुठाराघात होगा तथा वहां पर अब तक कोई राहत कार्य की व्यवस्था भी नहीं की गयी है, इसे भी कराने की कृपा करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मा0 खान गुफरान जाहिदी साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और महामहिम राज्यपाल ने इस सूखे की भयंकर स्थिति के समय में कमजोर वर्ग और किसानों के लिए जो अनेकों चीजों की निशुल्क व्यवस्थाएं कराई हैं, सराहनीय हैं। कुम्भ मेला जो हमारे इलाहाबाद में होता है, उसके लिए अनुदान की जो व्यवस्था कराई है, वह भी किसी से छिपी नहीं है, और भी बहुत सी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हुयी हैं । और हमारे राज्यपाल अभिभाषण में यह भी किया कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तथा बुलन्दशहर को फल-पट्टी घोषित कर दिया गया और इसमें यह भी किया गया है कि विकास प्राधिकरण नगर की तरफ से किसी को उजाड़ा नहीं जायेगा और मान्यवर, यही नहीं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इलाहाबाद मण्डलीय बैठक द्वारा जिसमें पक्ष-विपक्ष दोनों के मा0 सदस्यों को आमंत्रित कर उनके यहां की समस्याओं पर विचार होता है, ताकि प्रदेश का विकास हो ।

इस प्रकार इन मण्डलीय बैठकों को करके चतुर्मुखी विकास का मौका दिया जा रहा है । साथ ही और विधायकों को मौका दिया कि वह खुलकर प्रशासन की आलोचना करें । दोनों पक्ष के विधायकों को आलोचना करने का अवसर दिया और अधिकारियों को बुलाकर कहा गया है कि उनकी आलोचनाओं पर कार्यवाही की जाये।

मान्यवर, भारत सरकार ने हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी को प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया है और पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं और प्रदेश सरकार उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। मान्यवर, कमजोर वर्ग के लोगों की विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है और हरिजन छात्रों के लिए उनकी छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी के लिए घोषणा की गयी है। कृषि विभाग में अन्य सुविधायें शासन की ओर से दी गयी हैं। कुम्भ मेले में अधिक धन आवंटित करके एक सराहनीय कार्य किया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सरकार ने बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर को फल पट्टी घोषित किया गया है और मंडलीय मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि इलाहाबाद के जो अमरूद के बाग हैं उनको नष्ट नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री का सराहनीय कार्य है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में किसनपुर में एक लिफ्ट योजना प्रस्तावित

है, उसके निर्माण के लिए धन आवंटित करने की व्यवस्था की जाये। पूरे द्वाबे में 300 नलकूपों का सर्वे किया गया था, इनमें से 20 नलकूप मंजनपुर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित थे, इनको पूरा कराया जाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम राज्यपाल का यह ग्रीन कार्ड मिला है और इसी प्रकार ग्रीन कार्ड माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बांटते हैं, जो अपने कोटे की पूरी नसबन्दी करा लेता है, उसको यह ग्रीन कार्ड दिया जाता है, तो मान्यवर जनता ने इस सरकार की नसबन्दी कर दी है, इसलिए इन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया है। मैं पूरी बात दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इस पूरे भाषण में अगर आप देखें कि हर विभाग के आंकड़े दिये गये हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हिन्दुस्तान की कोई भी फर्म हो उससे इसका भौतिक परीक्षण करा लिया जाये, तो सारे के सारे आंकड़े गलत साबित हो जायेंगे और जो काम इस अभिभाषण में बताया गया है वह 50 प्रतिशत कम हो जायेगा, और जो सजा यह देना चाहें वह मुझे स्वीकार है।

मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहता था कि किसी देश की प्रगति उसकी योजनाओं पर निर्भर करती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि चैरिटी, दयाभाव और उदारतापूर्व बांटने से जनता की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। उन समस्याओं को हल करने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि ऐसी योजनायें बनायी जायं जिनसे देश और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो सके। उन्हीं के माध्यम से देश तरक्की कर सकता है। प्रदेश की योजनायें देश की प्रगति को परिलक्षित करती हैं। मैं सिर्फ दो-एक बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात तो यह है कि आज जिस पार्टी की सरकार है वह केवल वोट बटोरने का काम करती है और दूसरे जो प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं वे उनकी जेब भरने का काम करते हैं। आज हमारे प्रदेश में दो प्रकार की योजनायें लागू की गई हैं। इस प्रदेश के अन्दर इस प्रकार का आई0 ए0 एस0 वर्ग बैठाया गया है जिनकी जेबों में योजनाओं को रख दिया गया है। 50 प्रतिशत पैसा भी कल्याणकारी योजनाओं में न लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इसका भौतिक परीक्षण कराया जाय।

सूखे की बात कही गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सूखे के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि यदि देश की सूखे की समस्या को सुलझाने के संबंध में कोई दूरगामी योजनायें नहीं बनायी गईं तो ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि आगामी वर्षों में आप इस दिशा में कुछ नहीं कर पायेंगे। इस सूखे का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की नदियों में जो पानी था वह पहाड़ों की तलहटी में ही रोक दिया गया है। जब पानी का भराव ऊपर ही हो गया तब तक नीचे पानी आने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री विजय सिंह राणा–

आज आवश्यकता इस बात की है कि आज भी इस तरह के देश यहां पर हैं, इजरायल जैसा देश, जहां पर कोई नदी नहीं केवल बरसात के पानी से सिंचाई होती है और मनुष्य भी वही पानी पीता पर वहां आज तक कभी सूखा नहीं पड़ा है किन्तु इस देश में धमनियों की तरह नदियां बहती हैं लेकिन उनका दोहन नहीं कर सकते हैं। इसी कारण यहां पर हर वर्ष सूखा पड़ता या बाढ़ आती है। आज स्थिति यह है कि जमीन के नीचे का जलस्तर 15 फिट तक नीचे चला गया है। अतः कुएं सूख गये हैं और किसानों के बोरिंग असफल हो रहे? इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी यहां पर छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर हर 50 किलोमीटर के बाद एक बांध बनवा दें। . . . (व्यवधान)। अन्यथा प्रदेश आगामी भयंकर समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकेगा।

(नेता सदन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दें . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये। यह आचरण ठीक नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। नेता सदन खड़े हैं। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बैठें। जब नेता सदन और नेता विरोधी दल खड़े होते हैं तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठें।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, कई दिनों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा यहां चल रही है। दोनों पक्षों के कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। लेकिन जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जो विरोधी दल के लोग बोलते हैं वह समझकर बोलते हैं कि हम विरोधी दल के हैं, हमको विरोध करना ही है। उसका विरोध सही मायने में नहीं कर पाते हैं। जब हम कोई बात सदन में करते हैं तो उस जनता के लिए करते हैं जिसके प्रति हम जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है उसमें उन सभी बातों की तरफ संकेत किया गया है जिनको सरकार करना चाहती है।

मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश के हित के काम करें। इतना भयंकर सूखा पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लगभग 35 करोड़ रु0 का हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ और साथ ही साथ काम करने में बाधायें आईं उसके बावजूद सरकार ने इतनी बड़ी चुनौती का दृढ़ता से सामना किया उसके लिए इस माननीय सदन को

बधाई देनी चाहिए। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद हमने प्रयास किया कि किसानों की सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जाय, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरों और ट्यूब-वेलों को ठीक करके पूरी क्षमता से पानी चलाया और साथ ही साथ जो निजी साधन थे उनको भी ठीक से चलाया। हमने प्रयास किया कि बिजली कम से कम 10 घंटे दी जाय और हो सके तो उससे भी ज्यादा दी जाय। यही कारण है कि हम इस स्थिति का मुकाबला कर सके। जिसका परिणाम है कि जो खरीफ का उत्पादन है वह करीब 72 परसेंट से ज्यादा प्राप्त कर लिया । बहुत से प्रदेशों में सूखा पड़ा, मैं अभी राज्यस्थान कल गया था मैंने वहां पूछा वहां के मुख्य मंत्री जी से तो उन्होंने कहा कि हम खरीफ में 10 परसेंट भी पैदा नहीं कर सके। तो हमारे यहां वह 72 परसेंट पैदा हुआ। यह हमारे किसानों के परिश्रम का, उनकी मेहनत का और सरकार के सहयोग का परिणाम है, आपके सहयोग का परिणाम है और हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा जनता ने इस चुनौती का सामना किया तब हम स्थिति पर काबू पा सके हैं ।

यही कारण है कि आज न हमारे प्रदेश में गल्ले की कमी है और न ही चारे की कमी है जब कि सूखे की स्थिति में इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी तरह की कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। लोग यहां तक कहते हैं कि अक्सर जब सूखा पड़ता है तो चारे और गल्ले की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यह कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई अच्छी बात हो, सही काम हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो लोग जनता की सेवा करने में लगे हैं उनको प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे, सही भी नहीं कहेंगे तो कैसे उनसे काम लेंगे। जहां कहीं कमी हो उसे बतलाना चाहिए और जो सही बात हो उसमें आप और हम सबका फर्ज है कि उसे जरूर बतायें।

मान्यवर, यहां पर कहा गया कि जो पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है और जितनी सुविधायें दी जानी चाहिये वह नहीं दी जा रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने किसानों को सुविधायें देने का प्रयास किया है, जो सही माने में काम होना चाहिये था खेतों के लिये जो सबसे जरूरी चीज है सिंचाई की सुविधा वह व्यवस्था हमने की है, बिजली की व्यवस्था हमने की है। किसानों की बीज तथा और दूसरी चीजों की जो आवश्यकतायें हैं उनको पूरा किया है। किसान ने अपनी मेहनत से पैदावार को प्राप्त किया है उसमें हमने सिंचाई आदि की सुविधा दी है।

सिंचाई को हमने बढ़ाया है इससे हमारा जो प्लान परिव्यय है उसमें सिंचाई और बिजली में ज्यादा खर्च किया है। यही कारण है कि खेती की पैदावार बढ़ाई है। पैदावार बढ़ाने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन पर हमने ध्यान दिया है। आप देखे मद उठाकर तो आपको मालूम हो जायेगा, इस समय मैं उस पर नहीं कहूंगा जब बजट पर बोलूंगा तब डिटेल में बताऊंगा। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्रयास रहा उससे खेती की पैदावार बढ़ी है। जो आंकड़े हैं उनको आप देखेंगे तो मालूम हो जायेगा पैदावार बढ़ाने के काम हुए हैं और उत्पादकता बढ़ी है। उत्पादकता को देखें तो चावल की उत्पादकता 1950-51 में 5.19 क्विंटल प्रति हेक्टर थी जो 1986-87 में बढ़कर 14 क्विंटल प्रति हेक्टयेर हो गयी, लगभग तीन गुना। जबकि चावल की उत्पादकता 1979-80 में, उधर माननीय सदस्य बैठे हैं उनके समय में 5.06 क्विंटल प्रति हेक्टयेर रह गयी थी।

मान्यवर, गेहूं की उत्पादकता 1950-51 में 8.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी जो 1986-87 में 19.34 क्विंटल हो गयी और जनता पार्टी की सरकार के समय में 13.14 क्विंटल थी। तो आप जब बोलें तो आंकड़े देखकर बोला करें कि कितना उत्पादन हुआ है। इसलिए प्रयास है कि हम खेतों की पैदावार बढ़ायें और यह भी प्रयास है कि जो पैदावार बढ़े उसका किसानों को वाजिब मूल्य मिले। यही कारण है कि प्रदेश की पैदावार होती है उसको दूसरे प्रदेशों में भी भेजते हैं ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके और पड़ोस के राज्यों हरियाणा और पंजाब से ज्यादा कीमत किसानों को हमने दिलवाया है।

मान्यवर, इसी प्रकार गन्ना हमारी प्रदेश की बहुत व्यवसायिक फसल है और काफी क्षेत्रफल में गन्ना अच्छी मात्रा पैदा होता है। मान्यवर, यहां 104 मिलें हैं गन्ने की। पिछले वर्ष गन्ना काफी पैदा हुआ, उसमें हमारा प्रयास रहा कि पूरा गन्ना समय से पेरा जाय और कीमत उसकी अवश्य किसानों को मिले। गत वर्ष गन्ने का उत्पादन 846 लाख टन हुआ इससे लगभग 26 लाख टन चीनी बनी, तो इतनी चीनी कभी नहीं बनी थी। मान्यवर, 6.0 करोड़ रुपये गन्ने की पेराई हुई उसमें 99.66 प्रतिशत का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। मान्यवर, दो मिलें एक नवाबगंज और दूसरी शाहगंज की मिलें जो नहीं चल रही हैं उनका भुगतान ठीक से नहीं हो पाया, शेष का ठीक से भुगतान हुआ है। इस वर्ष गन्ने की कीमत की बात जो कही जा रही है, यदि कीमत बढ़ाई जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा इसको आप लोग नहीं समझते हैं। आज मिलें घाटे में चल रही हैं। यदि मिलें घाटे में चलकर बंद हो जायेंगी तो मजदूरों का नुकसान होगा, मिलें सिक हो जायेंगी तो मजदूर बेकार हो जायेगा और किसान जो गन्ना बोता है उसके नुकसान होगा जैसे कि शाहगंज के किसानों का नुकसान हुआ। इसलिये हम नहीं चाहते हैं कि गन्ना बेकार हो जाये और मजदूर बेकार हो जायं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कर्नाटक में रेट ज्यादा है तो मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में गन्ने का रेट हमारे यहां से कम है। हमारे यहां से कम है (व्यवधान)

हमारे यहां से कम है ..(व्यवधान)। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हम गन्ने की कीमत दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि गन्ने की पेराई हो जाए और आपको यह भी मालूम है कि इस साल सूखा पड़ जाने से जो गन्ने की रिकवरी होनी चाहिए, उसमें बड़ी कमी आई है और इससे हमें परेशानी पैदा हो गई है। मिलों में घाटा होने का यही एक बड़ा कारण है। हमारा यह प्रयास है कि हम गन्ना खेतों में न खड़ा रहने दें, जैसा सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों के कार्यकाल में गन्ना किसान के खेतों में जलाया गया था। हम गन्ना खेतों में जलाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि गन्ने की पेराई हो और उसके पूरे पैसे का भुगतान हो। हमारे आदेश हैं कि हर 15 दिन बाद गन्ने की कीमत का भुगतान कर दिया जाय। यह सरकार किसानों के लिए जो यह कर रही है, यह सही मायनों में किसानों की भलाई और हित के लिए है। जो आज इस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं, वह किसानों के हितैषी नहीं बल्कि उनके विरोधी हैं और इस तरह से वह किसानों का अहित सोच रहे हैं।

यहां पर सर्वश्री सत्यपाल सिंह, रामचन्द्र बख्श सिंह, विजय सिंह राणा, हरेन्द्र सिंह, कुशल पाल सिंह एवं सत्य प्रकाश विकल जी आदि तमाम सदस्यों की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास था कि कानून व्यवस्था हमारी अच्छी रहे, चाहे कुछ भी परेशानी हो हर हालत में वह ठीक रहे, उसमें किसी प्रकार की भी कोताही न होने दें। यही कारण है कि जहां पुलिस की कमी रही उसको बढ़ा रहे हैं, पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस की संचार व्यवस्था है, कम्युनीकेशन सिस्टम है, उसको मार्डनाइज करके नये तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि उसके जरिये से आज के नये-नये क्राईम पर काबू पाया जा सके। पैट्रोलिंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि अपराधों में बहुत कमी आई है, आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए।

माननीय सत्यपाल सिंह कहते हैं कि आंकड़े में इसलिए कमी है कि रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती हैं। तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। यह आदेश है कि रिपोर्ट अवश्य लिखी जाएं। जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, यह भी आदेश इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, अपराधों में गिरावट आई है। इसमें 87 से 86 की तुलना में स्पष्ट कमी आई है। डकैती में 7.5 प्रतिशत की, लूट में 2.95 प्रतिशत की, दंगों में 10.35 प्रतिशत की और सेंध भेदन में 10.1 प्रतिशत की कमी आई है।

हमारा यह भी प्रयास है कि हमारा आने वाला अगला साल और भी अच्छा रहे। कानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए हम काफी कुछ कर रहे हैं। पुलिस के ट्रेनिंग की व्यवस्था को देख रहे हैं और जहां कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, हमारा यह प्रयास है। यदि कोई माननीय सदस्य कोई इस पर अच्छा सुझाव दे देते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं और उसे देखकर कानून व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया जाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कल कुछ लोग बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में बिजली के बारे में शिकायत की . . (व्यवधान) सिंचाई के बारे शिकायत यहां पर की गई। यह सही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े प्रदेश में कुछ कमियां हो सकती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कमियां न हों और हम प्रयास करेंगे, लेकिन जो प्रयास हमारे हो रहे हैं वह यह है कि ज्यादा बिजली पैदा हो। जब ज्यादा बिजली पैदा करेंगे तभी हमारे काम पूरे हो सकेंगे। हमने ऐसा कहा है कि बिजली गांव में 10 घंटे अवश्य मिले। बिजली नहीं मिलती है, तो हमारे किसान भाई तथा और जो लोग काम करते हैं उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा उद्योग धन्धे भी ऊपर उठें तथा और काम भी ठीक तरह से चलें इसके लिए हमें बिजली बढ़ानी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक दो प्रदेशों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हालत देश में सबसे अच्छी है। उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली मिल रही है उतनी कहीं नहीं मिल रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

अब हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य करें । नेता विरोधी दल जब कल बोल रहे थे, तो उन्होंने यह कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय घटी है बढ़ी नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं कहना यह चाहता था कि सन 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय, आप के समय में प्रति व्यक्ति आय, रु0 935/- थी 1985-86 में बढ़कर दो हजार तीन रुपये हो गयी ,जो 114.2 प्रतिशत थी ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, बीच में न बोलें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, रु0 935 से प्रति व्यक्ति आय दो हजार तीन रुपये हो गई। मान्यवर, मैं और प्रदेश के बारे में भी बता रहा हूं । मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में जो वृद्धि हुई है वह 101.7 प्रतिशत की हुई है । असम में 99.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । गुजरात में 77.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हरियाणा में 94.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हिमांचल प्रदेश में 103.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । केरल में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । महाराष्ट्र में 190.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कर्नाटक में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । पंजाब में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश में 114.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तो यह सब बात आपको देखनी चाहिए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश की आय घट रही है । मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेशों में सबसे पिछड़ा हुआ है । इसमें मैंने पहली बात यह कही कि आपके उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है । दूसरी बात कही थी कि हमारे प्रदेश के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग अधिक हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले में । तो आपने प्रतिशत तो बता दिया है कृपया यह भी बता दें कि आपका प्रदेश कहां स्टैण्ड करता है और अन्य प्रदेश कहां स्टैण्ड करते हैं ।

श्री बीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि इधर हमारे प्रदेश की यह जो प्रगति रही है, विकास हमारा जो हुआ है, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है । लेकिन जो प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है, अब आप कह दें कि एक ही वर्ष में सब कुछ हो जाय, तो कैसे सम्भव हो सकता है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

114 फीसदी क्या एक साल में बढ़ा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पिछले 6 सालों में बढ़ा है । मान्यवर, मैं एक आंकड़े और देना चाहता हूं । ये हमारे साथी यादव जी जब बोल रहे थे, तो एक चीज इन्होंने बेकारी के संबंध में कहा कि पूरे प्रदेश और देश में बेकारी बढ़ रही है, पूरी दुनियां में बेकारी बढ़ रही है । लेकिन देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में इधर खेती की पैदावार बढ़ी है, खेती में जो विकास हुआ है, इतने प्रदेश के अन्दर उद्योग-धंधे लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है । आज हमारे प्रदेश में बहुत से लोग आते हैं उद्योग लगाने के लिए, वे कहते हैं कि हमको जमीन दीजिए, हमको बिजली दीजिए, हमको सुविधाएं दीजिए और हमारे प्रदेश में आज तमाम लोग उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं और हमारे यहां पर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है । हमने जो योजना बनाई है, सातवीं योजना, उसमें हमारा यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और जो खेती से बढ़कर ज्यादा रोजगार देने की बात है, चाहे हर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात हो, या खेती पर आधारित उद्योग-धंधे लगाने की बात है, हमने योजना बनाई है, सातवीं योजना में पिछले 35 वर्षों में 1 लाख 10 हजार उद्योग लगे थे और पांच साल के लिए हमारा छोटे-छोटे उद्योग लगाने का प्रयास है । गांधी जी ने कहा था कि यही रास्ता है कि छोटे-छोटे उद्योग लगा कर लोगों को रोजगार मिलता है और इसी कारण हमने सातवीं योजना में 2 लाख 11 हजार छोटे-छोटे उद्योग लगाने की योजना बनाई है ।

मान्यवर, 35 साल में 1 लाख 10 हजार और 5 साल में 2 लाख 11 हजार उद्योग लगाने जा रहे हैं । यह हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, रोजगार देने का यही तरीका है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इधर हमने किया है और कर रहे हैं । नेशनल सैम्पुल सर्वे की 32 वीं अंक की रिपोर्ट में यह लिखा है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम है। उत्तर प्रदेश में 4.33 प्रतिशत है । आंध्र प्रदेश में 10.98 प्रतिशत है । बिहार में 8.20 प्रतिशत है । गुजरात में 5.36 प्रतिशत है । हरियाणा में 6.92 गतिशत है । कर्नाटक में 9.76 प्रतिशत है । केरल में 26.72 प्रतिशत है । महाराष्ट्र में 8.4 प्रतिशत है । तमिलनाडु में 11.31 प्रतिशत है । पश्चिमी बंगाल में 10.53 प्रतिशत है । तो मैं यह कहना चाहता हूं, यह हैं आंकड़े । अगर काम नहीं होता, यह विकास का काम नहीं होता, उद्योग धंधे नहीं लगते, तो यह हमारी उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर कैसे कम हो जाती ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बोलिये तो देख लीजिए कि प्रदेश में क्या हो रहा है । अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से हमारे विकास के काम हो रहे हैं । हम अपने प्रदेश में ज्यादा परिव्यय उत्पादन के काम में लगाते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले । हम बेकार में केवल वाह वाही लूटने के लिए या केवल वोट लेने के लिए हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं । हम प्रदेश का विकास चाहते हैं । हम गरीबों का विकास चाहते हैं वाह-वाही नहीं करना चाहते

हैं । जो लोगों ने कह दिया । माननीय ओझा जी और लोग भी कहते हैं जो हमारा काम करने का तरीका है (व्यवधान) इसलिए मैं कुछ आंकड़े जिस दिन बजट के बारे में बोलूंगा उस दिन काफी विस्तार से बात करूंगा और बहुत सी बातें रखूंगा, आप भी जो आंकड़े मौजूद हों, देना और मैं भी बताऊंगा कि हम किस तरह से बढ़ रहे हैं और हमें क्या करना है ।

जहां कहीं भी आपको मालूम हो कि हमारी कमी है, हमारी पालिसी में कमी है, कार्य करने में कमी है या नीतियों के संबंध में कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे समझा सकते हैं, अगर कहीं विकास के तौर तरीके में कमी है । जब हम सोचते हैं कि सही मायने में क्या करना चाहिए, मैं साफ कहना चाहता हूं मैं तो समझता हूं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, गांव की समस्याओं से अवगत हूं इसलिए उसको जानते हुए उसके निदान के लिए समझता हूं और जो नहीं समझते हैं वही बोलते रहते हैं । मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए चाहूंगा कि सही मायने में जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको उठाने के लिए तेजी से काम हो रहा है । हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं जिसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है और आता रहेगा ।

इसलिए मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर जब बात होती है तो कुछ लोग जब यहां पर चर्चा करते हैं तो जो सबसे हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, हमें ज्यादा समय लगाना चाहिए उनको उठाने में, लेकिन जब यहां चर्चा होती है तो माननीय सदस्यों का ध्यान इधर कम जाता है और इधर कम सुझाव आते हैं । अगर आप कुछ और सुझाव दें तो कुछ और तब्दीली की जाती । हमारा यह प्रयास है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा जो गरीब हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं उनको उठाने का जो कार्यक्रम तेजी से चल रहा है उसको और मुस्तैदी से चलायें और जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह शिकायत आती है कि जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं वह गलतियां करते हैं इससे उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है, उनके खिलाफ भी हम कार्यवाई करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों की भी कमेटी बनायेंगे जो उसको देखेगी ताकि कोई गलती न कर सके । इसलिए प्रयास है कि ज्यादा-ज्यादा सुविधा पहुंचाने के लिए हम काम करें ।

मान्यवर, आज बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है बुनकर इतनी बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश में हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है । धागा महंगा हो जाने के कारण जो कपड़ा वह बनाते हैं वह महंगा हो गया है । वह इतना महंगा हो गया है कि उससे उनको मजदूरी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। ऐसे समय में हमें देखना है कि रूई कैसे सस्ती हो । रूई के महंगे होने के कारण धागा महंगा हो रहा है । हमने प्रयास किया है कि जो कताई मिले हैं वह सही दाम पर बुनकरों को धागा दें और हो सके तो उसमें मुनाफा न लें ताकि उनको दिक्कत न हो । इसलिए हमने कहा है कि मिलों के गेट पर उनको उसी भाव पर सूत दिया

जाय जिस भाव पर वह बाहर भेजते हैं या जिस भाव पर एजेन्ट को देते हैं । 5-5 व्यक्तियों की, बुनकरों की हमने कमेटी बना दी कि उन्हीं की देख रेख में सूत का बटवारा किया जायेगा ताकि उनको दिक्कत न होने पावे । इसी तरह से हमारा प्रयास है कि उनके कपड़े हम ज्यादा से ज्यादा खरीदें क्योंकि कपड़े बिक नहीं रहे हैं । अभी जनवरी के महीने में हमने 10 करोड़ रुपये का उनसे कपड़ा खरीदवाया है । माह जनवरी 88 तक 10 करोड़ रूपये का कपड़ा खरीदवाया है ताकि कुछ राहत उनको मिले । हैण्डलूम और यूपिका के द्वारा यह कपड़ा खरीदवाया है । मान्यवर, अगर ज्यादा खरीद लेते हैं तो वह कपड़ा बिकेगा नहीं तो यह संस्था बैठ जायेगी तो जो सहायता करते हैं वह नहीं कर पायेंगे ।

इसके लिए भी हमने कोशिश की कि उनका कपड़ा बिक जाय । जनता धोती में पांच रुपया प्रति जोड़ा दाम बढ़वाया है ताकि उनको 5 रुपया प्रति धोती जोड़ा मजदूरी ज्यादा मिल सके । इसी तरह से हमारा प्रयास है कि उनको सूत कैसे ज्यादा मिले । हमने 2.5 करोड़ रुपये का सूत राष्ट्रीय वस्त्र निगम से उनको दिलवाने की व्यवस्था की है । इस तरह से हमारा प्रयास है कि उनके लिए और भी व्यवस्था करें । जल्द से जल्द उनका माल डिस्काउन्ट पर बेचने की व्यवस्था करें, ताकि 20 परसेन्ट डिस्काउन्ट पर उनका माल बिक जाय । इसके पूर्व मैंने भारत सरकार के टैक्सटाइल मंत्री से बात की थी और कहा था कि रुई बाहर से मंगा कर दी जाय , ताकि जो कताई मिलें हैं, जो बुनकर को धागा देती हैं, वह बुनकर को सस्ते दाम पर धागा दे सकें, तभी उनका कल्याण होगा । साथ ही आप जानते हैं कि बनारस में सिल्क की साड़ियों की समस्या पैदा हो गयी है । उसके लिए कर्नाटक और चीन से सिल्क मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं , इससे सही माने में वह मांग नहीं रह जाती है, राजनीतिक हो जाती है । हमारा आपका प्रयास होना चाहिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि मिलकर इस संकट को समाप्त करने के लिए उनकी सहायता करें, मदद करें और उनकी समस्या का समाधान हो जाय, यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है मान्यवर इसी प्रकार. . .

श्री फजलुल बारी–

आप सूत पर से सेल्स टैक्स माफ कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उसको भी देख रहे हैं । मान्यवर, जो माइनारिटीज के लोग हैं, इनके लिए भी देखना है । माइनारिटीज बाहुल्य एरिया में काफी गरीबी है और इससे बहुत सी समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं । यही कारण है कि बहुत से लोग उनका फायदा उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं । उस शोषण को रोकना है । हमारा प्रयास है कि उनके लिए तकनीक का प्रबन्ध करें, उनके लिए बड़ी-बड़ी नौकरियों में, पी0 सी0 एस0 में, आई0 ए0 एस0 में आने के लिए कोचिंग की व्यवस्था करें, उनके लिए भर्ती में, नौकरियों में चयन समिति में माइनारिटीज के आदमियों को रखा गया है, ताकि उनकी भर्ती सही ढंग से हो सके । उनके लिए और भी कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनाकर सुविधायें दिला रहे हैं । हमारा प्रयास है कि लक्ष्य को कई गुना बढ़ाकर इनकी मदद करनी चाहिए । जब तक हम उनको

गरीबी से नहीं उबारेंगे, उनके साथ सही न्याय नहीं हो सकेगा । उनके लिए आई0 टी0 आई0 और पालीटैक्निक खोल रहे हैं और उनकी अच्छी हालत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं । हमने स्कीम में बहुत से ऐसी चीजें की हैं जिससे उनको फायदा पहुंच सके । मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि जो अभी यह कहा गया कि खाद्यान्न का उत्पादन जिस तरह से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा है । मान्यवर, उनकी आप देख सकते हैं कि इधर जो उत्पादन हुआ है, काफी अच्छा हुआ है । हमारा प्रयास है कि और ज्यादा उत्पादन हो । और माननीय सदस्यों ने तमाम चीजों की ओर संकेत किया है, समय कम होने की वजह से, तमाम माननीय सदस्य घड़ी देख रहे हैं, बजट के समय बोलूंगा ।

मैं एक बात और बता दूं कि खाद्य पदार्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको काफी अच्छा किया है । इसमें और भी सुधार करने जा रहे हैं । हर न्याय पंचायत में, उस न्याय पंचायत के पांच प्रधान, एक ग्राम सेवक और एक पंचायत सेवक– यह सात आदमियों की एक कमेटी बनायी है, यह देखेंगे कि उस न्याय पंचायत के अन्तर्गत जो दुकानें हैं वह ठीक से काम करें, देखरेख इनके माध्यम से भी होगी । जो शिकायतें आती हैं कि फलां जगह डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, तो यह लोग इसे देखेंगे वहां यह भी देखेंगे कि हर दुकान पर प्राइस और सारा सामान रहना चाहिए । प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा दुकानें इस तरह की हैं हम लोगों का यह प्रयास है कि किसी चीज की कमी इन दुकानों में न होने पाये और हर तरह की सुविधा लोगों को मिलती रहे । ज्यादा न कहकर, माननीय नेता विरोधी दल विपक्ष के अन्य माननीय नेतागण उधर के सदस्यगण तथा इधर के माननीय सदस्यगण ने अपने भाषणों के दौरान जो सुझाव रखे हैं, जो वास्तव में सही सुझाव है, उसको देखकर कोशिश करेंगे कि कैसे उन्हें कार्यान्वित किया जाय । जहां कमियां हैं, उनको ठीक करेंगे । लेकिन, यह कह देना चाहता हूं कि जो सुझाव राजनीति से प्रेरित होकर दिए गए हैं उससे कोई फायदा इस प्रदेश का नहीं है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मौका दे दें ।

मान्यवर, इस बार पहली बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषज में मद्यनिषेध के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का मद्यनिषेध की जो गांधी जी की नीति थी, उससे विश्वास उठ गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सरकार की जो मद्य निषेध की नीति है, वह नीति लागू है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय नेता सदन ने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सभी चीजों का समावेश किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके बारे में कहीं कोई लाइन हो तो जरा पढ़कर उसे बता दें कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करना के लिए, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई को दूर करने के लिए

इस सरकार ने यह-यह कदम उठाये हैं ? कोई कदम उठाये गये हों, और उनका उल्लेख इसमें हो, तो बता दें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने तमाम चीजों के लिए कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरे विपक्ष की ओर से कही गयी बातों का आपने जिक्र किया । चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम कोई बात कह दें, तो उसमें वह आपको बुरी लगती है। अब आप अपने मुंह मियां ही मिट्ठू बनना चाहें, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? बुनकरों की समस्याओं के संबंध में आपने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। आप कृपा करके यह बताला दें कि बनारस के कालीन उद्योग का जो श्रमिक हैं, जिनकी मजदूरी सन् 1978 से ज्यों की त्यों चली आ रही है, उनकी मजदूरी को ठीक करने के लिए और जिसके संबंध में उनके जो आन्दोलन हुए केस रजिस्टर्ड हुए क्या उन केसों को वापस दिलाने के लिए क्या उन श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लए आपने कोई प्रयास किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह बराबर प्रयास रहा है कि जो श्रमिक हैं उनके हित के लिए हमेशा बयान दिया है, प्रयास रहता है कि उनकी मजदूरी कम न होने पाये। बहुत से क्षेत्रों में हमने देखा है, यहां भी हम देख रहे हैं।

(नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल उत्तर भाषण आपका होना है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, उत्तर भाषण तो इनका हो ही गया।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, प्रदेश के जिन जिलों में अभी भयंकर ओलावृष्टि हुई वहां तमाम नुकसान हुआ उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। उस संबंध में आप मौका दे दें तो मैं जानकारी कर लूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

स्टेटमेंट आयेगा, उसमें कह लीजियेगा। आप लोग बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना यह था कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जिस दिन मैंने चंद बातें रखी थी, तब मुझे भरोसा यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी न किसी बात का सही और सटीक जवाब दे पायेंगे और समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ इस सदन में एलान करेंगे और उन समस्याओं के निदान की कुछ चेष्टा करेंगे। लेकिन उन्होंने अन्त में राजीव गांधी की भाषा का इस्तेमाल कर दिया और कहा कि हम देख रहे हैं और देखेंगे। मान्यवर, मैं कुछ मुद्दों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय विधायकगण बोल रहे थे कि लखनऊ

के चारों तरफ भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जो पिछले काफी वर्षों से इस तरह नहीं हुई। जिन किसानों की फसल इसमें बरबाद हुई, किसी-किसी की पूरी फसल चली गई; उनके लिए मुख्य मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

आज आजादी के 40 सालों के बाद भी आप किसी दैविक आपदा से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। मान्यवर, खरीफ की फसल किसान की सूखे में चली गई और इस रबी की फसल से जो कुछ किसान को उम्मीद थी, वह इस ओलावृष्टि के कारण खत्म हो गई। आज भी आपने अपने भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि इस ओलावृष्टि से हुई क्षति को और उससे किसान को कैसे राहत देंगे? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर कुछ समस्यायें हैं। लेकिन आपने पिछले सत्र में यह वायदा किया था कि आप नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के चुनाव करायेंगे। इस संबंध में आपने इस बार कुछ भी नहीं कहा।

मान्यवर, जो नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की तरफ से वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लगाया गया है, वह बेतहाशा लगाया गया है और उन लोगों के द्वारा लगा दिया गया है, जो इसको लगाने के लिए वैलिड नहीं थे। इस संबंध में मेरी मांग यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी कि वाटरटैक्स और हाउस टैक्स को स्थगित कर दिया जाये, बहुत सी जगहों पर स्थगित नहीं किया गया। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाय और इस वाटर टैक्स और हाउस टैक्स की वसूली को रोका जाये। इस नीति के तहत मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली की कार्यवाही को आप रोकेंगे? और क्या उसको स्थगित कर सकेंगे।

मान्यवर, बुनकरों के संबंध में भी समस्यायें थीं। आपने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कपास का निर्यात करने जा रहे हैं जबकि पिछले सत्र में इनके मंत्री जी ने कहा था कि हम कपास का आयात करने जा रहे हैं। तो यह दोहरी नीति का मतलब समझ में नहीं आता। बात यहां पर कपास के आयात और निर्यात की नहीं है। बात मान्यवर, यहां पर कपास के गट्ठे की है जो पहले 92 रुपये में मिलता था। आज उसी गट्ठे का दाम 160 और 170 रुपये हो गया है। जिसका अन्जाम यह हुआ कि बुनाई और उसकी रंगाई करने में बुनकर के 50 रुपये खर्च हो जाते हैं और इस प्रकार वह 50 रुपये घाटे पर अपना गठ्ठा बेच रहा है। इस घाटे को बुनकर कैसे बर्दाश्त करें? इस बात से मान्यवर, प्रदेश का बुनकर बहुत दुखी है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से लोगों को बतायें कि बुनकरों की जो आर्थिक हालत खराब हो रही है, वह उसके लिए क्या करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। पहले एक अपना आन्दोलन करते हैं, दूसरा आन्दोलन दूसरे नेता करते हैं। यह दोनों अगल बगल बैठे हैं। इसका भी कोई रास्ता निकालें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह कम्पटीसन इसलिए हो रहा है कि इस सरकार को बेदखल कैसे किया जाय। जनता के सवालों के लिए यह हो रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह–

वर्तमान सरकार व माननीय मुख्य मंत्री जी पर, चाहे आन्दोलन हम करें, चाहे आन्दोलन किसान करें या मुख्य मंत्री करें, कोई असर पड़ता नहीं है। आज यह सरकार बहुत ही बेहया व बेशर्म हो गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सूखे से राहत देने के लिए प्रदेश में कितनी योजनायें चलाई हैं, इसे आप बता दें। इस सूखे से हमारे प्रदेश के 8 करोड़ किसान व मजदूर प्रभावित हुए हैं, इन 8 करोड़ में डेढ़ करोड़ के लगभग सीमान्त व लघु सीमान्त कृषक हैं। सही मायने में देखा जाय तो आप एक मजदूर के लिए केवल 8 दिन की हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय केवल 3 रोटी दे पाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़ी बेरोजगारी कम कर दी लाख लोग बेरोजगार थे, लेकिन आज 32 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार हैं। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। महंगाई के विषय में कहा गया।

मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह देहात का रहने वाला हो या शहर का, सभी महंगाई से बेतहाशा परेशान हैं। आपके यहां प्रदेश में जितनी भी उपभोग में काम आने वाली चीजें थी, उनके दाम 100 गुने से लेकर 120 गुने तक बढ़ गये हैं लेकिन किसान के उत्पादन पर अगर वृद्धि हुई है तो केवल 20 गुना। माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी जो यह अफसरान व माननीय सदस्यों की फौज है, जब तक आप इनके चरित्र को ठीक नहीं करेंगे/ह्यूमन फैक्टर को ठीक नहीं करेंगे, आपके नेताओं ने जो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, भले ही आप लाखों योजनायें बना दें, कर्जा लेकर और केन्द्र सरकार से पैसा ले लें, जब तक इन पर आप अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक इस प्रदेश का विकास आप नहीं कर सकते हैं।

लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। पुलिस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी तत्परता से कह दिया कि डकैती व राहजनी कम हुई है। आपके जमाने में रपट नहीं लिखी जा रही है। पिछले सत्र में इस सदन में पूछा गया था अछलहाट थाना में एक आदमी की हत्या हो गई कई घायल हो गये। आपने कहा फिर भी रपट नहीं लिखी गई। फिर भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अपराध घटे हैं। एफ0 आई0 आर0 के न लिखे जाने पर क्या अपराध घट गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कत्ल का नाम नहीं लिया। माननीय मंत्री जी जब कत्ल हो जाता है तो वह छिपा नहीं रहता। अभी रजतपुर में 2 आदमियों की मौत हो गई, यह घटना अभी हुई है, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मान्यवर, इनकी सरकार के जमाने में पुलिस बिलकुल निरंकुश हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी का नौकरशाही के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आपके जमाने में बेतहासा भ्रष्टाचार मंत्री से लेकर सन्तरी तक व्याप्त हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और श्री गुफरान साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो मैंने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस पर जो नेता, विरोधी दल, अन्य नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये, उनको मैंने कमीबेश पूरी तरह सुना । देखने की चीज यह है कि इस अभिभाषण की, जिस पर धन्यवाद का प्रस्ताव किया है, दिशा क्या है ? एक बात कहना चाहता हूं कि जो कारवां चलता नहीं है, उसके पीछे धूल नहीं उड़ा करती, आप लोगों की जो इतनी तीव्र प्रतिक्रिया थी, उसी ने साबित कर दिया है कि मेरा कारवां चल रहा है ।

(मेजों की थपथपाहट)

अब नजर के बदलने का सवाल है । नजर के साथ आपकी नीयत का सवाल है ।

"तुम्हारा नजरिया कुछ हो, हमारा तजुर्बा यह है,
अगर दिल में बुराई हो, नजर अच्छी नहीं होती ।"

आपका विपक्ष का सवाल था, जो कहीं-कहीं पर पचरंगे अचार की तरह नजर आ रहा था । जब इतना भयंकर सूखा पड़ा है, विपदायें, आपदायें मौजूद हैं । हमारी सरकार श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में उससे संघर्ष कर रही है और यह देख रही है कि एक भी व्यक्ति मरने न पाये, 156·60 करोड़ मानव दिवस सृजित हो जायं, बेरोजगारी पर अंकुश हो, तो यह साबित करता है कि हमने एक तरफ किसानों को सुविधायें दी हैं जिससे छोटे किसान आगे बढ़ सकें । हमने उनके लिये पानी की व्यवस्था की है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की है, बीज की व्यवस्था की है । शासन बिजली देगा, सिंचाई का प्रबन्ध करेगा । लक्ष्य आपका भी वही है, हमारा भी वही है । इसके बाद भी आप टिप्पणी जिस अन्दाज से कर रहे हैं, वह गलत नजर आता है । माननीय कौशिक जी ने छोटे-छोटे उदाहरण देकर भ्रष्टाचार की बात कहने की कोशिश की ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा कहना यह है कि कौशिक जी ने कुछ केसेज रेफर किये, बड़ी अच्छी तकरीर की । उन्होंने कहा है कि जहां तक हो सके कम्परसम कानून न होने पाये ताकि लोगों को आसानी से सुविधायें मिल जायं । हमारे नेता विरोधी दल ने लां एण्ड आर्डर पर..

(श्री विजय सिंह राणा एवं श्री शारदानन्द अंचल द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, उन्हें अपना भाषण करने दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको आप क्या बना रहे हैं उप मंत्री या राज्यमंत्री ? यह बराबर हम लोगों के सर में दर्द पैदा किये जा रहे हैं ।

(तेज हंसी के कारण घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अपना भाषण जारी रखें जाहिदी साहब ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

हमारे माननीय सदस्य राणा जी बड़े सीनियर सदस्यों में से हैं, फिर भी उन्होंने जो गुस्सा दिखाया, उस पर मैं कुछ नहीं कहता हूं अभी सत्यपाल सिंह जी ने जो बातें कहीं कि फर्रुखाबाद जिला जेल में कुछ लोगों या बंदियों के बारे में कहीं की उसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने उन्हें उसी समय दे दिया है । मुख्य मंत्री जी ने एक-एक सवाल का जवाब दे दिया और यह भी कहा कि जो रचनात्मक सुझाव आये हैं उन पर जरूर विचार करेंगे और बेहतर से बेहतर उसका हल निकालेंगे ।

बेरोजगारी की बात हो गयी, भ्रष्टाचार की बात आपने कही अपराधों के लिए नई-नई बातें कहीं। मैं कहता हूं कि आप राज्यपाल के अभिभाषण में पेज 19 पर देख लीजिये उसमें लिखा है कि "भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संवेदनशील विभागों में शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है तथा 6 विभागों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं।" जब उस विभाग का बजट आयेगा तब विस्तार से उस पर चर्चा होगी।

महंगाई के बारे में जो बात कही गयी है, यह सही नहीं है। जिस तरह से सूखे की स्थिति रही इसमें महंगाई न केवल थमी है बल्कि नीची हुई है। आपने आंकड़े पेश किये लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि मजदूर को मजदूरी कितनी मिल रही है? हम अपने लक्ष्य से कहीं आगे बढ़े हैं। जब आप आंकड़े पेश करते हैं तो उनकी कम्पटीटिव तरीका होना चाहिए जिससे कि तुलना की जा सके। आप खराब चीजों का ही जिक्र करते हैं, अच्छी का नहीं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, विपक्ष के साथियों ने जो अपने भाषण में सुझाव दिये हैं मैं उनका आभारी हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। जब हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं तो हम दोनों के रास्ते, मंजिल समान हैं परन्तु नजर समान नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप हमारी रफ्तार को रोकने की कोशिश न कीजिये, आन्दोलन करके अपना एजीटेशन प्रकट करके आप हमारी रफ्तार को रोक देते हैं इस तरह स्पीड ब्रेकर का काम आप मत करिये । हम आगे बढ़ना चाहते हैं । अगर आप हमारे धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अन्य संशोधन जो उपस्थित हुए माने गये हैं वे भी अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 1988 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज 15 सूचनाएं नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं, जिसमें से श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री मूल चन्द्र की दिनांक 25-2-88 को वाराणसी में नगरपालिका द्वारा बेनियाबाग के गरीब दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाये जाने के संबंध में और श्री शफीकुर्रहमान बर्क की ग्राम बहरा जय सिंह केवल थाना बहजोई जिला मुरादाबाद में श्री सुरेश पाल सिंह की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से मृत्यु हो जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है। शेष सभी अस्वीकार की गयी हैं। श्री शारदा प्रताप द्वारा दी गयी नियम 57 की सूचना के संबंध में जानकारी।

(मद संख्या–11 के पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर एक सूचना मैंने भी इसी में लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में दी है, कृपया इसे भी स्वीकार कर लें। यह बड़ी महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना भी जो लखनऊ व अवध विश्वविद्यालय की चर्चा स्वीकार की गयी है, उसी में आपका भी नाम जोड़ दिया जायेगा।

दिनांक 16 फरवरी, 1988 को रजबपुर, जिला मुरादाबाद में पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 की गोलियों से हुई किसानों की मृत्यु के संबंध में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचनानुसार भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की कतिपय मांगों को लेकर मेरठ नगर में दिनांक 27 जनवरी, 1988 से चलाये गये आन्दोलन के सिलसिले में दिनांक 15-2-1988 को लगभग 11 बजे दिन में मुरादाबाद जनपद के थाना क्षेत्र रजबपुर के अन्तर्गत अतरासी चौराहे पर आन्दोलनकारियों, जिनमें कतिपय लोग शस्त्रों आदि के साथ थे, की एक भीड़ द्वारा लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया, पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया गया एवं वाहनों तथा पुलिस बल पर पथराव किया गया। भीड़ ने पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की दो जीपों को आग लगा दी। चेतावनी के पश्चात् भीड़ पर अश्रुगैस का प्रयोग और तदनन्तर लाठीचार्ज किया गया उपर्युक्त उपाय निष्फल होने पर सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और आत्मरक्षार्थ पुलिस को विवश होकर लगभग 14-45 बजे 22 चक्र गोली चलानी पड़ी जिससे भीड़ वहां से तितर-बितर हुई। पुलिस ने मौके पर 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया। आन्दोलनकारियों के पथराव से क्षेत्राधिकारी सहित-पांच पुलिस कर्मी घायल हुए।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तद्नन्तर हिन्सात्मक भीड़ द्वारा रजबपुर कस्बे में उक्त राष्ट्रीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया । पुलिस बल ने वहां पहुंच कर भीड़ को तितर-बितर किया और एक व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार किया । उसी दिन अपराह्न में आन्दोलनकारियों ने अतरासी और जोया के बीच नारंगपुर थाना डिडोली पर भी टेलीफोन के खम्भे तोड़कर और अन्य अवरोध डालकर मार्ग अवरुद्ध किया तथा पुलिस पर पथराव किया । पुलिस द्वारा मौके पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

उस दिन रात में भी जोया और रजबपुर के मध्य कई पुलियों को आन्दोलनकारियों ने तोड़ डाला, टेलीफोन के खम्भों को उखाड़ दिया, टेलीफोन की गुमटियां जला दी, पेड़ काट डाले और काफी दूर तक सड़क को अवरुद्ध कर दिया । दिनांक 16-2-88 की प्रात: तक उन्होंने अमरोहा-धनौरा, अमरोहा-काफरपुर, अमरोहा-कांठ, अमरोहा-हसनपुर, सम्भल -हसनपुर तथा गजरौला-बिजनौर मार्गों को भी काट दिया ।

दिनांक 16-2-88 को लगभग 9.00 बजे प्रात: जब पुलिस बल रजबपुर की सड़क पर लगाये गये अवरोधों को हटवाने हेतु पहुंचा तो वहां मौजूद शस्त्रों आदि से लैस उग्र एवं हिंसात्मक भीड़ पर पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने का कोई प्रभाव न पड़ने पर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा भीड़ को विधि विरुद्ध घोषित करते हुए तितर-बितर होने की चेतावनी दी गयी । इस पर उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव व आग्नेयास्त्रों से फायर आरम्भ कर दिया जिससे क्षेत्राधिकारी हसनपुर व थानाध्यक्ष रजबपुर को तथा 12 अन्य पुलिस कर्मी व अधिकारियों को चोटें आईं। थानाध्यक्ष अमरोहा की जीप के शीशे टूट गये और भीड़ ने सरकारी जीप में आग लगाने का प्रयास किया । भीड़ को तितर-बितर करने हेतु फायर ब्रिग्रेड से पानी फेंका गया, अश्रु गैस छोड़ी गई और लाठीचार्ज किया गया। राष्ट्रीय सम्पत्ति व जान जोखिम में पड़ जाने पर विवश होकर पुलिस ने परगना मजिस्ट्रेट अमरोहा के आदेश पर 27 चक्र गोली चलाकर भीड़ तितर-बितर की । पुलिस फायरिंग में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर 52 व्यक्ति गिरफ्तार किये और एक डी0 बी0 बी0 एस0 गन, 2 एस0 बी0 बी0 एल0 गन, तीन तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, दो दांव तथा 4 बल्लम बरामद किये ।

तत्पश्चात् गजरौला-जोया के मध्य विभिन्न स्थानों पर पाये गये चौदह अवरोधों को हटवाने की कार्यवाही की गई। अनेक स्थानों पर पुलिस को भीड़ के पथराव व आग्नेयास्त्रों से की गई फायरिंग का सामना करना पड़ा । नारंगपुर थाना डिडोली में आन्दोलनकारियों के पथराव आदि से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), थानाध्यक्ष, डिडोली तथा दो आरक्षियों को चोटें आईं । अत: विवश होकर पुलिस को चार चक्र गोली चलानी पड़ी । जोया पुल के पास अवरोध हटवाने के दौरान 15 व्यक्ति मौके पर गिरफ्तार किये गये । भारी कठिनाई और परिश्रम के बाद दिनांक 16-2-88 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग यातायात हेतु पुन: खोला जा सका ।

आन्दोलनकारियों ने उस दिन कैलसा और काफूरपुर रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया, रेल का एक माल गोदाम लूट लिया, केबिन क्षतिग्रस्त की, रेल की पटरियों व फिश प्लेटें उखाड़ी, जगह-जगह पर तार काट कर और खम्भों को उखाड़कर रेल-संचार व्यवस्था भंग की और रेलवे पुलों को क्षति-ग्रस्त किया ।

दिनांक 15-2-88 को 6 व्यक्ति, 16-2-88 को 6 और व्यक्ति तथा 23-2-88 को एक व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरोहा उपचार हेतु पहुंचे । दिनांक 15-2-88 को पहुंचे व्यक्तियों में से पांच को गनशाट एवं एक को कुन्द आले की चोटें तथा 16-2-88 व 23-2-88 को पहुंचे 7 व्यक्तियों को गोली की चोटें थीं । इन व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल सन्दर्भित किया गया था, किन्तु वे वहां नहीं पहुंचे गिरफ्तार व्यक्तियों में से भी 7 को कुन्द आले की साधारण चोटें थी ।

उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में अब तक कुल 58 अभियोग पंजीकृत हुए हैं और कुल 91 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से 43 व्यक्ति दिनांक 27-2-88 तक न्यायालय से जमानत पर रिहा हो चुके हैं । दिनांक 15 एवं 16 फरवरी, 1988 को घटित उपरोक्त घटनाओं की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद मुरादाबाद के जोया, रजबपुर एवं गजरौला में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पी0ए0सी एवं पुलिस बल की यथोचित व्यवस्था की गई है । यह कहना सही नहीं है कि पी0 ए0 सी0 एवं पुलिस घरों में घुसकर लोगों को आतंकित कर रही है।]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, रजबपुर मुरादाबाद में हुए किसानों पर अत्याचार के बारे में है, जिसमें लगभग 12 किसान उसी घटनास्थल पर मारे गये हैं और काफी तादाद में घायल हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप कृपया प्रश्न पूंछें, जो पूछना चाहते हों ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मान्यवर इतने आदमियों को मारा गया लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि यह सरकार इस सदन को गुमराह कर रही है, जबकि वहां पर बड़े-बड़े जुल्म किये गये हैं, राशिद फरीदी के घर-बार को लूट लिया गया और मस्जिद के इमाम को गोली मार दिया गया । कई-कई स्थलों पर 22 राउंड गोली चली और कई स्थानों पर 27 राउंड और कहीं कम 6 राउंड चलीं।

श्री उपाध्यक्ष–

बर्क साहब आप प्रश्न करें, आपका वक्तव्य है, आप प्रश्न करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मा0 उपाध्यक्ष जी इनका कहना है कि वहां की जनता ने भी पुलिस और पी0 ए0 सी0 पर गोली चलाई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी गोलियों से आपके अधिकारी व कर्मचारी कितने घायल हुए और उनके नाम क्या हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर वहां की जनता द्वारा जो गोलियां चलाई गयीं हैं उनसे हमारे दो अधिकारी एक सी0 ओ0, हसनपुर घायल हुए जिनके गोलियां/छर्रे लगे और दूसरे एस0 ओ0 रजबपुर के गोलियां/छर्रे लगने से घायल हुए ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर मैं केवल माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं जैसा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम संख्या दिखायी गयी है, इसके विपरीत बहुत लोग अर्थात् 51 लोग तो घायल हुए हैं और 5 लोग मारे गये हैं, यह सूची तो हमारे पास मौजूद है, इसके अतिरिक्त जैसा बर्क साहब ने कहा, उन सब की सूची मंगाई जा रही है, वह भी बताई जायेगी, परन्तु अभी हमारे पास जो सूची है उसमें घायलों के जो नाम हैं वह हैं श्याम सिंह, आयु 20 वर्ष, इनके पेट में छर्रे पहुंचे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, प्रीतम सिंह, आयु 35 वर्ष, इनके कमर में गोली लगी है, यह अमरोहा में भर्ती हैं, श्री अमर सिंह, आयु 42 वर्ष, इनके कूल्हे पर गोली लगी है, यह भी अमरोहा अस्पताल में भर्ती हैं, श्री रिषपाल सिंह, आयु 25 वर्ष, इनके टांग में गोली लगी है, हालत भी काफी गम्भीर है, यह उसी पैंसल नर्सिन्ग होम, अमरोहा में भर्ती हैं तथा लोकेश कुमार, आयु 26 वर्ष, इनके बांयी बाजू में आर-पार हुयी है गोली, यह भी उसी नर्सिन्ग होम, अमरोहा में इलाज हेतु भर्ती हैं। मान्यवर, इस प्रकार से मेरे पास 51 लोगों की सूची है, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं। यह सूची मैं आपके पास भिजवाये दे रहा हूं। मान्यवर, मेरी अपनी जानकारी है और मेरी जानकारी और मंत्री जी ने जो सूचना दी है, उसमें बहुत विरोधाभास है, विषमता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को देखते हुये क्या न्यायिक जांच बैठाने की घोषणा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जो वहां पर हिंसा, उग्रता, अशांति का जो तांडव नृत्य किया गया है, वह आज भी उसकी गवाही दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, सरकार द्वारा 22 राउंड की गोलियां चलायी गयीं और 51 लोग घायल हुए तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय की बात करता हूं। यह प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि न्यायिक जांच की व्यवस्था कराई जाये। अगर सरकार का लोकतंत्र में विश्वास है, तो न्यायिक जांच कराये जाने के आदेश दें। क्या वह न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, विषय की गम्भीरता को देखते हुये भी इसको आज अंत में लिया गया है, तो मेरा निवेदन है कि इसको बीच में छोड़कर न चल दें। माननीय मंत्री जी ने बड़ी आसानी से कह दिया, जी नहीं। आपने दो स्टेटमेंट दिया है, उसमें 15 और 16 दो दिन की घटनाओं का जिक्र है। कुछ 15 की है और कुछ 16 की है। जहां तक 15 की घटना का संबंध है, उसके बारे में कहा गया है कि 2 जीपों को जला दिया गया, तार काटे गये और रेल की पटरियां उखाड़ी गयी। रज्जबपुर में जहां पर गोलियां चलायी

गयीं और मंत्री जी ने कहा कि केवल दो लोग मरे हैं। 5 लोगों के नाम तो मैं ही जानता हूं। जिनके नाम हैं राम चरन सिंह, गजराज सिंह, जगत सिंह, दौलत सिंह और होश राम सिंह। मैं रज्जबपुर गया और वहां पर मान्यवर, यह जो वर्क साहेब ने कहा, एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गये हैं और जो कौशिक साहेब ने कहा 40 लोग अस्पताल में हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं । रज्जबपुर में गोली चार्ज किया गया उन लोगों ने कौन सा अपराध किया था । उन्होंने कौन सी कानून की व्यवस्था अपने हाथ में ली, जिसके कारण गोली चलाई गयी। वह तो केवल रास्ता रोके हुए थे । पुलिस ने लोगों को घरों से घसीट कर मारा है , खेतों और खलिहानों में मारा है । इसको आप रजबपुर जाकर देख सकते हैं । इतना भयानक काड होते हुए भी आप के द्वारा आसंका फैलाया जा रहा है, लोगों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं और इसकी गम्भीरता को देखते हुये मैं पुन: माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मजिस्टीरियल जांच किसी भी हालत में काफी नहीं होगी।

पहले आप हमेशा ही कहते हैं कि तथ्य सही नहीं हैं लेकिन जब जांच होती है तो उसमें सत्य सही पाये जाते हैं। जिस तरह से माया त्यागी का कांड था। आप कहते रहे कि हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया लेकिन आखिर में हमारी बात सही पायी गई। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आ जाय, जांच सही हो तो विषय की गम्भीरता को देखते हुये आप इस मामले की न्यायिक जांच करायें और साथ ही साथ वहां पर उत्पीड़न हो रहा है, रोजाना फर्जी रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है, उसे रोका जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी । मान्यवर, मेरे पास तमाम अखबार फोटो से रंगे पड़े हैं कि किस तरह से रेल की पटरियों को क्षति ग्रस्त किया गया, रेलवे स्टेशन को जलाया गया, पुलिस स्टेशन को जलाया गया, पुलिस स्टेशन पर आग लगाने का प्रयास, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई . . . (व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जहां पर गोली चली वहां पर कोई स्टेशन नहीं है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें बताने दो। कृपया बैठ जांय। उनकी बात सुनें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जहां पर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई, एस0 बी0 बी0 एल0 गन, तमंचे, भाले, बरछी और कई तरह के हथियार उन लोगों से बरामद हुये। यह सब वहां के अखबारों में लिखा है। यह हमने नहीं लिखा है। यह अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि अखबारों में लिखा है। यह लिखा है कि वहां पर जंगल का राजा है । उन लोगों ने वहां पर पुलिस को घेर रखा था । पुलिस पर वार होता था । वे गन्ने की खड़ी फसल में घुस जाते थे । नेता विरोधी दल ने रजबपुर की

बात कही। वहां पर स्थिति यह थी कि वे लोग छतों से वार कर रहे थे। इससे हमारे 32 लोगों को चोटें आई हैं जिसमें दो अफसर, सी0 आ0 और एस0 आ0 भी घायल हुए हैं। यह डाक्टरी मुआयना है। मान्यवर, जहां पर उन लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया हो, वहां पर कैसे स्थिति ठीक हो इसके लिये उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। घन्टों पुलिस लगी रही 9 बजे से प्रयास किया जाता रहा, दो बजे तक प्रयास करते रहे कि वे किसी तरह से मान जायें। हमारे पुलिस अफसरों ने डिप्टी कलेक्टर ने उन लोगों को हाथ भी जोड़े कि किसी तरह से मान जांय। लाउड स्पीकर से एनाउन्स भी कराया गया कि फायर हो सकती है। उसके बाद आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज किया गया। तब भी भीड़ पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो फरमाया वह घटना बता रहे हैं और सारी घटना जो गजरोला से बिजनौर तक और मुरादाबाद तक हुई, वह बता रहे हैं। रेलवे लाइन तक का जिक्र उन्होंने कर दिया। किन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर गोली चली वहां से रेलवे लाइन बहुत दूर है। यह गोली तो सड़क पर चली है। राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 24 जो है वहां पर आस पास कोई रेलवे लाइन नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी निश्चित जानकारी है जो अभी तक आपको दी गई। वह एकदम सत्य है। और भी घटनायें हुई हैं और मौतें जो अभी तक आपको दी गई। वह एकदम सत्य है। और भी घटनायें हुई हैं और मौतें दे रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह सारी चीजें होते हुए भी रज्जबपुर में जिस दिन गोली चली, फाइरिंग हुई उसमें ऐसे-ऐसे लोग मरे हैं जो एक किलोमीटर की दूरी पर थे।

हमारा निवेदन इतना है कि जो प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि जहां सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बारदात हो जाय, इतनी गोलियां चलाई जायें वहां पर न्यायिक जांच कराने से सरकार की छवि ठीक होकर सामने आ जायेगी। अगर जांच में गोली चलाना उचित ठहराया गया तो इससे जनता का विश्वास पैदा होगा इन पर। मैं अम्मार साहब संसदीय कार्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह राज्य मंत्री जी को थोड़ा समझायें और हमारी इस बात को स्वीकार करें और न्यायिक जांच की घोषणा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, जो बात माननीय कौशिक जी ने कही उसी में मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। उसके अनुसार एक ही बिन्दु पैदा होता है कि जो पुलिस ने बल प्रयोग किया गोलियां चलाई वह जास्टिफाइड हो जायेंगी न्यायिक रिपोर्ट जब आयेगी वह बता देगी कि इतने बल प्रयोग की आवश्यकता थी या नहीं। हमारी बात की पुष्टि माननीय मंत्री जी की बात से हो जाती है कि पुलिस ने बदले की भावना से चुन-चुन कर लोगों को घरों से निकाल-निकाल कर मारा। यह बात साबित हो गयी है कि जहां पर गलियां चली हैं वहां पर रेल की पटरी नहीं थी। पटरियां यहां पर उखाड़े और गोलियां वहां जाकर चलायें तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि बदले की भावना से गोलियां चलाई। गोलियां चलाने की आवश्यकता होती तो वहां पर चलानी चाहिये थी जहां पर पटरियां उखाड़ी।

माननीय कौशिक जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया उसी शृंखला में हम भी बताना चाहते हैं कि लोगों के घरों में घुस कर, महिलाओं के साथ बलात्कार कर, बदले की भावना से किसान आंदोलन को रौंदने के लिये पुलिस ने गोलियां चलाईं। प्रागदर्शन में हमारी बात सही है। इसकी न्यायिक जांच कराने से सरकार की छबि उज्ज्वल हो जायेगी अगर हमारे आरोप गलत होते हैं और समिति बतायेगी की इतनी बल प्रयोग की आवश्यकता थी अथवा नहीं थी। इसलिये मैं माननीय यादव जी की बात पर बल देता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस बात को ध्यान में रख कर न्यायिक जांच की बात को स्वीकार करें। इसमें न्यायिक जांच अवश्य हो इस बात को वह स्वीकार करें। (व्यवधान) के मध्य श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, जबाब आने दें तब दूसरा सवाल करने के लिये माननीय किरन पाल सिंह जी को कहें। एक जबाब का एक उत्तर आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

जबाब सब का एक ही साथ आ जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, एक जबाब एक सवाल। मंत्री जी इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि सब का एक साथ जबाब दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष–

न्यायिक जांच को वह मना कर चुके हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

न्यायिक जांच से वह घबरा रहे हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जो अभी जबाब दिया उसे घटना को नेता विरोधी दल यहां बैठे हैं, कौशिक जी यहां पर बैठे हैं जो मौके पर जाकर देख आये हैं। वस्तुस्थिति की उनको जानकारी है। इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री या गृह मंत्री जबाब नहीं दे रहे हैं। गृह राज्य मंत्री बड़े जोश के साथ जबाब दे रहे हैं जिसने आंखों से देखा नहीं और कानों से सुना नहीं इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है?

(अत्यधिक शोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

बेशर्मी तो उन लोगों की है जिन्होंने जनता को रोके रखा और दुलहनों को घर जाने नहीं दिया।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हम लोगों को जानकारी मौके की है और मंत्री जी पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट को यहां बता रहे हैं, इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि अब तक सरकार का कोई मंत्री वहां गया है कि नहीं? वहां गोली जो चलाई गयी वह पहले चलाई गयी है या जब रेलवे लाईन उखाड़ी गयी तब गोली चलाई गयी है, यह बता दें?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह सब कांड 15 तारीख से 16 तारीख तक हुआ है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मामूली बात की तो सी0 आई0 डी0 और न्यायिक जांच हो जाती है लेकिन इसमें न्यायिक जांच क्यों नहीं करा रहे हैं ? मान्यवर, 15 तारीख को रेलवे लाईन उखाड़ने और टेलीफोन तार काटने की घटना हुई है । दिनांक 16 को जो घटना हुई है वह रज्जवपुर में प्रदर्शनकारी रोड जाम किये थे जिस पर पुलिस ने गोली चार्ज किया । उस समय जिलाधिकारी वहां मौजूद थे जिनके आदेश पर गोली चलाई गयी । मान्यवर, इसकी जांच ए0 डी0 एम0 करेंगे तो क्या इंसाफ हो सकेगा ? मान्यवर, विवाद का विषय है कि क्या पुलिस ने फायरिंग करने से पहले चेतावनी दिया था, मालूम हुआ है कि चेतावनी नहीं दी गयी थी और न लाठी चार्ज ही किया गया । पुलिस पहले दिन के गुस्से को आधार मानकर, गुस्से में आकर निरीह लोगों पर गोली चलाई जो निंदनीय कार्य है । इस गोली कांड में 12 से ज्यादा आदमी मारे गये हैं और काफी घायल हुये हैं । ए0 डी0 एम0 जांच के लिये सक्षम नहीं हैं । इसलिये न्याय की दृष्टि से आप इसमें मात्र एक न्यायिक जांच के आदेश करादें । हम तथ्यों में नहीं जाना चाहते हैं केवल न्यायिक जांच की मांग करते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा हम उनकी और माननीय सदन की भावनाओं की कद्र करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैजिस्ट्रेरियल जांच चल रही है, उसको चलने दें, उसका परिणाम आने दें, यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो उसको देख लेंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी तो क्या आप दूसरी इंक्वायरी करायेंगे ? यह प्रक्रिया और नियमों के विपरीत होगा । इसलिये मेरी मांग है कि न्यायिक जांच कराने का आश्वासन दें ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है । मंत्री जी वहां गये नहीं हैं, किन्तु बड़े शान के साथ कह रहे हैं और उन्होंने फोटो दिखाया है । बड़ा नक्शा दिखा रहे हैं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां गोली चली वहां से रेलवे लाईन का कितना फासला है (शोर) इन्होंने फोटो दिखाया है, लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि जहां गोली चली है कौन जगह है ? वहां से रेलवे लाईन का कितना फासला है और इन दोनों के बीच में क्या जगह पड़ती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह सही है कि अलग अलग स्थानों पर कई जगह काण्ड हुए 15 से 16 तक यह अलग अलग स्थान हैं (व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

यह गोली रज्जबपुर थाने के सामने . . . .

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे कहना यह है, देखिए मान्यवर सरकार और मंत्री जी बार-बार कहा करते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं किन्तु आज सरकार ने चालाकी करके हमारे प्रदेश के बहुत महत्व के विषय को एजेण्डा में सबसे अन्त में लगाया है और हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर वह इसे दर किनार कर देना चाहते हैं । हम इस तरह सदन नहीं चलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो नियम में एजेण्डा के अन्त में ही आता है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सत्य पाल सिंह–

मैं चाहूंगा कि आपकी सीट से हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए । आज कलेक्टर के कारनामों के खिलाफ यह ए0 डी0 एम0 से जांच कराने की बात करते हैं और और कहते हैं कि ए0 डी0 एम0 की जांच हो जाने दीजिए, तथ्य आ जाएंगे और फिर आप कहेंगे देख लिया जाएगा । हम फिर गम्भीरता से कह रहे हैं कि इस गम्भीर मामले में सारे तथ्यों को देखकर आप वहां पर न्यायिक जांच के आदेश दीजिए। यह इंसाफ के हित में होगा, हमारी जिद कुछ नहीं होगी । किन्तु यदि यह सरकार हठ या अपनी जिद करती है तो आगे इनको इसके परिणाम भुगतने होंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इनकी धमकी वाली बात अच्छी नहीं है । लेकिन जो समस्या है और जो घटना है वह काफी दुखद है । माननीय मंत्री जी ने एक स्टेटमेन्ट दिया है और उनका जो अपना दृष्टिकोण है सरकार की तरफ से बयान किया है । इसको गम्भीरता को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं को आप किसी दिन अपने कक्ष में इस विषय में बुला लें और वहां बैठकर कोई निर्णय इसमें कर लें, ताकि मामला समाप्त हो जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 फरवरी, 1988

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

वर्ष 1984-85 के स्वीकृत सत्रह ज0बे0 तथा सी0बे0 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वरीयता क्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया--

---

1--जू0बे0विद्यालय जाम क्षेत्र मीरगंज,
2-- ,, मनुनागर क्षेत्र रिक्ष,
3-- ,, सिसौना क्षेत्र शेरगढ़
4-- ,, उमनपुर क्षेत्र बहेड़ी,
5-- ,, दकिया मिलक क्षेत्र शेरगढ़,
6-- ,, मसिहाबाद क्षेत्र मीरगंज,
7-- ,, मकरी नवादा क्षेत्र रिछा
8-- ,, नामदारगंज क्षेत्र रामनगर
9-- ,, कहर्रा क्षेत्र आलमपुर,
10-- करपिया क्षेत्र आलमपुर
11-- जमानपुर क्षेत्र बहेड़ी
12-- , मोहरनिया क्षेत्र बिथरी,
13-- ,, वैशपुर गुलडिया क्षेत्र बिथरी,
14-- ,, भिनतरपुर क्षेत्र रिक्षा,
15-- ,, गुगंई क्षेत्र मीरगंज,
16-- ,, बसावनपुर क्षेत्र फरीदपुर,
17-- ,, रमपुरा माफी, क्षेत्र भोजीपुर।

सीनियर बेसिक विद्यालय--

1--सी0बे0 विद्यालय हुरहुरी क्षेत्र मीरगंज,
2-- ,, खड़ारामनगर क्षेत्र रिछा,
3-- ,, शिवनगर कैनी क्षेत्र मझगवां,
4-- ,, हरन नगला क्षेत्र बिथरी,
5-- ,, अहगाव चांदपुर क्षेत्र भदपुरा,
6-- ,, जरौल, क्षेत्र फरीदपुर,
7-- ,, मेहेतरपुर करोड़ क्षेत्र मुता।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

वर्ष 1977 से 1980 तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाए गए सम्पर्क मार्गों एवं उस पर किए गए व्यय का विवरण--विकास खण्ड बस्ती सदर,-बस्ती

क्रम सं	सम्पर्क मार्ग का नाम	कार्य जो किया गया मीटर	भुगतान खाद्यान्न गेहूं (कु0 में)	चावल (कु0 में)	नकद	योग मूल्य धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु0
1	महसों-पिपरा मार्ग	654	93-21-573	8-22-970	-	11,428.29
2	गनेशपुर-दुबौला मार्ग	4,814	501-29-943	..	-	57,850.12
3	जिगिना-भेलखा मार्ग	3,195	194-64-166	40-48-168	-	28,715.32
4	महरीपुर-मोहटा मार्ग	1,896	124-27-438	96-73-493	-	28,455.89
5	रामपुर जोगिया मार्ग	1,904	49-39-940	32-64-640	-	10,248.77
6	सोनूपार--देवरिया मार्ग ..	1,455	53-68-500	23-31-250	-	9,713.75
7	देवरांव -सदर अस्पताल ..	1,275	190-55-999	58-05-857	-	30,998.20
8	सियरापार-दोरिका मार्ग ..	3,542	257-90-000	172-98-257	-	56,189.38
9	रैपुरा श्रीपालपुर मार्ग	1,372	103-83-310	25-39-510	-	16,015.28
10	पाकरडांड-भुवनी मार्ग ..	885	45-08-160	10-67-000	-	6,903.00
11	समहाघाट मार्ग	5,362	250-20-000	291-02-031	-	69,986-80
12	बलाड़ी-रानीपुर मार्ग	4,226	212-07-380	35-09-000	-	42,889.60
13	गनेंशपुर-महमूदपुर	5,290	480-47-500	104-56-816	-	71,996.00
14	गोठ्वा-कोइलपुरा मार्ग ..	5,188	370-22-333	203-48-774	-	72,914.00
15	रामपुर सम्पर्क मार्ग	856	..	46-77-224	-	5,846.53
16	पिपरा गौतम-सराय मार्ग ..	2,249	2-44-416	185-73-129	-	26,295.68
17	भैंसिनपुर-रमवापुर मार्ग ..	3,048	140-02-330	93-17-285	-	29,848.00
18	खौरिहवा-लौकिहवा मार्ग ..	870	72-47-138	27-55-714	-	12,554.60
19	रैकवार-थुकहवाघाट मार्ग ..	1,925	105-30-833	82-71-694	-	24,937.00

1	2	3	4	5	6	7
						रु0
20	अवरथीपुर--पैवापुर मार्ग ..	982	59--00--000	64-28--588	-	16,080.00
21	रैकवार--बरगदवा मार्ग ..	4,115	468--42--500	57--36--428	-	64,242.00
22	अवरथीपुर-महुआरा मार्ग ..	3,127	226-07--000	139-08--546	-	46,600,00
23	महसों--कुन्हिया मार्ग	1,668	145--09--267	99·200	-	17,550.00
24	मरवटिया नलकूपनगर मार्ग ..	2,439	115--05--000	56--46·391	-	21,711.00
25	हथिरजा -रामपुर मार्ग ..	360	19-44--153	..	-	2,333.00
26	गनेशपुर--तिलकपुर मार्ग ..	2,390	327--06--500	..	-	39,248.00
27	भरौली--श्रीपालपुर मार्ग ..	2,891	178--98--750	53--00-325	-	28,845.00
28	करौजी-मनियाघाट मार्ग ..	3,662	295--93--320	96--73--571	-	49,085.00
29	निपनिया--समुसपुर मार्ग ..	1,368	89-19-056	..	-	10,703.47
30	चौरवा--गनेंशपुर मार्ग ..	1,010	42--80--000	..	-	5,136.00
31	फुरैनी--तेलियाजोत मार्ग ..	1,000	105-00-000	..	-	12,600.00
32	उपठी--चौबाह मार्ग	1,393	105--51--960	..	-	12,664.00
33	महमूदपुर--ढोड़ऊपुर मार्ग ..	1,531	147--99--000	..	-	17,759.00
34	दुबखरा--मुनियांघाट मार्ग ..	1,950	..	56--63--000	-	7,929.00
35	भुअर--जरही मार्ग	1,560	227--19--000	..	-	27,263.62
36	खदरा--खिरहिवा मार्ग ..	819	..	39-25--000	-	5,496.00
	योग ..	81,271	5899-86-465	1817--69-905		8,21,549.21

पी0एस0यू0पी0-एल0 452 विधान सभा-(791)-1988-813 ।